खण्ड-367, अंक-4
शनिवार, 18 चैत्र, शक संवत् 1906
(7 अप्रैल, 1984 ई0)

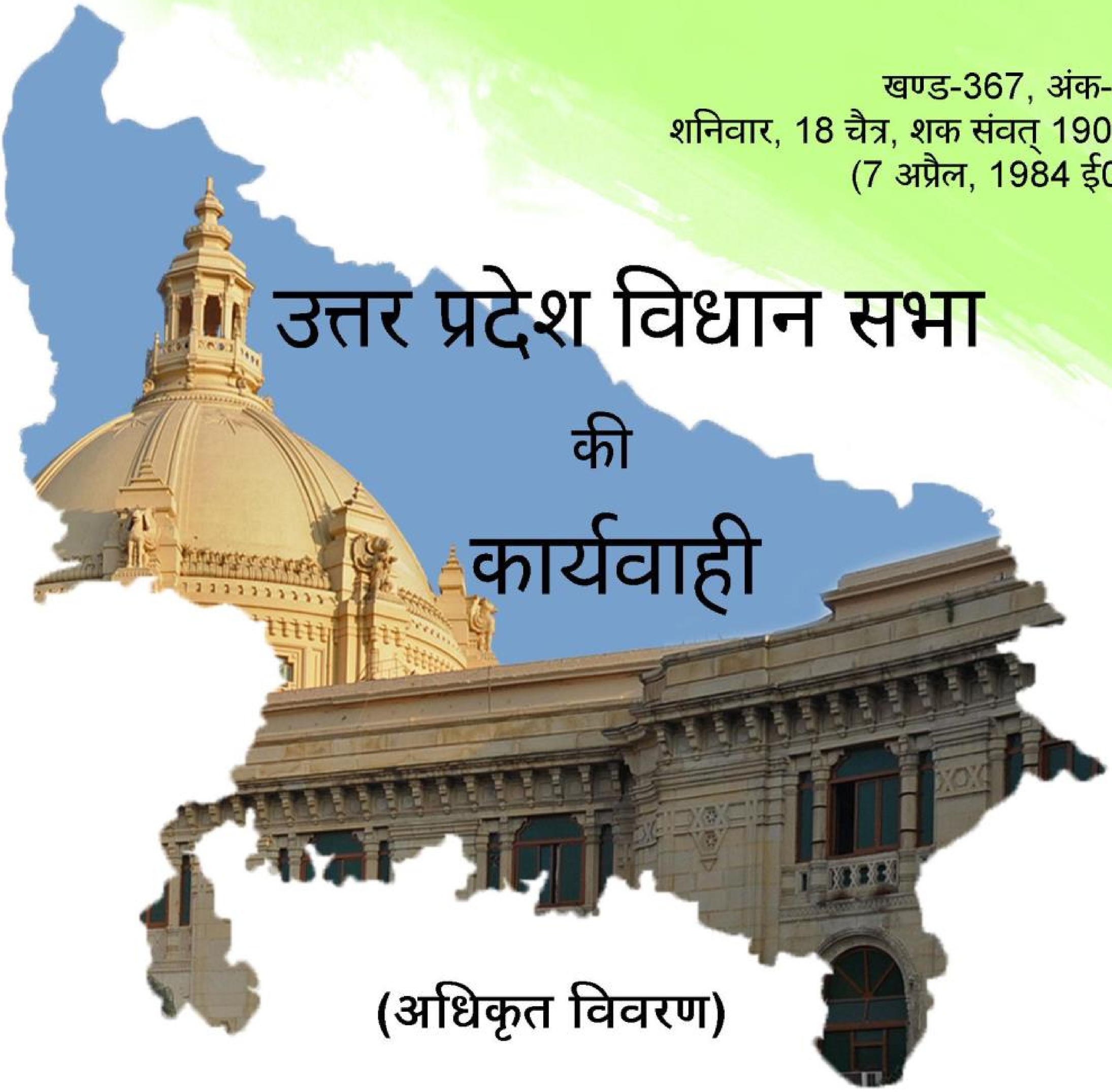

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 367 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. | 1–4 |
| भूतपूर्व विधायक श्री अबुल फैजशाह के निधन पर शोकोद्गार .. | 5–6 |
| उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1984 को सदन के पटल पर रखे जाने पर औचित्य का प्रश्न .. | 6–8 |
| उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1983–84) का षष्ठ प्रतिवेदन .. .. | 8 |
| 1984–85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 53—विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय, अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69—सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक उद्यम विभाग .. | 8–95 |
| सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 (स्वीकृत) .. | 95–101 |
| पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (स्वीकृत) .. | 101–104 |
| उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982 (स्वीकृत) .. | 104–110 |
| तत्कालीन हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. .. .. | 110 |
| श्री दिनेश प्रसाद सिन्हा, सहायक अभियन्ता बाढ़, गोरखपुर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. .. .. | 110–111 |
| साप्ताहिक पत्रिका, रविवार के सम्पादक एवं लेखक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. .. .. | 111–112 |

विधान सभा
मुरादाबाद

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## शनिवार, दिनांक 7 अप्रैल, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 10 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

### उपस्थित सदस्य—307

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवर खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री, (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम श्री, (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
(उर्फ अनिल सिंह)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊबल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैयालाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्दू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती),
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
(बेगम एजाज रसूल)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केवार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केवार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, (एडवोकेट) श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रभान सिंह, श्री (बांदा)

चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छवी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटा शंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जुग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेजबहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीनानाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निपाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रताप सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद बिशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेली बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह बिशारद, श्री (उन्नाव)
भगवतीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोला लाल, श्री (उन्नाव)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (गोंडा)

उर्दू अखबारों

महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मोती लाल वेहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफ उर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पांडेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम अवतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट) (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रियाज अहमद, श्री (पीलीभीत)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री, (शाहजहांपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद) (उर्फ मणिजी)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)

विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ, श्री (देवरिया)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शोनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायण तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज,' श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)

## भूतपूर्व विधायक श्री अबुल फैजशाह के निधन पर शोकोद्गार

(10 बजे)

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के समक्ष अपने एक भूतपूर्व साथी, माननीय श्री अबुल फैज शाह के शोक प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

श्री अबुल फैज शाह का दिनांक 27 मार्च, 1984 को वाराणसी में निधन हो गया । वे लगभग 74 वर्ष के थे । श्री अबुल फैज शाह का जन्म 1910 में बीबीपुर, जिला आजमगढ़ में हुआ था । इन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से एम0 ए0 तथा एल0 एल0 बी0 की उपाधि प्राप्त की थी ।

श्री अबुल फैज शाह 1974 में गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर निर्वाचित होकर पहली बार इस सदन मे आए थे । वे 1977 तक विधान सभा के सदस्य रहे । श्री अबुल फैज शाह पंडित जवाहर लाल नेहरू के निकटतम सहयोगी रहे थे और उन्हीं के द्वारा इलाहाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के सेक्रेट्री नियुक्त किये गये थे । उक्त पद का कार्यभार श्री अबुल फैज शाह ने वर्ष 1941 तक संभाला । वर्ष 1936 से 1939 के दौरान श्री शाह सिविल लिबर्टी यूनियन, इलाहाबाद के सेक्रेटरी तथा रेलवे कुली यूनियन के अध्यक्ष रहे थे ।

इस तरह से इन्होंने अपना सारा जीवन राजनीतिक कार्यों, जनता की सेवा के कार्यों, मजदूरों और निम्न वर्ग के जो त्रस्त लोग थे, शोषित लोग थे, उनकी सेवा में लगाया था । इसी को करते हुए अन्त तक उसमें लगे रहे, और उनका निधन इधर मार्च को हो गया । एक ऐसा व्यक्ति जो शुरू से जनता के हित के संघर्ष में लगा रहा, उसके निधन से, निश्चय ही राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के समाज में एक ऐसे व्यक्तित्व की क्षति हुई है, हम उसके लिये हृदय से शोक प्रकाशित करते हैं । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस शोक संदेश को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय नेता सदन ने श्री अबुल फैज शाह साहब के निधन पर संवेदना के जो भाव व्यक्त किये हैं, मैं व मेरा दल उससे अपने आपको सम्बद्ध करता है ।

मान्यवर, पिछले करीब पौने चार वर्षों में, हमने और इस माननीय सदन के सदस्यों ने इस सदन के भूतपूर्व सम्मानित सदस्य, जो स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी थे, उनके अपने बीच से चले जाने पर संवेदना और शोक के अनेकों प्रस्ताव पास किये हैं । स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की बची-खुची कड़ियों में से एक कड़ी और हमसे बिछुड़ गयी है । उस पीढ़ी का, जो हमारे लिये अनुकरणीय थी, यह दुर्भाग्य जरूर है इस देश का कि हमने उनका अनुकरण नहीं किया, लेकिन शायद हमसे आगे आने वाली सन्तानें इन व्यक्तियों के आदर्श का अनुकरण जरूर करेंगी, जिन्होंने इस देश के लिये अपने आपको न्यौछावर किया था । फैज साहब के निधन से गाजीपुर नहीं, प्रदेश नहीं, देश के एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और एक उच्चकोटि के समाजसेवी को हमने खोया है। उनके प्रति मैं अपने और अपने दल की तरफ से संवेदना के भाव प्रगट करता हूं और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपसे निवेदन करता हूं कि संवेदना के यह भाव उनके शोकसन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रियासत हुसैन—

मैं स्वर्गीय श्री अबुल फैज शाह के निधन पर अपने और अपने दल की माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उससे सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे निवेदन है कि यह संवेदना के भाव उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री भीखा लाल—

स्वर्गीय अबुल फैज शाह के सम्बन्ध में जो माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता जनता पार्टी ने अपने भाव व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । शाह साहब एक राष्ट्रीय आन्दोलन से निकले हुए व्यक्ति थे और इस विधान सभा में चुनकर आये थे । गाजीपुर में हमारी पार्टी से उनका बहुत निकट का सम्बन्ध रहा । हमारा भी परिचय उनसे काफी अच्छा था । उनके निधन से हम और हमारा दल दुखी है और हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । आपसे अनुरोध है कि हमारे और हमारे दल की संवेदना उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो स्वर्गीय अबुल फैज शाह के बारे में अपना विचार प्रकट किये हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं ।

जहां तक उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन का सम्बन्ध है, वे अनेक पदों पर रहे और पं० जवाहर लाल नेहरू के निकटतम सहयोगी होने के कारण इलाहाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के रूप में भी उन्होंने कार्य किया । वे विदेशों में भी गये । कुलियों की जो छोटी यूनियन इत्यादि होती हैं, उनमें भी वे पदाधिकारी रहे । इस आदरणीय सदन ने जो भाव प्रकट किये हैं, मैं इस सदन की भावनाओं को और अपनी तरफ से तथा नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनको, उनके शोक सन्तप्त परिवार को भेज दूंगा ।

अब सभी लोग उनकी आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थानों पर मौन खड़े हुए)

## उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) विधेयक, 1984 को सदन के पटल पर रखे जाने पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, यह आज आपने मुझको दिया है । जैसा इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि यह आज ही प्रातःकाल पत्रों में प्रकाशित हुआ है मैंने उसकी प्रतिलिपि मंगाने के लिये भेज दिया है । जब तक हम उसको पूरे तरीके से न पढ़ लें, अपने तरीके से उसका परीक्षण न करा लें, तब तक अगर मान लीजिए आपकी बात सुन भी लिया, तो हमारे लिये कुछ संभव नहीं है कि उसके बारे में बता सकूं । मैं इस बात पर स्टैण्ड करता हूं कि जब 11 तारीख को पुनः बैठेंगे तब इसको सुनेंगे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह बात अपनी जगह सही है कि कल जो फैसला हुआ है, वह एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐतिहासिक फैसला है, मैं सिर्फ इस संबंध में चार बातें कहना चाहता हूं, उस पर आप अपनी व्यवस्था बाद में दे दीजिये। उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अध्यादेश असंवैधानिक है। मुद्दा यहां पर यह नहीं है कि इस विधेयक में क्या था। मुद्दा यहां पर यह है कि इसे जो सदन के पटल पर रखा गया वह संवैधानिक था या नहीं। मान्यवर, मुझे इस बात का पूरा संतोष है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिन बिंदुओं पर अपना फैसला दिया है मैं उन्हें स्वीकार करते हुए कि जिन बिंदुओं को मैंने यहां पर उठाया था फैसला उनका उन्हीं बिन्दुओं पर आधारित है कि यह उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अध्यादेश असंवैधानिक है तो इस सिलसिले में सिर्फ यह चार बातें कहना चाहूंगा कि इस अध्यादेश को असंवैधानिक करार दिये जाने से क्या इस बात की पुष्टि नहीं होती कि "उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुच्छेद 213 का दुरुपयोग हुआ है" तो मैं इस संबंध में यही कहना चाहूंगा कि 213 में जो संविधान के तहत माननीय राज्यपाल को निर्णय करने के अधिकार प्राप्त हैं क्या उन अधिकारों को बार-बार पुनर्प्रख्यापित किया जा सकता है इसमें न्यायालय ने एक रूलिंग का हवाला देते हुए यह कहा है कि इन अधिकारों को बार-बार पुनर्प्रख्यापित नहीं किया जा सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जहां कि द्विसदनीय विधायिका है, वहां विधान परिषद् का सत्रावसान करना प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग है क्योंकि श्री राज्यपाल ने सत्र बुलाने के कारण जो बताये थे उन्हें पूरा किये बिना ही सत्रावसान की सलाह दे दी गयी और दूसरी बात जब विधान मंडल के दोनों सदन चल रहे हों, उस समय केवल इस बात के लिए सत्रावसान करने के अध्यादेश जारी करना क्या यह अधिकारों का दुरुपयोग नहीं है। फिर यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के कार्य करना पूर्णतया गलत निर्णय है, क्या इस कारण असंवैधानिक संकट लोकतंत्र में पैदा नहीं हुआ और इस प्रकार के संविधान के उल्लंघन से सदन की गरिमा नहीं घटी? यह सारी विचारणीय बातें हैं और इससे क्या संविधान की मर्यादाओं का कुठाराघात नहीं हुआ और इस तरह से विधान सभा के जो अधिकार हैं और विधान मण्डल की जो संचय शक्तियां हैं उनकी अवमानना नहीं की गयी है। इसलिए कल जो फैसला किया है उच्च न्यायालय ने वह एतिहासिक फैसला किया है हमारे संसदीय अधिकारों की रक्षा के तहत एक चुनौती का काम किया है जो संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था करती है उन सबको एक जुट होकर काम करने की जरूरत है

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न माननीय उप नेता विरोधी दल ने उठाया। यह किस नियम के तहत उठाया प्रश्न, कहां तक वह लागू होता है, इसके संबंध में केवल इतना ही कहूंगा कि जब उन्होंने उठाया है, बात सदन में आ गयी तो यह लागू है।

जिस न्यायिक फैसले का हवाला दिया गया है, वह फैसला कल हुआ है, वह हमारे सामने नहीं है। जिस तरह से किसी एक सदन के सत्रावसान की बात है और बीच में आर्डिनेन्स लाने की बात है, उसके संबंध में मंशा का जिक्र किया गया है। मंशा की बात का जहां तक संबंध है, मैं इस बात का विरोध करता हूं और उ के आगे जाकर भी एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा सदन, कार्यकारिणी, न्यायपालिका यह सब समाज की भावनाओं की नकल, उनका प्रतिरूप, उनको सुचारुरूप से चलाने हेतु जो बातें आती हैं, उन्हीं को देखते हुए वह अपने कार्य का संचालन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करती हैं। सबसे पहले कार्य संचालन होता है कार्यकारिणी में उसके बाद लेजिस्लेचर में बात आती है। फिर जुडीशियरी अपने निर्णय के लिये उसे देखती है।

जब से संविधान की रचना हुई है तब से आज तक न जाने उसमें कितने संशोधन किये गये हैं। अन्य देशों में संविधान में भी संशोधन किये गये हैं। संविधान नियम संशोधन यह कोई ऐसे स्थायी तत्व नहीं हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिये उनसे संबंधित नियम, कायदे, कानून जो हैं वह समय-समय पर बदलते रहते हैं, उनमें तब्दीलियां होती रहती हैं। आपको एक उदाहरण दूं कि अभी लोक सभा में एक आर्डिनेन्स आया, राज्यसभा सत्र में नहीं थी, चली गयी थी और लोक सभा सत्र में थी। इसके बाद भी ऐसी परिस्थितियों में एक आर्डिनेन्स आया और हमारे यहां तो विधान परिषद् नहीं थी, एक सभा सत्र में थी, तो हम उस आर्डिनेन्स को लाये थे, तो यह कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया गया था। जहां तक राजभाषा का प्रश्न है, हम न्यायपालिका के फैसले को देखेंगे। हमने जनता के हित में, लोक हित में इसको रखते हुए सर्वप्रथम निर्णय लिया था कि हम उसको देखेंगे। हम अपने यहां किसी तरह से शासन का, विधान सभा के गौरवान्वित सदन का, सबका संचालन ढंग से किस तरह से हम अपने मन्तव्यों का प्रयोग कर सकें, इसका प्रयास हम करेंगे।

## उ0 प्र0 अष्टम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1983-84) का षष्ट प्रतिवेदन†

श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण—

माननीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1983-84) का षष्ठ प्रतिवेदन, जो प्रदेश में सीपेज समस्या और उसके निराकरण के संबंध में है प्रस्तुत करता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, चार-चार बार सप्लीमेन्टरी बजट आये हैं। इसे नियम 216 के अन्तर्गत इसकी डिबेट को शामिल कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, करा लेंगे।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग, अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग, अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग, अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 53—विधान परिषद् सचिवालय अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय, अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 69—सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक उद्यम विभाग

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

29,17,00 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,37,68,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होन वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,45,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश तथा आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53—विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश तथा आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54—विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,85,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,19,18,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,11,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या--70 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

इन मदों पर चर्चा के लिये मैंने निर्णय इस प्रकार से लिया है । नेता सदन--1 घंटा, नेता विरोधी दल--1 घंटा, अन्य नेतागण--आधा घंटा तथा अन्य सदस्य--10-10 मिनट । मैं चाहता हूं कि 4 बजे तक यह समाप्त हो जाना चाहिए ताकि जो और कार्यक्रम हैं उसे हम 5 बजे तक समाप्त कर सकें । उसके बाद जैसी आवश्यकता सदन में होगी उसी समय और निर्णय लिया जा सकेगा ।

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है--गृह विभाग का, सामान्य प्रशासन का, सार्वजनिक उद्यम का, उद्डयन विभाग का और अन्य विभागों का--उसमें मैं समझता हूं कि हमारे माननीय विधायक मुख्य रूप से गृह विभाग सार्वजनिक उद्यम विभाग और सामान्य प्रशासन, ये ऐसे विषय होंगे जिन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। मैं चाहूंगा कि जो हमारे माननीय नेता विरोधी दल, अन्य नेतागण तथा हमारे इस पक्ष के और उस पक्ष के सदस्यगण अपने विचार व्यक्त कर लें तब जो सामान्य रूप से उत्तर देने की बात है और जो व्यक्तिगत या विशेष रूप से कोई बात उठायी जाय उसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा । अभी इसको रखते हुए मैं केवल आपका थोड़ा सा समय प्रारम्भिक रूप में लेना चाहूंगा । इसी दृष्टिकोण से मुख्यतः गृह विभाग हमारे इस पक्ष के लोगों का, आपका और स्वतः शासन का भी बहुत बड़ा कंसर्न होता है, जिक्र की बात होती है और उसके निर्णय और कार्यान्वयन में परेशानी की बात होती है, उसके सम्बन्ध में आपका ध्यान जायेगा । उस पर जब आप बात करें तो उसका एक थोड़ा सा आयाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । अगर आप इसको मुनासिब समझें तो इस पर भी दृष्टि डालें, ध्यान दें । क्योंकि गृह विभाग की स्थापना मात्र सुरक्षा के लिये, आन्तरिक सुरक्षा के लिये हुयी थी । आज भी गृह विभाग की स्थापना उसके लिये है । लेकिन आज कहीं भी कोई भी अपने कर्तव्य का पालन न करे तो अन्ततोगत्वा वह समस्या गृह विभाग के पास आ जाती है । जैसे कहीं किसी की तनख्वाह का वितरण नहीं हुआ तो वह गृह विभाग के पास आ जाय और अन्त में वह समस्या वहां चली गयी । कहीं किसी सार्वजनिक जीवन में या पढ़ाई में इम्तहान नहीं हुआ तो वह समस्या घूमते-घूमते गृह विभाग के पास चली गयी । कहीं पर परिवह

व्यवस्था ठीक से नहीं हुई तो वह गृह विभाग के पास चली गयी और कहीं किसी राजनीतिक क्रिया कलाप में आपने कोई बात उठायी तो वह गृह विभाग में आ गया। तो इस तरह के दायित्वों का निर्वहन भी गृह विभाग को करना पड़ता है। जो कि उनके अच्छे और बुरे कामों से सम्बन्धित नहीं है मगर कहीं कोई अच्छा या बुरा काम करे तो घूम फिर कर यह बात उनके ऊपर आती है। तो इस पक्ष को देखते हुए उनकी कार्य-प्रणाली पर आप विचार करेंगे।

दूसरा हमारी जो प्रदेश की आबादी है वह क्या है और हमारी पुलिस पर खर्च क्या कर रहे हैं, हमारे प्रदेश में क्राइम का औसत भारत वर्ष के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में क्या है, इन बातों को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपने सुझाव देंगे।

जहां तक सार्वजनिक उद्यमों की बात है आमतौर से यह बात आपने भी और हमने भी कही कि जो कार्य ठीक से नहीं करते हैं उनको बन्द कर दिया जाय। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि 57 हमारे उद्योग निगम हैं जिनमें से केवल 8 ऐसे हैं जो उत्पादक निगम हैं बाकी उत्पादक निगम नहीं हैं बल्कि किसी न किसी समस्या के समाधान के लिए बनाये गये हैं। जिनका सामाजिक, राजनैतिक या आर्थिक उत्थान और दूसरे उद्देश्यों के लिए, या सामाजिक सुधार के लिए बात उनसे सम्बद्ध है इसलिए उनसे धनलाभ की बात करना सम्भव नहीं हो सकता। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो घटनायें होती हैं उनको भी ध्यान में रखकर बात करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि जो घटनायें हुईं जिनको आप सदन में लाये उनके बारे में सरकार का क्या रुख रहा, कोई कार्यवाही की या नहीं की, तत्काल आपकी बातों पर ध्यान दिया या नहीं दिया, जो घटनायें हुईं उनको रोकने का प्रयास किया या नहीं किया। तो बहुत से ऐसे पक्ष हैं जिन पर मैं समझता हूं आप विचार करेंगे।

इसके साथ-साथ में एक बात बहुत दबी जुबान से कहना चाहता हूं उस पक्ष को भी जरा देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा दल जो इस विधान सभा के अलावा या लोग दूसरे तीसरे लोग भी ऐसी समस्यायें नहीं पैदा करते हैं जो हमारे समाज और शासन के लिए समस्यायें पैदा करते हैं जिनमें गृह विभाग को बिना वजह परेशान होना पड़ता है, और कोप भाजन होना पड़ता है। तो इन सब बातों को देखते हुए जैसा आपने समय दिया है उस समय में से मैं चाहूंगा केवल 45 मिनट लूंगा और शेष 15 मिनट और माननीय सदस्यों को आवंटित कर दिया जाय।

*श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—24 नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 64—सचिवालय प्रशासन विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65—सतर्कता विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69—सामान्य प्रशासन विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक उद्यम विभाग में सम्पूर्ण—अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने अपने बड़े संक्षिप्त भाषण में हलांकि यह स्वीकार करते हुए कि यह बजट या उनसे सम्बन्धित यह गृह विभाग देश के हर नागरिक के जनजीवन से सम्बन्ध रखता है, अधिक प्रभावी है और अति आवश्यक विभागों में से एक है । समाज की संरचना को बताये रखने के लिये भी अतिआवश्यक है और इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है । लेकिन मुख्य मन्त्री जी शायद दिल्ली में अधिक

हाजिर रहने के कारण वह पूरी तैयारी से नहीं आ पाये और अपनी बात को 15 मिनट में कहने का प्रयास किया। मान्यवर, उन्होंने एक बात बड़ी होशियारी से स्वीकार किया, मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूं, कि उन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि देश के अन्दर ही क्योंकि स्थिति खतरनाक होती जा रही है, हर जगह स्थिति सामान्य नहीं, असामान्य स्थिति है इसलिये ऐसी परिस्थिति में यह होना स्वाभाविक है, यह स्वीकार कर लिया।

मैंने जो प्रस्ताव कटौती के लिये रखा वह इसीलिये है जिसमें मैं बताना चाहता हूं कि गृह विभाग की जो कार्य प्रणाली है वह दोषपूर्ण है। आपसे सम्बन्धित, जो अनुदान से सम्बन्धित विभाग है उसकी कार्य प्रणाली दोषपूर्ण है, उसको मुख्य मन्त्री ने मान लिया, यह कहकर कि पुलिस के पास अपने उत्तरदायित्व से अधिक जितने भी और सब विभाग हैं चाहे शिक्षा का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे राजनैतिक लोगों को हो, चाहे वकीलों का हो या परिवहन विभाग हो, वहां भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ता है। मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आजादी के बाद इन समस्याओं को उत्पन्न करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं तो किस की है। यदि यह स्थिति उत्पन्न हो गयी कि देश का कोई विभाग, देश का कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, तो आपने उसको यह नहीं सिखाया 35 सालों के शासन में, देश के प्रेम और चरित्र निर्माण की भावना को नहीं जगाया तो इसकी जिम्मेदारी आपकी आती है। इस समस्या का उत्पन्न होना और फिर पुलिस पर उसका भार पड़ना, यह स्थिति, इसकी जिम्मेदारी नेता सदन की और उसकी सरकार एवं उसके दल की है, यह विपक्ष की नहीं है।

मान्यवर, वैसे आपने स्वीकार कर लिया लेकिन हमारे पास एक पत्र है, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष, श्री सुखदेव जी का, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को पत्र भेजा है। उन्होंने इस पत्र में स्वीकार किया है कि इस समय देश की स्थिति बहुत भयानक, विस्फोटक, और खतरनाक है, वही मैं कहना चाहता हूं। मेरी सब बातों को, कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा लेकिन इस पत्र के बाद, शायद बोलने की आवश्यकता नहीं। जिस बात को विपक्ष कह रहा है कि आज देश और प्रदेश में बड़ी भयानक और विस्फोटक स्थिति हो चुकी है, अराजकता हर जगह फैली हुई है, कहीं भी शासन का नियन्त्रण नहीं है और कोई भी व्यक्ति अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर रहा है। इस स्थिति को आपके पार्टी अध्यक्ष ने भी इस पत्र के द्वारा स्वयं स्वीकार कर लिया है। आशा यह की जाती है कि आप पर बहुत बड़ा कार्यभार है, तो जो पुस्तिका आप बांटेंगे कम से कम उसमें सही तथ्य दिये जायेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर व्यक्ति आपके शासन में निरंकुश हो चुका है, कोई अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहा है।

मैं आपके सामने तथ्य दे रहा हूं, इस पुस्तिका (उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यकलापों तथा उपलब्धियों का विवरण, वर्ष 1983) में पेज नं0 12 पर अपने दर्शाया है कि हसायन की पुलिस ने एक दस्यु भूरा को मारा है। इस विषय को लेकर एक बहुत बड़ी कन्ट्रोवर्सी अलीगढ़ में पैदा हो गई है। आपके दल की माननीया सदस्य अलीगढ़ ने भी उस पर आपको ध्यान दिलाया है। दस्यु भूरा को मार देने की बात दो थानों ने डिफरेन्ट डेट्स में कही है। पहले हसायन थाना की पुलिस ने कहा कि उसने भूरा नामक डकैत को मार दिया है, उसकी लाश भी प्राप्त हो गयी है, शिनाख्त हो गयी है और उसके आधार पर पुलिस ने पुरस्कार भी ले लिया। उसके बाद थाना सिकन्दरा राऊ की पुलिस ने वास्तविक भूरा को मार दिया

(व्यवधान) जब हसायन की पुलिस ने भूरा को मारा तो उसमें पाया गया कि एक्चुअल वस्तु भूरा को सिकन्दराऊ की पुलिस ने मारा था, हसायन की पुलिस ने नहीं। जबकि हसायन की पुलिस ने उसको मारने की बिना पर रिवार्ड पाने की कोशिश की और आपने भी उसे यहां स्वीकार कर लिया, भले ही वह बाद में रुक गया हो। तो जिसने इसको बताया है, उसने उसमें इस तथ्य को सही नहीं दिया है ... (व्यवधान) हम तो यही करते हैं कि हांडी के चावल के एक दाने को उठा लेते हैं और उससे सारे चावलों के बारे में जान लेते हैं। हमने इस पुस्तिका की एक ठोस चीज बता दी कि वह आपकी बात भ्रामक और गलत है।

श्री चेतराम गंगवार—

क्या दोनों आदमी भूरा नहीं थे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, तथ्य की बात कर रहा हूं। मैंने कहा हर जगह अशान्ति है। इसमें आपके यह कहने की कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारे पास दायित्व बहुत हैं, इसलिए अशान्ति है। आप अत्यधिक दायित्वों का बहाना करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। चाहे विद्यार्थी हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे राज्य कर्मचारी हों, चाहे वकील हों, चाहे व्यापारी हों या अन्य कोई व्यक्ति हों, सभी अशान्त और उद्वेलित रहे हैं। कहीं न कहीं किसी प्रकार का आन्दोलन चलता रहा है। आप यह कह कर नहीं बच सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रदेश है। आपको इस पर नियन्त्रण करना है और आप अपने को इसमें सक्षम नहीं पाते हैं तो आप कह सकते हैं कि प्रदेश बहुत बड़ा है, इसे हम नहीं संभाल सकते हैं और आप किसी दूसरे को प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। लेकिन यह सब आपके सोचने की बात है, आपकी पार्टी का मामला है, इसका कोई उत्तर-दायित्व हम पर नहीं है।

सैनी साहब यहां नहीं हैं, सैनी साहब की पत्नी ट्रेन में आ रही थी, लुट गई, डी0 आई0 जी0 साहब की पत्नी लुट गयी, राज्य मन्त्री पशुधन की पत्नी लुट चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मगरासा का इतना बड़ा काण्ड हो गया, उसमें एक साल हो गया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पिछले वर्ष जब गृह विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी, मगरासा काण्ड हुआ था, एक साल हो गये, सारी सी0 आई0 डी0 लगा दिये जाने के बाद भी अपराधी नहीं पकड़े जा सके, यह पता नहीं लग सका कि किनके द्वारा किस प्रकार पूरे परिवार की हत्या कर दी गयी।

मान्यवर, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की पत्नी को भी लूटा गया, जब उक्त व्यक्तियों के साथ ऐसी घटनायें होंगी और उनकी सुरक्षा नहीं हो पायेगी उसकी जांच कोई नहीं हो पायेगी, तो सामान्य नागरिक की क्या हालत होगी, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं।

मैं इस बात को मानता हूं कि पुलिस के ऊपर बड़ा भारी भार है, पर आपने उत्तरदायित्वों को पुलिस को ही निर्वहन करना पड़ेगा अन्य किसी को नहीं। अब यह आपका काम है कि उनकी संख्या को कितना बढ़ायें। प्रदेश के अन्दर सामान्य जन जीवन की सुरक्षा का दायित्व पुलिस का ही है। कहीं चूक होगी तो हमें मौका मिलेगा। पूरा पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है मैं ऐसा नहीं कहता, मगर एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है।

मान्यवर, हाथरस में एस0 आर0 टी0 सी0 में झगड़ा हुआ, वहां चक्का जाम हुआ, मेरी दृष्टि से वह कोई अच्छा काम नहीं हुआ. मगर पुलिस ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। पुलिस को बल का प्रयोग कब और किस सीमा तक करना चाहिए यह सोचना पड़ेगा। पुलिस हमारी रक्षक है, भक्षक बनने का प्रयत्न अगर करेगी तो यह प्रदेश के लिए

अच्छी बात नहीं है। उससे समस्या बढ़ती जायेगी, हल नहीं होगी। पुलिस वहां इतनी निरंकुश हुई कि उसने दो रोडवेज कर्मचारियों को बस की छत पर से नीचे फेंक दिया, एक की रीढ़ की हड्डी टूट गयी, एक के 4-5 फ्रेक्चर हैं। मैंने स्वयं उनको जा कर देखा है। आपके दो-दो मन्त्री, एक माननीय गुलाब सेहरा जी, आगरा में बैठे रहे, दूसरे माननीय शर्मा जी, जो बुलन्दशहर में बैठे रहे और अलीगढ़ की घटना होती रही, टेलीफोन पर तो आप बात करते रहे, पर मौके पर नहीं गये, अगर जाते तो उस घटना का कोई निदान हो सकता था।

मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको, जब भी इस प्रकार की घटनायें हो जायें तो तुरन्त कोई तरीका उसके हल का निकालना चाहिए। पुलिस और रोडवेज के कर्मचारी, दोनों ही आपके कर्मचारी हैं, अगर दोनों में टकराव होता है तो आपको उसका कोई हल निकालना चाहिये। एस0 आर0 टी0 सी0 वैसे ही आपकी नुकसान में जा रही है, इसके कारण आपका नुकसान और हुआ।

एक और भयानक बात हुई। गोंडा में थाना साबुल्लानगर है, वहां फरवरी मास में समता विद्यालय के हेड मास्टर ने कुछ अपराधियों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किये। वे गाय का मांस बेच रहे थे। मेरी जो सूचना है वह मैं दे रहा हूं, ईश्वर करे वह गलत निकले, पता आप लगवा लें, आपके (कांग्रेस आई) के ही एक विधायक ने इन्टरवीन करके, हस्तक्षेप करके, जो अपराधी पकड़े गये थे उनको छुड़वा दिया और उनकी जगह दूसरे निर्दोष आदमियों को पुलिस ने बन्द कर दिया। स्कूल की इमारत तोड़ी गयी, वे लोग आपके पास आयेंगे मान्यवर, आप उसे देख लें। मुझे यह भी बताया गया है कि जो हेड मास्टर साहब थे उन्होंने कोई कपड़ा या कुर्ता खून से सन गया था गाय के मांस आदि से, वह भी आपके पास भेजा है, शायद आपके पास आया हो, हो सकता है अभी न आया हो, लेकिन वह आपके पास भेजा गया है। मैं चाहूंगा कि आप जो पेटीशन कमेटी है इसको उस तक भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

हमारे पास नहीं आया है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

नहीं आया है तो दूसरी बात है लेकिन मान्यवर, मुझे सूचना है कि आपके पास भेजा गया है। तो मुख्य मन्त्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति विशेष हमारी व्यवस्था और शान्तिपूर्ण वातावरण को विचलित करें, उसके अन्दर कोई गड़बड़ी करे तो आपका प्रयास होना चाहिये कि ऐसे मामले को सख्ती से रोकने का प्रयास करें। अभी राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने एक प्रश्न उठाया था। मेरा आपसे निवेदन है कि एक उर्दू का जो प्रश्न आया वह बहुत सेंसिटिव प्रश्न है। मैं उस दिन सदन में नहीं था। जो कुछ प्रोफेसर बासुदेव सिंह ने कहा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा लेकिन ऐसे सेंसिटिव प्रश्न पर, हो सकता है कि आप हमारे राष्ट्रीय पूर्वजों, नेताओं की गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हों, यह आपका आउटलुक है। उन्होंने हिन्दी को देश और प्रदेश की, राजभाषा बनाया। हो सकता है उनसे गलती हुई हो और आप उसका सुधार कर रहे हों। लेकिन मेरा निवेदन है कि जो ऐसे सेंसिटिव विषय हैं उनके सम्बन्ध में पहले हमें भी बुलाने का प्रयास करें। क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो भी राष्ट्रीय प्रश्न होंगे, जो प्रदेश के अन्दर शान्ति-व्यवस्था बनाने के लिए प्रश्न होंगे, जनसाधारण से सम्बन्धित जो प्रश्न होंगे उनमें दृष्टिकोण हो सकता है कि आपसे डिफर करता हो लेकिन एक बार ऐसे सेंसिटिव विषय पर हमसे बात चीत कर लिया करें। पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, भेड़िया आया निकल गया, भेड़िया उधर आया निकल गया। कई

बार ऐसा हुआ, ऐसी बातों से जो हमारे दोनों बहुसंख्यक समुदाय हैं उनमें टेंशन क्रियेट होता है।

मैं नहीं चाहता कि टेंशन क्रियेट हो तो उचित यह होगा कि ऐसे मसलों पर आप सभी लोगों को, बाहर के लोगों को दोनों समुदायों के लोगों को और जो विद्वेष फैलाना चाहते हैं, आप बुलावें तो कोई ऐसी चीज अवश्य निकल सकती है कि इसका तरीका क्या हो। उर्दू में गजट पहले भी निकलता है ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन आप वोट की राजनीति करना चाहते हैं तो यह दुखदायी प्रश्न है। आप वोट की राजनीति करने का प्रयास न करें। आपने कहा कि उर्दू में एप्लीकेशन दी जाय और उसका ट्रांसलेशन हिन्दी में दिया जाय। तो पहले वकील 5 रुपये उर्दू में लिखने के लेगा और फिर कहेगा कि हिन्दी में करने के 5 रुपये और दो। तो इस तरह से आपने उस व्यक्ति पर जिसका काम 5 रुपये से चल जाता उस पर 10 रुपये की पेनाल्टी डाल दी। मेरा निवेदन है कि आपको कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिये इस प्रदेश के अन्दर कि जिससे संविधान की जो भावना है उसको ठेस पहुंचे। जो संविधान के अन्दर चीजें निहित हैं उनका पालन होना चाहिये और विद्वेष की भावना को फैलाने का प्रयास न करें ताकि प्रदेश का जनजीवन प्रभावित न हो पाये।

मान्यवर, अधिक तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मुझे कहना पड़ेगा। मैं कटु आलोचना कर रहा हूं लेकिन शासन की जो कुछ उपलब्धियां हैं मुझे उनका भी बखान कर देना चाहिये वरना शायद आपको तकलीफ होगी। एक प्रयास यह हो रहा है, नेता सदन ने एक बार सदन में कहा था कि वह अपने परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनका अच्छी तरह से और दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। यह एक अच्छी परम्परा आप डाल रहे हैं इसको आप जानें। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, मुझे दुख इस बात का है कि जब आप कार्यप्रणाली में इतने नीचे उतर आयेंगे तो मुझे भी कमेन्ट उस लेविल पर आकर करना पड़ेगा। मैं पहली बार यह चार्ज लगा रहा हूं कि बिरादरीवाद में, एक बिरादरी विशेष को आप ऊंचाई पर ले जा रहे हैं और प्रदेश के अन्दर बिरादरी वाद का बोलबाला हो रहा है। हो सकता है कि यह सुनकर आपको कष्ट हो। मान्यवर, आपको याद होगा कि इस प्रदेश में डी0 जी0 (डायरेक्टर जनरल) की जो जगह है, डेली वेजेज पर दो-तीन महीने तक एक व्यक्ति चलता रहा। शायद काफी प्रयास किया कि गौड़ या सरयूपारी ब्राह्मण मिल जाय, लेकिन न मिल पाया, तो कान्यकुब्ज से समझौता करके चतुर्वेदी साहब आये, उनके बारे में मेरी अच्छी राय है, शायद किन्हीं परिस्थितियोंवश यह करना पड़ा। मान्यवर, पुलिस मुख्यालय है, आपके पूरे प्रदेश का जहां से नियन्त्रण होता है, जहां से ट्रांसफर और पोस्टिंग डील होती है, जहां से आपके पूरे अधिकारी डील होते हैं, चाहे आई0 जी0 हों, चाहे एस0 एस0 पी0 हों, वह भी एक ही बिरादरी विशेष से सम्बन्ध रखते हैं। मेरा कोई ऐसा तात्पर्य नहीं है शिकायत करने का, लेकिन जो जनसाधारण को दिखाई पड़ा कि यहां पर जो एक विशेष बिरादरी की बात चली आ रही है, उससे आपकी छवि पर असर आयेगा। मान्यवर, मैं तो इन्सटेंस देकर बोल रहा हूं। अगर मेरे इन्सटेंसेज में कोई गलती हो, तो ये बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे, जो कि व्यवधान के मध्य सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये। बैठिये, बैठिये

आप लोग कोई टोका-टिप्पणी नहीं करेंगे । आप लोग बैठिये । आप लोग क्यों बोल रहे हैं ? मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप लोग बैठिये ।

श्री विजय सिंह राना--

इनका स्क्रू ढीला है ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर कुछ कहने लगे)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

प्रदेश में नियुक्ति सचिव होते हैं, जो कि ट्रान्सफर-पोस्टिंग डील करते हैं । मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं है, उनके व्यवहार में कोई गलती नहीं है, लेकिन शंका पैदा करता हूं कि नियुक्ति सचिव का पद इतने दिनों से रिक्त पड़ा हुआ है, लेकिन आप काम चला रहे हैं, विशेष सचिव से, आप चाहे कहें कि मेरे ही मन का उद्वेलन है, लेकिन नहीं, पद को तो अपग्रेड किया गया है, लेकिन डाउन ग्रेड करने की परिपाटी आप ही करते हैं । जो व्यक्ति वहां पर है, उससे सीनियर लोगों की फाइल वहां पर डील होती है । मैं नहीं कहता, लेकिन यह कहने का भी मौका न दें, ताकि लोगों को कुछ सोचने का मौका मिले ।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

काबिल आदमी मिलेंगे, तो रखे जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

पिछली बार मैंने मिर्जापुर की एक सूची पढ़ी थी, आज मथुरा की पढ़ रहा हूं । जिलाधिकारी श्री बृहस्पति शर्मा, ए0 डी0 एम0 श्री बाजपेयी, पुलिस अधीक्षक श्री एच0 पी0 शुक्ला, सी0ओ0 सिटी श्री पांडेय, कोतवाल श्री एस0 के0 शर्मा हैं । मान्यवर, मैं नहीं कहता कि इनको अधिकार नहीं है, जब सर्विस के अन्दर हैं, तो उनकी कहीं न कहीं पोस्टिंग होनी है, लेकिन आप ऐसी कोई चीज न करें कि किसी को कुछ कहने का मौका मिले कि ऐसा कुछ हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग क्यों खड़े हो रहे हैं ? आप लोग बैठिये । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर हरिजन अधिकारी भी हैं, लेकिन किसी भी हरिजन अधिकारी को इस सचिवालय में पोस्ट नहीं किया गया । इस सचिवालय में जहां पर नीति निर्धारण होती है, वहां पर किसी भी हरिजन अधिकारी को पोस्ट नहीं किया गया है, सिवाय एक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव को छोड़ कर, पूरे सचिवालय के अन्दर कोई भी अधिकारी हरिजन नहीं है, जबकि वे आपकी सर्विस में हैं ।

(11 बजे से)

सबको कमिश्नर बना दिया गया है । वहां एक माता प्रसाद जी का नाम लाया गया तो उनको सचिवालय नहीं दिया है आपने कुछ उद्यम ब्यूरो में दिया है । नीति विधान में यह बात आती है कि हरिजन के हिमायती हैं....

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप सब बैठ जायें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि उन्हें अनुसरण करना चाहिये में अनुसरण की

बात नहीं कह रहा हूं । मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी मैंने सदन में कहा था कि वर्तमान जो प्रशासन प्रणाली है वह दोषपूर्ण है । इस प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिये था । अन्तर आना चाहिये था । यह मैंने पिछली बार कहा था । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो कि आपकी नेता और देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी ने नवम्बर में दिल्ली में इस चीज को स्वीकार किया और अपने भाषण में कहा, जो लोग उनके बीच थे उनको भाषण देते हुए कहा कि आजादी के बाद से दो बहुत बड़ी कमियां हो गईं । एक तो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन नहीं हुआ दूसरा शासन प्रणाली को नहीं बदला । मैंने पिछली बार कहा था....

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, आपको पता होना चाहिये, बहुत से परिवर्तन आ गये हैं । श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित चले गये । बड़ी तब्दीलियां हुई हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, भाषा में अन्तर हो सकता है । मन भी वही बात कही थी, जो बाजपेयी जी ने कहा था, तो इसमें भाषा अलग हो सकती है । मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश की प्रणाली को आपको सही करना है, प्रदेश को आगे ले जाना है, तो यह तो हो सकता है कि आपके आई० ए० एस० जो भारतीय सेवा के अधिकारी हैं उनमें अन्तर नहीं कर सकते । लेकिन आपने जो यहां की सेवा के अन्दर जो मनोयोग है, मनोविज्ञान है उसमें परिवर्तन करना चाहिये । सभी लोग कहते हैं इस प्रदेश की 80 फीसदी जनता गांव में रहती है । यह स्टडी की है सत्यव्रत पांडेय ने, जो विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं । उन्होंने लिखा है कि नौ प्रतिशत....

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

हमसे क्यों पीड़ित हैं ? यदि पीड़ित हों तो चौधरी चरण सिंह जी से पीड़ित हों । हमसे क्यों पीड़ित हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप इस प्रकार से टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मेरा इन्टेशन तो नहीं था, न मैंने ऐसी बात कही । मान्यवर, मैंने सबका सम्मान किया है । मैंने तो ऐसा कहा कि भावी प्रशासन ऐसा होना चाहिये कि इधर के व्यक्ति एहसास न कर पायें । मैंने न तो लांछन लगाया है, न कोई इस तरह की बात कही है । मैंने तो प्रक्रिया दी है, अगर प्रक्रिया को देखेंगे तो अच्छा रहेगा । जहां 80 फीसदी लोग गांव में रहते हैं । 9 प्रतिशत लोग सरकारी सेवा में ऐसे हैं जो गांव से आते हैं । 91 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं । मान्यवर, मैं उनकी नीयत पर शंका नहीं कर रहा हूं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं गांव की क्या परेशानी है उनका निराकरण कैसे हो सकता है, उनको किस समय किस चीज की आवश्यकता होती है, इसका आपको किताबी ज्ञान हो सकता है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं है । इस बेसिस पर व्यवस्था करना आपके लिये कठिन हो जायगा । आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कोई तरीका ऐसा जरूर निकालें कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिक से अधिक व्यक्ति अधिकारी बनकर हमारे प्रदेश के अन्दर प्रशासनिक सेवाओं में आ सकें । इसके लिये कोई प्रणाली निकालें । इसके लिये दो प्रणाली हो सकती हैं या तो बंटवारा करें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में या साधारण तरीके से । यह कई बार आया कि शिक्षा समान होनी चाहिये । उस पक्ष के भी सभी लोगों ने कहा कि शिक्षा सबको एक समान स्तर की मिलनी चाहिये, उसका

स्तर समान होना चाहिये । आपके शिक्षा मन्त्री ने कहा कि पाठ्यक्रम एक बना दिया, पेपर्स एक बना दिये, और अपने किसी उत्तरदायित्व से दूर हो गये ।

मेरा कहना यह नहीं है । शिक्षा होती है बच्चों के बौद्धिक विकास के लिये । अतः उनके बौद्धिक विकास के लिये समान अवसर मिलना चाहिये । ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब के बच्चे रहते हैं और जो शहर के मालदार व्यक्तियों के बच्चे हैं, उनको समान अवसर मिलना चाहिये । उनको आप समान अवसर दीजिये । दोनों बच्चों की बुद्धि का समान विकास होगा तो वे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी कम्पीट कर पायेंगे । मालदार के बच्चे कान्वेंट में अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे तो गांव के टाट पट्टी पर बैठने वाले बच्चे उनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे । ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं जानते कि उनके बच्चे किस स्कूल में किस क्लास में पढ़ते हैं । शहरी क्षेत्र के लोग जानते हैं कि बच्चे किस स्कूल में हैं और क्या पढ़ रहे हैं । लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग यह नहीं जानते कि उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कहां किस स्कूल में पढ़ रहे हैं । वे केवल इतना जानते हैं कि कहीं किसी स्कूल में, कालेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं । उनका विषय क्या है, क्लास क्या है, यह कुछ नहीं जानते । जब वे यह नहीं जानते तो कैसे वे उन शहरी क्षेत्र के लोगों के स्तर तक पहुंच कर कम्पिटीशन में उनको कम्पीट कर पाएंगे, उन शहरी क्षेत्र के लोगों के स्तर तक जिनको अच्छा अवसर मिला, अच्छी गाइडेंस मिली । आपको इसमें कोई तरीका निकालना होगा । पिछले 35 सालों में न जाने कितने आयोग बैठे, कमीशन बैठे, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट होती है, रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है । इस प्रदेश की जनता ने, शासन ने बहुत कुछ खोया है । आप आने वाली पीढ़ी के लिये नियम बनाने का प्रयास करें ताकि दोनों क्षेत्रों में शिक्षा के समान अवसर मिलें, तभी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी प्रशासनिक सेवाओं में आने का अवसर मिलेगा । कोआर्डिनेशन की बात आती है, हर जगह आती है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समान शिक्षा मिले तो वह भी कोआर्डिनेट कर सकते हैं ।

आज हो यह रहा है कि जिसका उत्तरदायित्व है, उसको अधिकार नहीं है और जिसको अधिकार है, उसका उत्तरदायित्व नहीं है । हर स्तर पर चाहे कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ले लीजिये हरिजन विभाग है, वहां हरिजन अधिकारी हैं, सभी विभागों में अधिकारी हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कोई उत्तर-दायित्व नहीं है, लेकिन उसको उन विभागों का अधिकार दे रखा है और जैसे राष्ट्रीयकरण की परियोजना होती है, उसी तरह से विकेन्द्रीकरण करने की जगह पर केन्द्रित करने की नीति आ रही है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इन्ट्री करने का, चरित्र पंजिका में जिनके बारे में ज्ञान नहीं है, अधिकार दिया जा रहा है । उनको हर क्षेत्र में अधिकार है । मैं यह नहीं कहता कि उनकी योग्यता में विश्वास नहीं है, लेकिन व्यवहारिक अनुभव का उनमें अभाव है । जो बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलीजेन्ट होते हैं, वे साइन्स लेते हैं इंजीनियर, डाक्टर आदि बनना चाहते हैं, बाकी जो बचते हैं वे इसमें आते हैं । अब तो ठीक है साइन्स इत्यादि के लोग भी कम्पटीशन में आ रहे हैं, ठीक है । लेकिन जो आपके अपने विभाग के अधिकारी हैं, उनका सहयोग लीजिये, उनके कोआर्डिनेशन से काम लीजिये । और जो अन्तर तथा विषमता आज होती चली जा रही है, वह विषमता खत्म हो जायेगी, यह मेरी मान्यता है ।

मान्यवर, एक बात और आती है, वह है एपाइंटमेंट । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जब जनता सरकार

आयी थी, तो कांग्रेस सरकार ने जिन हजारों लोगों का एपाइंटमेन्ट किया था, तो उसने एक नियम बना दिया कि जिन व्यक्तियों को कार्य करते हुए 3 साल हो चुके हैं, उनको रेगुलर कर दिया जाय और आगे एडहाक एपाइंट-मेन्ट बन्द कर दिये जायें। शायद इस सरकार ने भी उस नियम को परिवर्तित नहीं किया। माननीय मुख्य मन्त्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में एक नहीं अनेक विभागों में बगैर विज्ञापन किए हुए और बगैर एप्लीकेशन्स मांग हुए, आपके अधिकारी नियुक्तियां करते चले जा रहे हैं आपके मिनिस्टर्स नियुक्तियां करते चले जा रहे हैं, यह एक भयंकर स्थिति है, कृपया ऐसा न करें।

मान्यवर, जहां तक समान अवसर देने वाली बात है, तो नियुक्तियों के लिए विज्ञापन होना चाहिए और उसके लिए एप्लीकेशन्स मांगी जानी चाहिए, और उसके बाद नियुक्ति हेतु छंटनी की जानी चाहिए। आप अपने ही सचिवालय को देख लें, इस सचिवालय के अन्दर हजारों एल0 डी0 ए0 के एप्वाइन्टमेन्ट हुए हैं और पिछले ही दिनों हुए हैं। इसके लिए न तो कोई एडवरटाइजमेन्ट किया गया और न ही कोई एप्लीकेशन्स मांगी गयी। यही नहीं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी नियुक्तियां हो रही हैं। उसके बाद आप लोक सेवा आयोग को कहते हो कि इतने पदों को आप परीक्षा लेकर भरिये। वह विज्ञापन करता है, किन्तु जो आपने एपाइन्टमेन्ट किए हैं, उनके लिए आप 50 प्रतिशत प्रमोशन पहले ही रख लेते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि यह गलत हो रहा है। जब एक नियम आपने बना रखा है कि समान अवसर मिलना चाहिए तो उसके लिए एडवरटाइजमेंट होना चाहिए और एप्लीकेशन्स मांगी जानी चाहिए अर्थात् सेलेक्शन का एक उचित प्रोसीजर होना चाहिए। यदि इस प्रकार हजारों व्यक्तियों का डाइरेक्ट एपाइन्टमेन्ट हो जाय, तो बाहर के लोगों को अवसर कैसे मिलेगा। आज ऐसा करने से नतीजा यह हो रहा है कि उनका स्तर गिरता जा रहा है।

मान्यवर, आप अपने ही सचिवालय को देख लें। यहां पर कई लोगों को, जो इस प्रकार नियुक्त किए गये हैं, हिन्दी में ड्राफ्ट तक बनाना नहीं आता है और उनको अंग्रेजी का एक शब्द भी लिखना नहीं आता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रकार अनैतिक ढंग से नियुक्तियां करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, जो बहुत ही दुखदायी है।

मान्यवर, पुलिस के बारे में यहां पर बहुत कुछ कह दिया गया है। मैं सिर्फ एक नियम बनाने वाली बात कहूंगा। अब आपके एपाइन्टमेन्ट्स का समय आ रहा है और ट्रान्सफर का समय आ रहा है और पोस्टिंग का समय आ रहा है। हमारे मंत्रियों तथा अधिकारियों का इसमें काफी समय वेस्ट होता है। इसलिए मेरा कहना है कि आप इसमें एक नियम बना दें। एक आपका जिला प्रशासन के लिए होता है, दूसरा, सी0 आई0 डी0 प्रकोष्ठ के लिए होता है, विजीलेन्स के लिए होता है, पी0 ए0 सी0 का होता है और रेलवेज का होता है। जब आप कभी किसी को सी0 आई0 डी0 में डाल देते हैं, तो हम पर और आप पर अनुचित दबाव पड़ता है। इसलिए आप इसके लिए एक नियम बना दें कि एक व्यक्ति इसमें इतने दिन रहेगा और इतने दिन इसमें रहेगा। इस प्रकार एक रोटीन आप बना दें ताकि जो अनुचित दबाव आप पर और हम पर पड़ता है वह भी समाप्त हो जायेगा।

हम सभी भुक्त-भोगी हैं। कम से कम महीने में मैं भी आपको 2-4 अप्लीकेशनें भेजता हूं कि आप इसे सी0 आई0 डी0 को मार्क कर दें। हालांकि मैं यह मानता हूं कि सी0आई0 डी0 में वही आदमी होता है, जो

पहले सिविल पुलिस में होता है। जनता का विश्वास उन पर तभी तक होता है, जब वे लोग सी0 आई0 डी0 में होते हैं और ज्यों ही वह सिविल पुलिस में आ जाता है तो उसका विश्वास खो जाता है। यह क्यों हो रहा है? आप कोई भी इसकी बाबत नीति बनायें, कोई नीति बना लें, या तो यह नीति बना लें, इस विभाग को अलग कर लें, या स्पेशल कैडर रखें। जो अगर चाहते हैं, स्पेशलाइज करना है, तो ऐसा कर लीजिए। आपकी परेशानी और हमारी परेशानी इससे बचती रहेगी। लोग इधर से उधर ट्रांसफर के लिये भागते हैं, उसके लिये चेष्टा करते हैं एक नीति बन जायेगी तो उससे आप भी बचेंगे, हम भी बचेंगे, यह निवेदन है।

एक नियम बना हुआ है विजीलेंस या सी0 आई0 डी0 में किसी अधिकारी की इंक्वायरी पेंडिंग होगी, तो उसका प्रमोशन इफेक्टेड नहीं होगा। मान्यवर, आप पता लगायें अपने स्तर से, अपने अधिकारियों से बात करें, 15-15 साल हो गये हैं, इन्क्वायरी पेंडिंग पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? वह इसलिए कि वह अधिकारी चाहता है कि जब तक वह रिटायर न हो जाये, उसको रिपोर्ट न आये। पैसा उसने कमाया है। यह प्रक्रिया आप कैसे दुरुस्त करेंगे, इसको आपको देखना होगा? विजीलेंस की इन्क्वायरी आप करा सकते हैं, विजीलेंस और सी0आई0 डी0 की इन्क्वायरी आप किसी अधिकारी के खिलाफ करा सकते हैं। लेकिन, इसमें आप पहले देख सकते हैं, यदि प्राइमाफेसी में 1-2 महीने में ही केस पता चल जाय, प्राइमाफेसी में केस सिद्ध हो रहा हो, तो उसका प्रमोशन नहीं होना चाहिये। मैं यह भी मानता हूं कि कभी-कभी गलत तरीके से इन्क्वायरी में मामला चला जाता है, संदेह में चला जाता है, मैं यह भी मानता हूं कि ऐसा हो जाता है। इन्क्वायरी पेंडिंग पड़ी रहे और उस व्यक्ति का प्रमोशन न हो, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये कि किसी व्यक्ति का मनोबल गिरे। लेकिन, अगर प्राइमाफेसी में यह बात सिद्ध होती प्रतीत हो रही है, तो आप यह कर सकते हैं। आप इस कार्य को करा सकते हैं। कोई तरीका निकाल सकते हैं। वैसे तो कोई तरीका इस देश में फुल प्रूफ नहीं बना है। लेकिन अगर आप इसकी बाबत कोई तरीका बनायेंगे, तो कुछ हद तक कामयाबी इसमें मिलेगी। जो अधिकारी करप्शन के केसेज में, भ्रष्टाचार के केसेज में दोषी हुआ है और उसकी इंक्वायरी वर्षों तक पेंडिंग रहे और उनका प्रमोशन भी होता रहे, इस प्रक्रिया को कैसे रोका जाय, इस पर आप थोड़ा विचार करें?

मान्यवर, इसके बाद कहना चाहूंगा कि यह जो आपके होमगार्ड्स हैं। इसकी बाबत एक एनाउन्समेंट हुआ था। शायद आपने किया था या आपके पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री जी ने किया था कि जो ड्यूटी पर मर जाते हैं, उनको वही ग्रेच्युटी, पेन्शन मिलेगी, जो सिविल पुलिस के लोगों को मिलती है। लेकिन, अभी तक उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। उसको देखने की कृपा करें, उसको कार्यान्वित करायें। इनके प्रमोशन के बारे में भी आप देखें, इनके प्रमोशन के रास्ते खोलें।

मान्यवर, आपके चार वर्ग हैं—दो प्रशासनिक सेवा के और दो पुलिस के। दो उसके हैं अखिल भारतीय सेवा के और दो प्रान्तीय हैं। मेरा निवेदन है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि प्रान्तीय सेवाओं में अखिल भारतीय सेवा की सप्लीमेन्टरी नहीं है। हो यह रहा है कि यह जो आई0 ए0 एस0 हैं, और यह जो पी0 सी0 एस0 है, पी0 सी0 एस0 वाले यह चाहते हैं कि उनको भी वरीयता मिलनी चाहिये लेकिन आई0 ए0 एस0 वाले कहते हैं कि पी0 सी0 एस0 को आई0 ए0 एस0 के समकक्ष नहीं आने दिया जाय। बीच में आपने 5-7

पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को किया भी था, लेकिन फिर आपको निर्णय बदलना पड़ा, उनके प्रेशर में आकर। प्रान्तीय सेवा आपके नियंत्रण की सेवाएं हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अखिल भारतीय जो सेवा है, वह आपके सीधे नियंत्रण में नहीं है। आपके सामने इनकी काफी मिसालें हैं भी, कुछ अधिकारी ऐसे थे, जिनके खिलाफ गम्भीर आरोप थे, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर पाये। वे या तो अपना किसी तरह से ट्रांसफर कराके गवर्नमेंट आफ इंडिया चले गये और बहुत से अधिकारी तो विदेश सेवा में चले गये। आप उनको ढूंढते ही रहे कि वह कहां पर हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। इन व्यक्तियों को और इन अधिकारियों को, जिनका उत्तरदायित्व भी आपके बीच है, जिन पर आपका भी नियंत्रण है, इनको बरीयता देनी चाहिये, इसमें आप प्रयास कीजिये। मैं कहना चाहता हूं कि अब फिर आपने कुछ इनकी बाबत किया है।

लेकिन उनके दबाव में आकर वह न रोकें। मेरा कहना है कि प्रान्तीय सेवा के लोगों को भी बरीयता दें आपने 6 पद पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को आप ग्रेड दिये हैं। लेकिन जहां तक मेरी सूचना है, पुलिस में आपने नहीं किया। वह आई0 पी0 एस0 और पी0 पी0 एस0 में एक झगड़ा चल रहा है। उनके प्रमोशन की बाबत आप विचार करें। लेकिन प्रमोशन आप ऐसा न कर दीजिए, कुछ रास्ता आपने निकाला था, वह बेकार सिद्ध हो रहा है, काम उसमें उनके पास कुछ है नहीं। जो असिस्टेंट एस0 पी0 की बात है, वह बिलकुल बेकार है, काम नहीं है। जब एस0 एस0 पी0, एस0 पी0, और हमारा एस0 एस0 पी0 बैठा हुआ है, असिस्टेंट एस0 पी0 जो है, उसके पास कोई काम नहीं है, सी0 ओ0 आ गया। प्रमोशन आपने दिये उनके फायदे के लिए, लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि कोई काम आप नहीं ले पा रहे हैं। तो, प्रमोशन भी दें, जब तक उसका यूजफुल परपज न हो, ऐसी मेरी मान्यता है। मान्यवर, अब चूंकि समय कम है इसलिये कई बातें छोड़ दूंगा, लेकिन दो बातें कहना चाहता हूं। आपका राज्य सेतु निगम है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। विदेशों में जो आपके कान्ट्रेक्ट्स हैं और जिनमें यह कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत घटा हो रहा है, यह सब डलफ किया जा रहा है। दफ्तर में आग लगा दी गयी और उसकी इन्क्वायरी भी उसी ने कर ली, जिसने 3 लाख रुपया एडवांस ले रखा था। इसके अलावा 20 करोड़ की मशीनें खरीदी गयीं, कोई टेण्डर नहीं दिया गया। इसमें बहुत बड़ा घपला है। मैं चाहूंगा महालेखाकार या अन्य किसी उच्चाधिकारी द्वारा जांच करा लें।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड है, यह बहुत खतरनाक बोर्ड बना हुआ है। वहां पर कुछ लोग प्रतिनियुक्ति पर हैं और कई-कई सालों से प्रतिनियुक्ति पर हैं। मेरे पास फोटो स्टेट कापीज हैं वहां के अधिकारियों द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं धोखाधड़ी से सम्बन्धित मामलों की, जिनकी जानकारी मैं पिछले तीन वर्षों से इस माननीय सदन को देता रहा हूं। मैंने दो-तीन एप्लीकेशन भी भेजीं मय फोटोस्टेट कापीज के। एक सिंचाई विभाग की इन्क्वायरी थी, जिसको सिर्फ 4 घण्टे में हो जाना चाहिये था, लेकिन एक साल में नहीं हो पायी। आपको भी पत्र लिखे, सिंचाई सचिव को भी कहा, चीफ सेक्रेटरी को भी पत्र लिखे। स्पष्ट सबूत दे दिये जिसमें इन्क्वायरी होनी थी, लेकिन फोटोस्टेट कापीज के बाद भी वह इन्क्वायरी नहीं हो पायी। चांदी का जूता कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में घूम रहा है। एक साल हो गया, वह इन्क्वायरी आज भी पेंडिंग है। यह बात प्रूव्ड है कि उसने करप्शन किया, आपको सारी चीजें दीं, लेकिन उसको बचाया जा रहा है। एक श्री गुप्ता हैं, जो तकनीकी अधिकारी हैं,

वे फाइल के कागज फाड़ लेते हैं, इससे ज्यादा सबूत नहीं दे सकता । फोटोस्टेट कापी में उनके दस्तखत मौजूद हैं, लेकिन वह कागज फाइल पर नहीं है । अगर आपको वह फोटोस्टेट कापी मिल जाय तो इससे ज्यादा सबूत की आवश्यकता नहीं है । मैं चाहूंगा कि अगर आप ऐसे लोगों के खिलाफ ऐक्शन लेंगे तो हमारी और आपकी छवि बनेगी ।

करप्शन इत्यादि पर बहुत-सी बातें आ चुकी हैं, इसलिए इन्सटान्स नहीं दे रहा हूं। एक राइटर हैं क्लाड एलवेयर्स उन्होंने वही कहा है, जो यह सरकार कर रही है, उन्होंने कहा है कि—

"दि सेकन्ड एकेसिनेशन आफ गांधी विगैन सून आफटर ही वज किल्ड फर्स्ट दे किल्ड हिम फार हवाट ही वाज : माडर्न मैन कैनन्ट टालरेट इमेजेज आफ टालरेन्स, देन दे प्रोसीडेड टु किल आल दैट ही रिप्रेजेन्टेड, इन प्रैक्टीकली आल रेस्पेक्ट्स, दि इन्डिया आफ गांधीज ड्रीम वुड प्रैक्टिस एग्जैक्टली दि अपोजिट आफ हवाट ही हैड सजेस्टेड फार ऐन अल्टरनेटिव फ्यूचर एण्ड दिस डाइरेक्शन वुड बी एडहियर्ड टू विथ ए वेनेजीन्स" क्लाउड एलवर्स ।

महात्मा गांधी वसूलों के लिए जिन्दा रहे और जिन उसूलों के लिए वे मरे, हम लोग उनकी दुहाई देकर वोट लेना चाहते हैं । आप महात्मा गांधी की तस्वीर कहीं न कहीं चिपका लेते हैं, लेकिन उनके उसूलों की हत्या करते चले जा रहे हैं । एक मैगजीन है "इन्डिया टुडे" । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें न दोष हमारा है न आपका है, लेकिन वह चीजें अब नहीं रहीं, स्तर गिरा, मारल गिरा और देशभक्त नहीं रहे । इस देश का इन्टेलीजेन्शिया पत्रकार कहता है कि स्थिति क्या है ? यह पत्रिका है "इण्डिया-2000" इसमें लिखा है कि—

फार सेल

| | |
|---|---|
| गाड | नेगोशियेबिल |
| मिनिस्टर | वन लाख |
| जज | 50,000 |
| कमिश्नर | 25,000 |
| जर्नलिस्ट | थ्री एवर्स रम |
| मैन | ब्रेड |

आपके यह लोग हैं, जिन्होंने 35 साल इस देश पर शासन किया है, क्या उन्होंने कभी इस पर गौर किया । मैं फिर कहना चाहता हूं कि अभी समय है सुधरने का काम कीजिये । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुये अपनी बात खत्म करता हूं ।

*श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस आदरणीय सदन में गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन इत्यादि का जो बजट इस प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री ने रक्खा है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और सम्बन्धित विषय पर आदरणीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है,, मैं उसका हृदय से विरोध करता हूं ।

(मेजों की थपथपाहट एवं शोर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर आज पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, वरना मैंने सोच रक्खा कि चार वर्षों से बोल रहा हूं इस बार सिर्फ कान लगा कर सुनूंगा, लेकिन आज जब कुछ ऐसी बातें और तथ्य सामने आए तो मैं भी बगैर बोले खामोश नहीं रह सका । इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्य मंत्री जी को हृदय से बधाई देना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश के भ्रष्टतम डायरेक्टर जनरल पुलिस को हटाया । इसलिए मैं सचमुच बधाई देता हूं । आदरणीय मुख्य मंत्री को कि गृह विभाग जो कई वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ था, परन्तु अब इसमें एक आदर्श स्थापित हो सका है, इसलिए मैं आदरणीय नेता सदन पर बधाई का एक गट्ठर लादना चाहता हूं । दूसरे नेता सदन के बाद इस सदन में यदि किसी का स्थान है तो नेता विरोधी दल का मैं माननीय नेता विरोधी दल का, नेता विरोधी दल की हैसियत से तो सम्मान करता हूं परन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से भी इनका हृदय से सम्मान करता हूं ।

(व्यवधान)

और जब-जब मैंने उनका बजट भाषण सुना या श्री राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर उनके भाषण को सुना तो साथ ही यह भी देखने को मिला कि उनके साथ कतरनियों का गट्ठर जरूर रहा । ताकि उससे वह तथ्यों का हवाला दे सके । निःसंदेह इस सम्बन्ध में उनकी विधान सभा सचिवालय और पुस्तकालय उनकी सहायता करता है उनको तथ्यों के लाने और खोजने में ।

(शोर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग जो हुक्कू-हू कर रहे हैं, इनको रुकवाइये हमारा भी इतिहास लम्बा है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारी भावनाओं को समझें और उनको भी समझें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, यह कहना कुछ चाहते हैं और लिखा जाता है कुछ दूसरा जो ये बोल रहे हैं ।

श्री सभापति--

आप बैठिये ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप विचार करें कि अभी नेता विरोधी दल ने एक बात की ओर संकेत किया, वह इस आदरणीय सदन को सोचने की बात है जातिवाद के बारे में, इसने मुझको प्रभावित किया क्योंकि सेना का व्यक्ति और छात्र आन्दोलन से निकला हुआ व्यक्ति, उसको जातिवाद प्रभावित नहीं कर पाती है । अपने जीवन में सब कुछ सीखा लेकिन आज तक जातिवाद को नहीं समझ पाया । सत्य की धुरी पर आये तो उसका विरोध जरूर किया । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर जब जातिवाद के जनक के रूप में कहे जाने वाले [× × ×] ही हैं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को जातिवाद में डुबो दिया ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री खैरुल बशर--

हिन्दुस्तान में भाटों की कमी नहीं है । [× × ×]

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, माननीय बाजपेयी जी ने चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर बात कही जातिवाद के बारे में। मेरा निवेदन है कि इसके लिए कोई निदान होना चाहिये । मैं पहले भी इसके बारे में सदन में निवेदन कर चुका हूं और आज फिर आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूं, नेता सदन चाहे तो नोटकर ले कि इन बातों के सम्बन्ध

---

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

में चाहे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में आप एक कमेटी गठित करा दें तो इस सम्बन्ध में हमारी और आपकी जांच हो जायेगी ।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी, उनसे आप कहिये कि वे इस बात की सत्यता के लिए जांच करा ले ।

श्री अध्यक्ष--

इस सदन में जो नहीं हैं उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए, यह परिपाटी नहीं होनी चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने संसदीय परम्पराओं का ध्यान रखते हुए उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और आपने व्यवस्था दी कि जो व्यक्ति यहां नहीं है उसकी चर्चा यहां नहीं होनी चाहिए । परन्तु अभी मान्यवर, चर्चा हो चुकी है और वे यहां नहीं हैं तो किसी व्यक्ति पर इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है, यह संसदीय परम्परा के भी अनुकूल नहीं है । मान्यवर, इन शब्दों को आप कार्यवाही से निकलवा दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं कार्यवाही को देख लूंगा । अब मैंने निर्णय दे दिया है, आप बैठें ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, जितना टाइम लिया है, उतना टाइम आपको हमें देना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, इनसे कहिए कि ये जांच करा ले । ये तथ्य ऐसे हैं जिनके ऊपर जांच होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राना जी, आप बैठिये । जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोलेंगे, उनका एक भी शब्द नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

[× × ×]

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, जितना समय मेरा व्यवधान में गया है, उतना समय हमें दीजिएगा ।

श्री अध्यक्ष--

राना जी, आप बैठिए । मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

सत्य बड़ा कड़वा होता है और झूंठ बड़ा मीठा होता है । फूलन देवी और अपराधियों की चर्चा यहां पर होती है तो उसको बड़ी खुशी से सुनते हैं । इन्दिरा गांधी के विरोध में जब कोई चर्चा होती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है और जब चौधरी चरण सिंह की बात कही जाती है तो बड़ा कड़वा लगता है ।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

आप इसकी जांच करायें ...

श्री अध्यक्ष--

इस तरह के शब्दों को मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह बात-बात में आप कहते हैं । आप

---

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उनको कहने ही क्यों देते हैं। जब शब्द प्रयोग हो जाते हैं तब आप अपनी व्यवस्था देते हैं। यह तो आपका कर्त्तव्य है।

श्री अध्यक्ष--

क्या मैं पहले ही उत्तर दे दिया करूं। जब कार्यवाही सुन लेता हूं, तभी तो निर्णय लेता हूं।

श्री विजय सिंह राना--

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ..

(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्य सुबह से ही पी कर आ जाते हैं।

श्री विजय सिंह राना--

आपको इसकी जांच करानी पड़ेगी, आप मुख्य मंत्री से कहेंगे आपको कौन सी आपत्ति है इसमें।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी मान्यवर ने कहा, मैं अपने नेता विरोधी दल का बड़ा सम्मान करता हूं और उनसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के सचिव श्री योगेन्द्र नारायण क्या ब्राह्मण हैं, क्या मुख्य सचिव ब्राह्मण हैं, क्या उत्तर प्रदेश के जितने महत्वपूर्ण सचिवों के पद जैसे ऊर्जा और उद्योग विभाग के सचिव ब्राह्मण हैं। नहीं, नहीं, नहीं।

श्री विजय सिंह राना--

कितने परसेन्ट।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी, आप समय यों ही बरबाद कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यह सदन है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

(हाथ जोड़कर)

हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं....

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, यह क्या हो रहा है?

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष--

राना जी, आप बैठें। माननीय यमुना प्रसाद, माननीय हरिवंश सहाय, कृपया बैठें, माननीय कुबेर जी बैठें। कृपया नियमों का पालन कीजिये।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, किस विषय पर चर्चा हो रही है। सामान्य प्रशासन का इतना महत्वपूर्ण विषय है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राना जी, आप बैठिये। क्यों खड़े हो रहे हैं। मैंने बाजपेयी जी को बुलाया है। माननीय बाजपेयी जी, आप जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने हरिजनों के प्रेम की बात कही। मैं पिछले वर्षों की ओर उनका ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाजपेयी जी, बैठें। ये व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री कुबेर भंडारी—

मान्यवर, संविधान में साफ लिखा हुआ है कि सदन में कौन मेम्बर हो सकता है—जो पागल न हो, दिवालिया न हो, कोढ़ी न हो।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार की बात न करें। किसी माननीय सदस्य को पागल कहना गलत है....

(व्यवधान)

और आप हंसते हैं। माननीय नेता विरोधी दल, संयम से काम लिया जाय। किसी माननीय सदस्य को कोढ़ी और पागल कहना गलत है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, उन्होंने सदस्य के लिये नहीं कहा। संविधान का उन्होंने हवाला दिया है। कौन कहता है बाजपेयी जी कोढ़ी हैं।

श्री कुबेर भंडारी—

मैंने संविधान की बात कही है। उनके लिये नहीं कहा है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि श्रीपति मिश्र की सरकार किसी पर एक्शन नहीं लेती। मैं नेता विरोधी दल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आर० पी० गुप्ता, पी० सी० एस० अफसर को निलम्बित करने का आदेश किसने दिया। यह श्रीपति मिश्र का ही कलेजा है। मान्यवर, धीरज से काम लो। जनता की अदालत में पहुंचने वाले हो। बेवकाव न हो। जो बात हो, जनता के सामने हो। चीखने और चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आपने सुनाया है, हमने सुना है, लेकिन कुछ सुनने की भी क्षमता रखो। नेता विरोधी दल ने कहा कि गोली खाते हैं। काहे की गोली, किस बात की गोली। स्वस्थ शरीर है। गोली और गोला चलता है जनसंघियों के यहां। मान्यवर, अभी तक मादकता का प्रमाण मौजूद नहीं है। तम्बाखू विद्यार्थी जीवन से खाता था, आज भी खाता हूं और जब श्मशान में जाऊंगा तब तक खाता रहूंगा।

श्री विजय सिंह राना—

गोली खाते हैं और दारू पीते हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, आज यह स्थिति हो गयी है कि इस आदरणीय सदन में श्री श्रीपति मिश्र की नैतिकता और चरित्र की गरिमा सहने की क्षमता अब इस विरोधी दल में नहीं है।

मान्यवर, अगर हम कोई सच बात कहते हैं तो उसमें बौखलाहट पैदा हो जाती है। तो मान्यवर, वह बौखलाते रहेंगे। मैं श्री राम चरित मानस के उत्तरकांड की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें लिखा है—दंड जतन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज,

मागे वारिध देय जल राम चन्द्र के राज।

तो वह श्री श्रीपति मिश्र महाराज के राज्य में हो गया।

अब मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि कम से कम यह आई० ए० एस० की जो सेना है इसके लिए समय निर्धारित कर दीजिये। जब तक वह 10, 15 साल की सेवा का कार्यकाल पूरा नहीं करेगा,

---

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तब तक उसे आप पूरे जिले का चार्ज नहीं देंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस आदेश को पारित कर देंगे तो आप अमर हो जायेंगे क्योंकि यह नौसिखिये नौजवान फाइल पढ़ना नहीं जानते और वे जिला स्तर पर शेरशाह सूरी बन कर दादागिरी दिखाते हैं तो उसका परिणाम बुरा होता है। मेरा निवेदन है कि आप इस पर अमल कराइये।

दूसरा सुझाव यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर मेरा ख्याल है चतुर्वेदी जी गौर से सुनेंगे। इस प्रदेश में हरे पेड़ों की कटाई और अवैध रूप से जो वाहन चल रहे हैं जिसकी आमदनी पुलिस वाले कर रहे हैं इसको रोकने के लिए आप उपाय करें और थानाधिकारी के रूप में जो सब-इंस्पेक्टरों का माया जाल है जो एस0 पी0 तक पहुंचता है उसको खत्म करें। इन शब्दों के साथ में आदरणीय माननीय मुख्य मन्त्री के द्वारा रखे गये बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव की भर्त्सना करता हूं, निन्दा करता हूं और विरोधी दल की हरिजन विरोधी और जातिवादी नीति का विरोध करता हूं।

श्री खैरुल बशर--

मेरा व्यवस्था का सवाल है क्या गैलरी में बैठे हुए किसी आदमी को इस सदन से सम्बोधित किया जा सकता है। माननीय बाजपेयी जी ने गैलरी में बैठे हुए व्यक्ति को नाम लेकर सम्बोधित किया है। क्या यह नियम विरुद्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, इसका उत्तर मुझसे लीजिये। मैंने माननीय भृगुनाथ चतुर्वेदी जी से बात कही।

श्री भीखा लाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाजपेयी जी के भाषण के बाद इस सदन के तनावपूर्ण वातावरण में मैं अपनी बात सदन के समक्ष कह पाऊंगा या नहीं इसमें मुझे संदेह मालूम होता है। लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे सदन में कोई उत्तेजना पैदा हो। मैं भी अपनी बात वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां से माननीय बाजपेयी जी ने शुरू की थी। आज हमारे प्रदेश के गृह विभाग के बजट पर बहस उस समय शुरू हो रही है जब हमारे प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी डायरेक्टर जनरल हटा दिये गये और उनकी जगह एक कर्मठ व्यक्ति को रखा गया है। मैं मौजूदा डायरेक्टर जनरल से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं क्योंकि वे हमारे जिले में एस0 पी0 रह चुके हैं।

उनकी कार्य क्षमता को जानते हैं। उन्होंने आते ही कुछ काले बिन्दुओं पर हाथ डालने की कोशिश किया और अपने कार्यालय से शुरू किया है। इससे मैं समझता हूं कि प्रदेश में अन्य स्तरों पर भी काले बिन्दुओं पर उनकी नजर पड़ेगी और जो प्रदेश में अराजकता की स्थिति है उसको वह सम्भालने में सक्षम हों। लेकिन जैसी स्थिति इस समय है, मुझे सन्देह है कि माननीय चतुर्वेदी जी उसमें सफल होंगे कि नहीं। क्योंकि यह चुनाव का साल है और शासक पार्टी, किसी हद तक विरोधी पार्टी के लोग भी अपने चुनाव में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये अराजक तत्वों को परिश्रय देते हैं, इसमें चतुर्वेदी अराजक तत्वों को दबाने में सफल होंगे कि नहीं और यदि उन्होंने अपने चरित्र के मुताबिक उन काले बिन्दुओं पर हाथ डालने की कोशिश किया तो मुझे सन्देह है कि इस पद पर ज्याद दिन वह रहेंगे कि नहीं।

मान्यवर, जातिवाद की बात कही गयी। मैं जातिवाद की बात पर उस तरह नहीं कहना चाहता हूं जिस तरह से कही गयी। लेकिन यह समाज क

एक रोग है और समाज में इसको कम करने की जितनी कोशिश की जाती है उतनी ही जातिवाद अधिक बढ़ता जाता है। तो कम से कम हमारे प्रदेश की जनता को अहसास होना चाहिये कि प्रशासन में और सरकार में जातिवाद का असर नहीं है। लेकिन दीक्षित की जगह पर चतुर्वेदी को लाये हैं। ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण को लाये हैं मैं यह नहीं कहता कि गलत किया लेकिन प्रदेश की जनता सोचती है दो महीने तक मरे हुए बन्दर के बच्चे की तरह आप चिपकाए रहे और ब्राह्मण की तलाश करते रहे और दीक्षित को नहीं हटाया और जब मिल गये तो उनको हटाया और चतुर्वेदी को ले आये। नेता विरोधी दल ने कुछ जिलों में सभी अधिकारियों के ब्राह्मण होने की बात कही तो हो सकता है कि हो, लेकिन जैसा समाज है, अच्छे प्रशासन के लिये, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के लिये, योग्य मुख्य मन्त्री और मंत्रियों के लिये यह जरूरी है कि जातीय संतुलन आप बनाये रखें। इसी के साथ में जातिवाद की बात यहीं छोड़ता हूं।

मान्यवर, गृह विभाग जिस पर 150 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ है, बहुत बड़ा है और इसके बहुत बड़े काम हैं। मान्यवर, उ0 प्र0 पुलिस के कार्य-कलापों तथा उपलब्धियों की रिपोर्ट, जो दी गयी है उसमें बहुत सी चीजों की जानकारी इस रिपोर्ट के जरिये सदन को दी जानी चाहिये थीं लेकिन उनका जिक्र इसमें नहीं किया गया है, क्या जरूरी नहीं है कि वह चीजें इसमें आ सकें लेकिन इसमें वही चीजें दी गयी हैं जिसमें सरकार वाहवाही लूटे जिन अपराधों में कमियां आयी हैं, उन्हीं चीजों को गिनाया गया है। जैसे जुल्मों में कमी आयी है। क्या जरूरी नहीं है कि विभिन्न प्रकार के जुल्म की सूची दी जाये, हस्तक्षेपीय मामलों की सूची दी जाये, इतने मामले अदालत में भेजे गये और इतने में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी इतने अपराधी पकड़े गये, कितनों को सजा मिली, कितनों को नहीं जिससे कार्यकलापों का कुछ तो पता चले लेकिन यह इसमें नहीं है जो कि होना चाहिये था। कितनी ट्रेनों में डकैतियां पड़ीं, कितनी बसें लूटी गयीं, कितने बलात्कार हुए, इनका कोई इस रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। दहेज सम्बन्धित मामलों का जिक्र है और अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है किन्तु कितने मामले पुलिस के सामने आये, कितनों में हस्तक्षेप किया गया, कितनी स्त्रियों को दहेज के बिना पर जलाने में अभियुक्तों को सजा दी गयी आदि बातों का इसमें जिक्र नहीं है।

मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में जरा विस्तृत ब्यौरा आना चाहिए था कि पुलिस कर्मी कितने हैं, उनमें उच्चाधिकारी कितने हैं, थानेदार कितने हैं और पुलिस सिपाही कितने हैं। इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है और सदन को नहीं मालूम है। लोग कहते हैं कि अब 20 डी0 आई0 जी0 और 7 आई0 जी0 हो गये हैं, परन्तु हमें वास्तविकता का कोई पता नहीं है। इससे हमें मालूम नहीं है कि पुलिस विभाग में ऊपर खर्च ज्यादा बढ़ रहा है या जो फील्ड में स्टाफ है। उस पर बढ़ रहा है।

(व्यवधान)

अब इतनी पैरवी श्यामलाल जी आप न करें। तो इससे हमें अनुमान होता कि जो फील्ड में काम करने वाले हैं, उन पर ज्यादा खर्च हो रहा है, उनकी सुख-सुविधा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है या ऊपर के अधिकारियों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आज ऊपर के पद बढ़ रहे हैं और नीचे के पद आवश्यकतानुसार नहीं बढ़ रहे हैं।

इसमें रिजर्वेशन की भी बात कही गई है कि पुलिस विभाग में रिजर्वेशन पर पूरा ध्यान देते हैं और कोशिश यह

हो रही है कि रिजर्वेशन पूरा हो जाए। इसके बारे में पेज 12 पर लिखा है--"अधिक संख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भर्ती करने का हर सम्भव प्रयास प्रत्येक अवसर पर किया जा रहा है ताकि पुलिस बल के पूरे नियतन में प्राविधानित प्रतिशत पूर्ण हो जाय।" क्या यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या भी सरकार बतावे और यह बतावे कि कितने प्रतिशत पूरा हुआ है और कितने प्रतिशत पूरा नहीं हुआ है और जो पूरा नहीं हुआ है, वह क्यों नहीं हुआ है? लेकिन वह सब इसमें बिल्कुल गोल है। जब हमारे सामने प्रत्यक्ष ऐसे मसलें आते हैं तो देखा यह जाता है कि उनकी पूर्ण उपेक्षा की जाती है और उनके साथ ज्यादती की जाती है। अभी कुछ डी0 आई0 जी0 के प्रमोशन हुए थे, उसमें चार अधिकारी जो प्रमोशन के योग्य थे- तीन हरिजन और एक अल्पसंख्यक वर्ग का, उनको सुपरसीड कर दिया गया और नीचे के ब्राह्मण और सवर्ण लोगों को चांस दे दिया गया। बाद में जब अल्पसंख्यक समुदाय वालों ने शोरशराबा मचाया, दौड़धूप की तो उसको प्रमोशन दे दिया गया बाद में। लेकिन जो हरिजन थे उनको आज तक नहीं किया गया। यह आंकड़े आते तो हमें सारी स्थिति पता चल जाती। आज जिस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं पुलिस के जरिये से, वह चिन्ता का विषय है। पुलिस किस तरह स्वच्छन्द हो गई है, यह मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। आप योग्य अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, तो जो पुलिस स्वच्छन्द हो गयी है उसको अवश्य नियंत्रित करें। उसके बारे में हम चाहे जिन शब्दों में कहें लेकिन हमारे मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री बड़ी बेशर्मी से खड़े होकर ऐसे कर्मचारियों को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके काले कारनामों पर पर्दा डालते हैं। कम से कम यह नहीं होना चाहिये।

मैं यह मानता हूं कि अब यदि सभी को एक ही डंडे से हांकने लग जायेंगे तो फोर्स विद्रोह कर देगी, ऐसी स्थिति भी आ सकती है, वह मैं आपसे नहीं चाहता हूं। लेकिन जो अलंक शिप्स हैं, काले बिन्दु हैं, उनको भी सदन में और जनता में खड़े होकर कहना और इंगित करना चाहिए। उनको सुरक्षा देना ठीक नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जुर्म घट गये हैं, पहले पेज पर लिखा गया है पिछले वर्ष के मुकाबले में डकैती में 6.74 प्रतिशत की कमी, लूट में 6.67 की कमी, दंगों में 12.01 प्रतिशत की कमी, नकबजनी में 8.21 प्रतिशत तथा हत्या के मामलों में 4.28 प्रतिशत की कमी हुई है और समस्त हस्तक्षेपीय अपराधों में 3.13 प्रतिशत की कमी हुई है। जुर्मों में चारों तरह कमी है इन आंकड़ों के अनुसार, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में एक ही बात सरकार से पूछना चाहता हूं। हम जुर्मों में कमी मान सकते हैं, यदि जनता भी ऐसा महसूस करती। यदि जनता अपराधों में कमी महसूस करती तो हम समझ सकते हैं कि जुर्म में कमी हो रही है।

(12 बजे से)

आज माननीय बाजपेयी जी भी महसूस करने लगे हैं, वैसे कल तक वे भी वही अनुभव करते थे जो हम करते हैं, एक रात में पता नहीं क्या बात हो गयी जो उनके विचार बदल गये।

(हंसी)

कल तक वे यह महसूस करते थे कि ठीक नहीं है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

आज राम राज्य स्थापित हो गया।

(हंसी)

श्री भीखा लाल---

अगर जनता यह महसूस करे कि शान्ति और सुरक्षा की स्थिति ठीक हुई

है, अभी आपके यह आंकड़े ठीक हैं, अगर जनता यह अनुभव नहीं करती तो यह आंकड़े आपके गलत हैं, फर्जी हैं। आज स्थिति यह है कि दिन दहाड़े बैंक लूटे जा रहे हैं, रास्ते चलते आदमी को लूटा जा रहा है, उसका कत्ल हो रहा है, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है,

(व्यवधान)

और जनता यह समझती है कि आज प्रदेश में शान्ति व्यवस्था नाम की कोई चीज रह ही नहीं गयी है। हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, पेश नहीं कर सकते, मगर जो वास्तविक हालत है वह हम आपको बता रहे हैं। जनता जो महसूस करती है वह हम आपको बता रहे हैं।

मान्यवर, पुलिस के द्वारा बलात्कार की घटनायें हो रही हैं, उनके संरक्षण में जघन्य अपराध हो रहे हैं। पुलिस के लोग अपराधियों से मिले रहते हैं। थानों के अन्दर बलात्कार हो रहे हैं। मैं माननीय बाजपेयी जी के जिले की ही इसी तरह की हाल की घटना बता रहा हूं। अभी कुछ ही दिन पूर्व एक नाई जो ढोंढ़वा थाना लोनीकटरा, जिला बाराबंकी का रहने वाला है, इस थाने की पुलिस नाई की औरत को जबरदस्ती पकड़ लाये। एक दिन उन्होंने कानूपुर ग्राम में रखा, फिर दो दिन वह थाने के मुन्शी के क्वार्टर में रही और 27 मार्च, को उसे गायब कर दिया गया। अभी तक उसका पता नहीं चला है।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

यह सारा कमाल लोक दल का है।

श्री भीखा लाल—

पुलिस के लोग डकैतों के साथ मिल कर डकैती डलवा रहे हैं और इसके कई उदाहरण देखने में आये हैं। अभी बरेली की, 2-3 दिन पहले की एक घटना और बताना चाहता हूं। एक मुल्जिम 3-4-84 को जेल से छूटने वाला था। मैं यह नहीं कहता कि वह निर्दोष था, पर उसके छूटने के समय थानेदार साहब वहीं जेल के सामने मोटर साइकिल पर मौजूद थे। जैसे ही वह जेल से बाहर आता है, थानेदार उसे उठा ले जाते हैं। अभी तक उसका पता नहीं वह कहां गया। शायद एनकाउन्टर दिखाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। उसके भाई ने माननीय मुख्य मंत्री को तार भी दिया है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं।

दहेज प्रथा के कारण, दहेज के कारण बहुत सी मौतें हो रही हैं। अभी प्रधान मंत्री जी जब यहां आयी थीं, उन्होंने महिलाओं के सम्मेलन में उनको सम्बोधित करते हुए कहा था कि इस प्रथा को खत्म करना चाहिये। दहेज एक सामाजिक कोढ़ है जो बढ़ रहा है और जिसके पीछे हमारी मासूम बच्चियों, बहनों की हत्या होती है, उनको जला दिया जाता है और जहर देकर मारा जाता है। लेकिन अगर ऐसी घटनायें उभर कर आती हैं तो पुलिस की क्या भूमिका होती है, उ के बारे में मैं कहना चाहता हूं। शासन के आदेश हैं कि इस तरफ कड़ाई से ध्यान दिया जाय लेकिन क्या पुलिस के लोग ध्यान देते हैं। अभी हमारे जनपद उन्नाव में 2-3 दिन पहले थाना अचलगंज में गांव बेघर में एक लड़की आशा देवी के पति ने उसको जहर दे दिया। अस्पताल में वह दाखिल हुई। उसके मायके के लोग पहुंचे रिपोर्ट लिखाने के लिये कि जहर दिया गया है लेकिन थानेदार ने उनको डांटकर भगा दिया। उसके भाई विंदु लाल शुक्ल ने एस० पी० को दरखास्त दी कि हमको न्याय दिया जाना चाहिये। इसी तरह की सैकड़ों शिकायतें हैं लेकिन पुलिस सतर्कता के साथ काम नहीं करती है।

इसी तरह से बरेली में मिस्टर सतीश चन्द्र जुनेजा हैं जिनको एक लड़की

ब्याही थी जो अमृतसर की थी। उनको जहर देकर मार दिया गया। उसकी मां रूपवती अमृतसर से आयी और उसने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया कि हमारी लड़की को जहर देकर मार डाला गया है। लेकिन उसको लड़की के पास फटकने नहीं दिया गया और उसकी कोई सुनवायी नहीं हुई। दाह-कर्म पुलिस की निगरानी में किया गया। जब वह दाह कर्म के स्थान पर पहुंची तो पुलिस के दो सिपाहियों ने उससे वहां पर सादे कागज पर दस्तखत करवा लिया ताकि उस कागज का इस्तेमाल किया जा सके। पुलिस की मर्जी से सब हुआ। मैंने इनकी शिकायत मुख्य मंत्री के पास भेजी है और दो पत्र भी लिखे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिये। ऐसे मामलों में कड़ाई से कार्यवाही नहीं होगी तो यह जो कुप्रथा है इसका अन्त नहीं होगा। पुलिस के मामले में बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन समय कम है। आज हमारे प्रदेश में जो पुलिस की स्थिति है कि जनता पुलिस की शक्ल को देखकर घबरा तो है। विदेशों में अगर कोई आदमी संकट में होता है और पुलिस वाले को देखता है तो दौड़कर उनसे चिपट जाता है कि यह हमारा मददगार है, हमारी सहायता करेगा। लेकिन यदि यहां कोई आदमी संकट में पड़ जाता है और यदि कोई पुलिस वाले को देखता है तो दूर भागता है कि एक संकट में तो हम फंसे ही हैं पुलिस की मदद मांगने पर कहीं दूसरे संकट में न फंस जायं। इसलिए जो पुलिस की स्थिति है उसको सुधारने की जरूरत है।

मान्यवर, जहां पर मैंने पुलिस की आलोचना की है वहीं पर एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे नीचे स्तर के कर्मचारी हैं उनकी सुख-सुविधा का भी हमें ध्यान रखना चाहिये। जो हमारे पी० ए० सी० और सिविल पुलिस के सिपाही हैं उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखना पड़ेगा। आज पुलिस लाइन में जिस तरह से वह रहते हैं तो पुलिस लाइन की कोठरी और जेल की बैरक में ज्यादा अन्तर नहीं है। अगर एक पुलिस का सिपाही, पी० ए० सी० का सिपाही अपने बाल बच्चों से दूर, परिवार से दूर 24 घंटे जंगलों में, बीहड़ों में अपनी ड्यूटी देता है, अपनी जान हथेली पर लिये घूमता है और अगर उसको सुख-सुविधा उसके रहने आदि की नहीं मिलती है तो वह सोचता है कि समाज ने हमारे लिये क्या किया। लिहाजा वह अपना उत्तर-दायित्व ठीक तरह से नहीं निभा पायेगा। इसलिये उसको सुख-सुविधायें मिलनी चाहिये। पुलिस और पी० ए० सी० के सिपाहियों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार होना चाहिये। खुशी की बात है कि थानों में किचेन बन गये हैं। अभी हमारे थानों में भंडारी की व्यवस्था नहीं हुयी है। जब वह गश्त लगाकर आते हैं तो अपना चूल्हा-चौका सम्भालते हैं और खाना बनाते हैं तो इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको सुख-सुविधायें, मिलनी चाहिये ताकि वह अपने उत्तरदायित्व को निभा सकें। मान्यवर, सामान्य प्रशासन की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि शिकायतें कम आ रही हैं। हरिजन सेल बना हुआ है वहां हरिजनों की शिकायतें कम आ रही हैं। लेकिन मान्यवर, अगर अनुभव और व्यवहार से देखा जाय कि यह बात कितनी सही है।

जनता की शिकायतें बढ़ रही हैं। जनता की शिकायतों की सुनवायी जिला स्तर पर नहीं होती है। अगर इतने साल की आजादी के बाद जनता की शिकायतों की सुनवाई नहीं हुई, तो जनता का विश्वास जनतन्त्र से हट जायगा। आज कितनी भीड़ लगती है दारुलशफा में विधायकों के घरों पर, मंत्रियों के घरों पर, हमारे सेक्रेटरीज के दफ्तरों पर अगर उनकी सुनवाई जिले पर हो, तो वे यहां पर क्यों पहुंचें? माननीय मंत्री जी यह आंकड़े भी इकट्ठा करें

कि कितनी शिकायतें उनके कार्यालय में किन-किन जिलों से, किन-किन विभागों से सम्बन्धित आई हैं और उनकी बढ़ोत्तरी किस तरीके से हो रही है, तो उससे अन्दाजा लग जायगा कि उनकी शिकायतों की सुनवाई जिलों में होती है कि नहीं। अगर उनकी सुनवाई जिलों में होती, तो यहां पर वह क्यों आते। जिस समय मैं 57 में चुन कर आया, अगर कोई काश्तकार मेरे पास आ जाता था, और उसे कोई दरख्वास्त देना होता था तो वह शहर में दौड़ता था, अमीनाबाद में जाता था, तब उसकी दरख्वास्त टाइप होती थी। अब विधायक निवास के सामने दर्जनों टाइपिस्ट बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि इतने लोग आते हैं जिनकी सुनवाई जिलों में नहीं होती है।

मान्यवर, सभी जिलों से शिकायत-कर्त्ता विधायकों के पास आते हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी सुनवाई जिलों में हो रही है। कम से कम माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसे निर्देश दें जिलाधिकारियों को कि अगर किसी व्यक्ति ने जिले में शिकायत किया और उसकी वहां पर सुनवाई नहीं हुई, और उसको यहां पर आना पड़ा, तो उस जिलाधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही, की जायगी। तो मान्यवर, अगर उनकी सुनवाई जिलों में नहीं हुई, तो जिलाधिकारियों के प्रति कड़ा रुख होना चाहिए। मान्यवर, दो-एक बातें और कहना चाहता हूं। मान्यवर, इस सदन में जो आश्वासन दिये जाते हैं और निर्देश दिये जाते हैं, हम समझते हैं कि वह एक सबसे बड़ा स्तर है, जहां पर निर्देश दिये जाते हैं, उनका पालन बहुत जल्दी होना चाहिए।

मैंने अपने उन्नाव जिले की एक अस्पताल की लेडी डाक्टर हैं, उसके सम्बन्ध में यहां पर एक सवाल किया, उसने 4 हत्यायें कर डालीं, परिवार नियोजन के सम्बन्ध में, मैंने सवाल किया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहीं पर कहा कि मैं आज ही आदेश देता हूं, उसके निलम्बन का और उसको वहां से हटा कर दूसरे जिले में भेजने का, लेकिन मान्यवर, 15 दिनों के बाद भी आज तक उसका परिपालन नहीं हुआ। आज से चार दिन पहले हमारे यहां के जिला हरिजन अधिकारी जो हैं, उसने हजारों रुपये वसूल कर लिया था अनुदान ग्रहीताओं से कल्याण में उसका मैंने प्रश्न उठाया था, आपने उसी वक्त निर्देश दिया था कि यहां से एक अधिकारी जाय, जो उसने फर्जी रसीदें लिखवा रखा है, उसको कब्जे में लिया जाय और उसकी जांच की जाय। लेकिन आज तक उसकी जांच के लिए कोई भी नहीं गया। तो जब मुझको आश्वासनों पर विश्वास नहीं हो पाता जो आप सदन के बीच में कहते हैं, तो आम जनता को कैसे होगा। उसका पालन तो होना चाहिए, या तो जो आप आश्वासन देते हैं, उसको आपके अधिकारी सुनते नहीं और जब आपके अधिकारी सुनते नहीं हैं, जो सचिवालय में बैठे हैं, जो डायरेक्टर में बैठे हैं, या जो मुख्यालय में बैठे हैं, तो जिले के अधिकारी भी यही कहते हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो मान्यवर, ऐसे आश्वासनों की पूर्ति होनी चाहिए।

मान्यवर, हमारा यह चार्ज रहता है और सही रहता है कि प्रशासनिक साधन का आपके पार्टी के हित में प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक साधनों का किसी भी पार्टी के हित में प्रयोग होता है मान्यवर, चाहे प्रधानों का सम्मेलन हो या महिलाओं का सम्मेलन हो, यहां पर इन दोनों सम्मेलनों में प्रशासनिक साधनों का दुरुपयोग किया गया है। चाहे महिला सम्मेलन हो इन दोनों में साधनों में सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया गया है। आप फौज में महिलाओं को भेजने को कहें और जब कोई अधिकारी 10 या पांच ट्रकों में महिलाओं को भेजेगा और खर्च करेगा...।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हैं ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सुयोग्य माननीय सदस्य से यह पूछना चाहती हूं कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है ? क्या आप कोई ऐसा प्रमाण देंगे कि इसमें सरकारी साधनों का दुरुपयोग हुआ है । मैं चाहूंगी कि ऐसा वह कोई उदाहरण दे दें ।

श्री भोलालाल—

मान्यवर, मेरे पास प्रमाण है । मान्यवर, जब प्रधानों का यहां पर सम्मेलन हुआ तो शासन से एक आदेश जारी हुआ हर जिलाधिकारी को, हमारे यहां के जिला पंचायत राज्य अधिकारी ने उसी अर्द्धशासकीय पत्र का संदर्भ देते हुए हर प्रधान को चिट्ठी लिखी वह पत्र मेरे पास मौजूद है । पंचायत राज्य अधिकारी के पत्र की फोटोस्टेट कापी है । उसमें पत्र संख्या दी हुई है । जिसके माध्यम से कहा गया है कि आपको बेगम हजरत महल पार्क पहुंचना है ।

मैंने प्रश्न किया था, कि क्या सरकार ने ऐसा पत्र जारी किया, तो माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने कहा कि जी नहीं ।

श्रीमन्, मैं विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न ला रहा हूं । यदि उसने गलत संदर्भ दे दिया, अगर उसने पत्र जारी किया है, तो वह अपनी सफाई में कहेगा । तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास प्रमाण है । मान्यवर, हमारे यहां जो प्रधानों का सम्मेलन हुआ था उसमें ट्रकों का किराया देने के लिए झगड़ा भी हुआ था । कुछ पेट्रोल पम्पों का डीजल का पैसा एक हफ्ते पहले दिया गया है । जब मैंने जिला हरिजन कल्याण अधिकारी के खिलाफ मामला उठाया तो तड़ से दे दिया कि कहीं यह भी जुड़ जाए । एक बात और कहूंगा कि खर्चा बढ़ता चला जा रहा है । मान्यवर, प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों पर बहुत खर्चा हो रहा है । जितना प्रदेश के विकास में खर्च होना चाहिए वह नहीं हो रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा औचित्य है कि चहारदिवारी में बैठे हुए अधिकारियों को सरकारी गाड़ी दी जाए । आपने उन्हें बंगला दे रखा है । जो सरकारी गाड़ी होती है उसका दुरुपयोग होता है । वह लंच में घर जाएंगे और डेढ़ घन्टे टांग पसार कर सोयेंगे । मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं तीन बजे किसी सचिव के कार्यालय जाऊंगा और पूछूंगा कि सचिव साहब हैं, तो इनके अर्दली भी बड़े सधे हुए होते हैं, तो वह कहते हैं मीटिंग में देर तक रहे और अभी—अभी तो लंच में गये हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें मोटर न दी जाए और जो लाखों रुपयों का खर्चा इस तरीके से होता है उसको बन्द किया जाए । मान्यवर, आपने नये चीफ सेक्रेट्री नियुक्त किए हैं, नये होम सेक्रेट्री आ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि प्रशासन में सुधार लाया जाएगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती महारानी दोहरे—

मान्यवर, आपने मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत गृह विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इस पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं और हृदय से इस बजट का समर्थन करती हूं । दुख के साथ में यह कह रही हूं कि यदि सुरक्षा और शांति में भी कटौती की जायगी तो देश और प्रदेश किस ओर जायगा । मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन इसलिये करती हूं कि हमारी सरकार ने हर कदम विश्वास के साथ, मजबूती के साथ, आगे बढ़ाया है । श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रेरणात्मक नेतृत्व में सम्माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठोस कदम

उठाए हैं। उन्होंने हर दिशा में एक नयी मंजिल प्राप्त की है। मान्यवर, यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे नर हो या नारी और चाहे बच्चे हों, उनके लिये शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो कोई भी प्रदेश प्रगति की ओर नहीं बढ़ सकेगा। मान्यवर, इसके लिये सरकार ने जब 1988 में प्रदेश की बागडोर मजबूती के साथ आगे बढ़ानी चाही, प्रदेश में चुनौतियों का और कठिनाइयों का समय भरपूर तौर पर सामने था। उन चुनौतियों का मुकाबला सरकार ने मजबूती से किया। उत्तर प्रदेश में 4 जनपद ऐसे थे, जिनमें साम्प्रदायिक दंगे हुए। मान्यवर, हमारे पुलिस कर्मियों ने उन दंगों का मुकाबला साहस और कार्यक्षमता से ताकत से इस प्रकार किया कि उनको वहीं दफना दिया गया और उनका प्रभाव दूसरे जिलों पर नहीं पड़ा, जिससे प्रदेश की शांति व्यवस्था ठीक से चली।

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहूंगी कि यह प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या को देखते हुए, स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा प्रदेश है कि इसमें मजबूरियां, कठिनाइयां और अपराध होना स्वाभाविक है, लेकिन यह जहां यह बात कहते हैं कि सरकार में यह दोष है, वहीं सरकार ने उनके समाधान के लिये मजबूत कदम उठाए हैं और समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्य किये। मान्यवर, सुरक्षा और शान्ति के लिये पुलिस, होमगार्ड और समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो प्रदेश में समयानुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों के द्वारा प्रदेश की व्यवस्था में सहयोग देते हैं।

मान्यवर, मैं पुलिस को बधाई देती हूं कि जहां उनमें कुछ कमियां हैं, दूसरी तरफ पुलिस ने ऐसे भी कदम उठाए हैं कि जहां प्रदेश में अपराध तेजी से बढ़ गये थे और ऐसे तत्वों ने प्रदेश की शांति भंग करनी चाही थी और सरकार को भंग करना चाहा था, पुलिस ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ कार्य किया है, जिसमें 58 पुलिस कर्मी वीरगति को प्राप्त हुए, जिनमें एक इन्सपेक्टर, 11 सब इन्सपेक्टर, 4 हेड कान्स्टेबिल और 42 कान्स्टेबिल वीरगति को प्राप्त हुए। मैं उनके परिवार वालों को बधाई देना चाहती हूं।

मान्यवर, यह गलत है कि किसी सरकार की कार्यक्षमता और उपलब्धियों की गलती को जनता के सामने रखा जाय, लेकिन सही बात सामने न रखी जाय। एक तरफ आलोचना हो तो दूसरी तरफ सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच में रखें तथा यह बताया जाय कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये कौन से कदम उठाए जायं। मान्यवर, अखिल भारतीय उपलब्धियों में जो औसत उत्तर प्रदेश को सौंपा गया था, उस औसत से आगे और ठोस और मजबूत कदम उठाकर इस सरकार ने प्रदेश को आगे बढ़ाया है। हमारी जो सुरक्षा की संस्थाएं हैं, उनमें पुलिस के जो थाने हैं, वह 1304 हैं। यह जरूरी है कि एस0 आई0 और थाना इंचार्ज की समस्याओं के लिये, ताकि कार्य सुचारु रूप से हो, इसके लिये इस सरकार ने 1293 जीपों की व्यवस्था की है ताकि कार्य सुचारु रूप से चल सके। मान्यवर, मैं पी0 ए0 सी0 के बारे में कहना चाहती हूं। पिछली बार प्रश्न उठाया गया बाराबंकी के बारे में, वहां हमारे पी0 ए0 सी0 और होमगार्ड के भाइयों ने अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया है। मैं उनको बधाई देती हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देती हूं कि पुरुष पुलिस के साथ-साथ महिला पुलिस और होमगार्ड भी इसमें योगदान दे रहे हैं। वह चाहे डिप्टी एस0 पी0 हो, एस0 पी0 के पद पर हो या चाहे एस0 आई0 के पद पर हो, उनका भी कार्य बड़े सुचारु रूप से चल रहा है।

मान्यवर, यह जो किताब हमें दी गयी है, उसे मैंने भी पढ़ा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि उसकी कुछ लाइनों को पढ़कर मुझे कष्ट हुआ। आज महिलाओं के ऊपर

दहेज से संबंधित जो अपराध होते हैं, इस किताब के माध्यम से उन अपराधों के बारे म महिलाओं को अवगत नहीं कराया गया है कि कितने इस प्रकार के मामलो में अपराधियों को दन्डित किया गया है और कितनों में अपराधियों को क्या दन्ड दिया गया है ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगी कि वह इस संबंध में ठोस कदम उठायेंगे । वहीं दूसरी ओर मैं अपने देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराधों को रोकने के लिये एक महिला सम्मेलन को बुलाया था । उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, उनको स्वयं अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में एक कमी यह है कि महिला के ऊपर अत्याचार तभी से हो जाता है, जब वह जन्म लेती है । जब तक हम हमारी भारतीय संस्कृति और विचारधारा में परिवर्तन नहीं होता है और जब तक बेटे और बेटी को अलग-अलग नजर से देखेंगे तो उस हिसाब से यह काम करना आसान नहीं है ।

मैं आज इस आदरणीय सदन में महिलाओं और उन बच्चों की तरफ से जिन्होंने अभी आंख भी नहीं खोली है, अपील करना चाहती हूं कि बेटे और बेटी को समान नजर से देखा जाय ।

मान्यवर, बच्चों के इम्तहान चल रहे हैं, कुछ के आज समाप्त हो गये हैं और और कुछ के कल होंगे । मगर हमारे इम्तहान बच्चों के शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं । मैं पुलिस कर्मियों को बधाई देना चाहती हूं कि वे अपनी ड्यूटी सही रूप से और सही ढंग से दे रहे हैं ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं होमगार्डस के बारे में कहना चाहती हूं । इसमें महिलायें भी कार्य करती हैं । उसमें से कभी कुछ महिलाओं को ड्यूटी पर भी लगाया जाता है और वे अपनी अच्छी कार्यक्षमता को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि ऐसी महिलाओं को उनके विशेष कार्यक्षमता को देखते हुए, उन्हें वरिष्ठता देकर आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराधों के लिए खिलाफ संघर्ष में जुट सकें ।

मान्यवर, मैं यह मानती हूं कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं । मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि उन्हीं कस्बों में, उन्हीं गावों में और उन्हीं शहरों में हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जहां पर कुछ लोग अपने पैसे के बल पर मजबूत हैं और जिनमें कुछ ताकत है, वहीं पर हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं । इसके लिए हमारी सरकार ने एक हरिजन सेल बनाया है । किन्तु इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहती हूं कि जो यह हरिजन सेल बनाया गया है वह पुलिस विभाग से संबंधित है, मैं चाहूंगी कि इसे इस विभाग से अलग कर हरिजन समाज कल्याण विभाग से संबंधित कर दिया जाय । ताकि गरीब हरिजन को सही रूप में न्याय मिल सके ।

मान्यवर, आज प्रदेश में कई गरीब लोग हैं, आज 36 साल आजाद होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं, जिनका मनोबल अभी बहुत कम है और वे अपनी बात नहीं कह सकते हैं, इसलिए हमारी सरकार ने व्यवस्था की है कि उनके लिए एक सेल बनाया है, जहां पर वे अपने प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं । जब जनता पार्टी की सरकार थी, मैं एक महिला हूं उस समाज से । उस समय हजारों की तादाद में हरिजन लोगों के प्रार्थना-पत्र आते थे, परन्तु उस सरकार ने हरिजन अधिकारियों, कर्मचारियों की सारी फाइलें रंग डाली थीं, यहां तक कि सारा दफ्तर ही रंग डाला गया था । महिलाओं के ऊपर उस समय किस

तरह से अत्याचार किया जा रहा था और हरिजनों को किस प्रकार उत्पीड़ित किया जा रहा था, उसको देखने से ऐसा लगता था कि वह इस समाज के रहने वाले नहीं हैं और इस प्रदेश के नागरिक नहीं हैं। जनता पार्टी के शासन काल में उनकी जमीनें लूटी जा रहीं थीं। परन्तु इन सारी चीजों को हमारी सरकार ने रोका। मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करती हूं।

*श्री रियासत हुसेन--

श्रीमन्, इस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी की जो सरकार है जो उनके नेतृत्व में है प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था कि किसी व्यक्ति की राजनीति की बाबत स्लोगन लिखा था "अंतरात्मा की आवाज", मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी उस अंतरात्मा की आवाज का जवाब देने के लिए आज भी माननीय मुख्य मन्त्री जी के पीछे बैठने वाले उनके दल के लोग हैं, उसमें तीन व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने अंतरात्मक की आवाज के आधार पर आपके राज्य सभा के पिछले चुनाव में वोट नहीं दिया। वे तीन व्यक्ति बधाई के पात्र हैं और प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी बधाई की पात्र हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

उनके नाम बताइये।

श्री रियासत हुसेन--

नाम आपको मालूम होने चाहिये। इसको आपके मुख्य मन्त्री जी देखें कि कौन तीन व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने माननीय मन्त्री जी को अंतरात्मा की आवाज के स्लोगन को स्वीकार करते हुए वोट नहीं दिया और आपकी स्ट्रेन्थ 317 रह गयी।

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय अध्यक्ष जी, केवल इसी सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सीक्रेट बैलेट है, जिसका वोट है, जिसके नाम हुआ है, वह मैं नहीं कह सकता। लेकिन अपने दल की तरफ से पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे दल के सभी सदस्यों ने दल के अनुशासन के अनुकूल वोट दिया है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री रियासत हुसेन--

मामूली सी बात है, हिसाब किताब की अर्थमेटिक की बात है, 317 वोट आपके काउन्टिंग में निकले।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

यह दल अनुशासित है।

श्री रियासत हुसेन--

320 आपको मिलने चाहिये थे, 317 वोट आपके पड़े। अब आप इसमें तलाश कीजिए कि वह कौन से तीन व्यक्ति हैं।

श्री अध्यक्ष--

रियासत जी, क्या यह चुनाव का प्रचार हो रहा है। आपका समय इसी में चला जा रहा है।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)--

आपका कैन्डीडेट हार गया, इसलिए दिक्कत हो रही है।

श्री चेतराम गंगवार--

एक-एक लाख रुपये किस-किस को दिया है?

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

आपको दिया है।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसेन--

मान्यवर, 1304 थाने पूरे प्रदेश में हैं। यह इस किताब में लिखा हुआ है। माननीय मुख्य मन्त्री जी फिर आपकी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर कहना चाहता हूं कि इसको 1304 को छोड़िये आपके क्षेत्र में, एक विधायक की हैसियत से जो दो तीन थाने पड़ते हैं आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को जोड़ कर देखें कि क्या उस क्षेत्र का साधारण गरीब से गरीब आदमी यह हिम्मत करता है कि थाने में जा कर बिना किसी सहयोगी के जा कर कोई घटना की रिपोर्ट लिखा दे। आप अपने सीने पर हाथ रख कर देखिये। 1304 में जो 2 या 3 थाने आपके क्षेत्र में हैं, केवल उन्हीं को लेकर देखिये आप संतुष्ट हैं आपके यहां रहने वाली जो जनता है, निडर होकर के हर घटना की, छोटे से छोटे आदमी भी थाने में जा कर किसी के विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लाज कराता है और उसको न्याय मिलता है ? और सभी चीजों को तो बाद में देखें लेकिन आप पहले अपने क्षेत्र में देखें। यह जो पुस्तक दी है, इसमें इनकाउन्टर की बात कही गयी है कि यह इनकाउन्टर किये।

श्रीमन, जैसा कि यह रसूलाबाद थानान्तर्गत इनकाउन्टर हुआ, जिसमें चार लोग मर गये माननीय गृह राज्य मन्त्री ने कहा था कि रसूलाबाद थाना, जनपद कानपुर के अंतर्गत 4 इनकाउन्टर हुए, अब उस इनकाउन्टर की बाबत मुमकिन है आप जांच करा रहे हों, अगर इनकाउन्टर की यह डिफिनेशन है कि 4 आदमियों को मारकर के थाने में लाया जाय कहीं से भी और फिर वहां मुन्ना बाबू का ट्रैक्टर मंगवाया जाय मुन्ना बाबू का जो ड्राइवर था उसने इन्कार कर दिया कि मैं मरी हुई लाशों को गाड़ी में नहीं ले जाऊंगा। उसमें एक लड़की भी थी जिन्दा। दूसरे का ट्रक मांगकर ट्रक में लाशों को और जिन्दा लड़की को रात के 8 बजे ले जाया गया। माननीय गृह मन्त्री ने बयान दिया कि अरहर के खेत में डकैत छिपे हुए थे, बाहर से उनको घेर लिया गया। दोनों ओर से गोलियां चलीं और 4 डकैत मारे गये, मय उस जिन्दा लड़की के जिसको ट्रक में बैठाकर लाये थे। अन्दर के छिपे हुए 4 मारे गये, बाहर किसी पुलिस वाले को खरोंच तक नहीं आयी। अगर इसी का नाम इनकाउन्टर है, तो यह कैसा इनकाउन्टर है ?

मेरे क्षेत्र में हफीज नाम का एक व्यक्ति था जो कि घर छोड़कर चला गया था। उसने डकैती डाली मुस्तफापुर गांव में। जब वह भाग रहा था तो उसी गांव की एक लड़की थी, वह मैके गई हुई थी। उसी के घर के पास माल का बटवारा हो रहा था। उसने देखा कि यह तो मेरे ही यहां की डकैती का माल बंट रहा है। उसने पुलिस को खबर की। पुलिस आयी, उसमें के 4 भाग गये, एक पकड़ा गया। उसे पुलिस ने इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। बाद में उसे जेल भेजा गया। जेल वालों ने इन्कार कर दिया कि जेल में नहीं लेंगे। कोतवाली मुरादाबाद से उसे शफाखाने भेजा गया। जाते ही जाते वह रास्ते में ही मर गया। उसके बाद जी0 डी0 डी0 में रिपोर्ट यह दर्ज करायी गयी कि यहां पर फलां-फलां धन्धा हो रहा था। हम लोगों ने घेरा, फायरिंग हुई और फायरिंग में उसको पकड़ लिया गया, बाद में वह मर गया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम में उसके सारे घर वाले वहां पर गये। उन्होंने कहा कि उसकी लाश उन्हें दे दी जाय ताकि उसका अन्तिम संस्कार किया जा सके, लेकिन उसकी लाश अन्तिम संस्कार के लिए भी नहीं दी गई। अगर यही आपका इनकाउन्टर है, तो ठीक है।

थाना मूंढा में 15 दिन की बात है, एक लड़के को कहीं से जीप में बैठाकर लाये और भीटखेड़ा गांव के पास उसे गोली से मार दिया और इनकाउन्टर दिखा दिया। मैं पूछता हूं कि वह

लड़का कहां का था, अभी तक इस बात का पता नहीं चला। अगर यही आपके इनकाउन्टर हैं तो अच्छा है। जो और पुलिस के कारनामें बतलाये हैं, उनमें डकैती और चोरियां कम कर दी हैं, लेकिन हत्याओं को कहां ले जायेंगे। हत्याओं की ऐसी बात है कि यह मजबूर हो जाते हैं, उनकी रिपोर्ट रिकार्ड करना ही पड़ता है। यह जो 395, 396 और 397 धारायें हैं इसमें डकैती के साथ मर्डर होता है। जब कभी भी कोई ऐसी वारदात होती है तो यह उसे 302 में लिखा देते हैं। अगर कहीं पर कोई डकैती हो जाय और डकैती के साथ मर्डर हो जाय तो इनका कर्तव्य सिर्फ इतना है कि यह उस लाश का पंचनामा करके भेज देते हैं और कोई पूछे तो कह देते हैं कि रंजिश चल रही थी।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको 36-37 साल हो गये, कम से कम इतना कांफिडेंस तो लोगों में पैदा कर देते कि वह बेचारे किसी थाने में बगैर किसी भय के अपनी रिपोर्ट तो लिखा सकते या थाने में स्वयं आसानी से किसी की रिपोर्ट लिख दी जाती, ऐसी बात नहीं हो सकी है अभी तक बड़ी-बड़ी बातों को कौन कहे इनकाउन्टर वगैरह की। आपने लोक आयुक्त के बारे में जो सामान्य प्रशासन में दिया गया है, इसकी तफसील में यह तो बताया कि इतने-इतने मामले विचाराधीन हैं, इतने मामलों में कार्यवाही चल रही है और इतनों में जांच प्रक्रिया हो रही है, लेकिन यह नहीं बताया कि अंतिम रूप से भी किसी मामले में कोई कार्यवाही आज तक हो सकी है या नहीं। यह नहीं बताया। एक इंसपेक्टर हैं, गुलाम मोहम्मद, उसने लोक आयुक्त में लखनऊ के एक एस0 एस0 पी0 हैं, जिनके विरुद्ध कई मामलों को जमा करके शिकायतें दीं लेकिन उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। लोक आयुक्त ने कसियो मर्तबा उन एस0 एस0 पी0 साहब को बुलाया कि वहां आ कर इन-इन मामलों में अपनी सफाई पेश करें, लेकिन वह एस0 एस0 पी0 साहब उनके सामने एक दफा भी नहीं गये क्योंकि उनके पास शक्ति है और इस शक्ति का प्रयोग यहीं पर नहीं हुआ बल्कि उस गुलाम मोहम्मद को 11 बंद इंक्वाइरी दीं और 5 अभी और दीं और 8 मुकदमें उसके खिलाफ लगा दिये साथ ही नौकरी से निकालने का नोटिस भी देना चाहते हैं, उसे नौकरी में रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि इत्तिफाक से उसका नाम गुलाम मुहम्मद है और मुहम्मद का गुलाम है, सिंह साहब का गुलाम नहीं है, वह बनाना चाहते थे अपना ही गुलाम तो आज इस तरह से लोक आयुक्त को भी बेहैसियत कर रक्खा है, बिल्कुल डिफेक्टिव होकर रह गया है।

आप होमगार्ड की बात करते हैं। होमगार्ड का आप सबसे ज्यादा रातो-दिन इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे कोई मसला हो हर जगह सबसे ज्यादा इसी को आगे आगे रखते हैं जबकि यह गुप्ता जी के जमाने में जब चीन ने हमला किया था तब इसको बनाया गया था अपने अन्दर के कामों के लिए, लेकिन आप जो होमगार्ड्स को रोजाना भत्ता देते हैं वह सिर्फ 8 रु0 जबकि मध्य प्रदेश में जो कि आपसे माली हालत में ज्यादा अच्छा नहीं है, वह साढ़े 13 रुपया दे रहा है और हिमाचल प्रदेश 14 रुपया दे रहा है और बिहार जो हमसे किसी भी मायने में आगे नहीं है वह दे रहा है 12 रु0 प्रति दिन लेकिन हम 8 रुपया ही दे रहे हैं। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत मिट्टी डालने वालों को आप 10 रुपया दे रहे हैं, लेकिन होम गार्ड को 8 रुपया और 158 आदमी होम गार्ड के ड्यूटी करते हुए मारे गये, उनमें से किसी के परिवार वालों को पेन्शन वगैरह नहीं दी। और जैसे अन्य कैडर्स में आपने 50 परसेन्ट प्रमोशन डिक्लेयर किये, इनमें वह भी बात नहीं। पुलिस विभाग या डायरेक्टर जनरल की बात को फिर दोहराना नहीं चाहता। पुलिस की तरफ से कानून और व्यवस्था, चाहे

कोई मसला हो ब्लैक मार्केटिंग का या कोई और मसला उसे घोषित कर दिया जाता है। दूसरी तरफ उस रेन्क के अन्दर डिससेटिसफेक्शन है, डी0 एस0 पी0 और एस0 पी0 में प्रमोशन का झगड़ा है। तो उसी के साथ हम किस तरीके से पूरे सूबे की कानून व्यवस्था और ला एण्ड आर्डर की स्थिति को कन्ट्रोल करने की उम्मीद कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पूरे विभाग में असन्तोष व्याप्त है। आप देखिये कि क्या आपके विधायक आपसे सन्तुष्ट हैं ? (सत्ता पक्ष की ओर से मिश्रित आवाजें आयी कि सब सन्तुष्ट हैं।)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

सौ फीसदी सन्तुष्ट हैं।

श्री रियासत हुसैन--

चलिये हैं, तो ठीक है। अब आप देखिये कि क्या आपका मंत्रिमंडल आपसे सन्तुष्ट है ?

श्री प्रमोद कुमार--

सब सन्तुष्ट हैं।

श्री रियासत हुसैन--

ठीक है, अगर सन्तुष्ट हैं तो इसी सदन के अन्दर जब उर्दू का विधेयक आया तो आपके एक मंत्री कुछ फरमा रहे थे और दूसरे मंत्री कुछ और फरमा रहे थे। पता नहीं क्या मामला है, यह आप ही जानें। क्या सन्तुष्ट होने का ही प्रमाण है ? हमारे सूबे का किसान जिसकी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या वह आपसे सन्तुष्ट हैं ? अभी कल ही यहां सदन में आलू पर चर्चा हो रही थी तो आपके दल की ही ओर से कोरम का प्रश्न उठा दिया गया कि कहीं बात ज्यादा न बढ़ जाय और सरकार की छवि धूमिल न हो जाय। सड़कों पर आलू पड़ा सड़ रहा है। धान जो पिछले साल जो 280 और 300 में था, इस साल केवल 200 रु0 में बिक रहा है। गेहूं केवल 150 रु0 में जा रहा है। गन्ने की हालत वही, किसान उसकी कीमत से सन्तुष्ट नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब यह है किसान में आपकी सरकार के प्रति असन्तोष उत्पन्न हो गया है, यह सोचने की बात है। इसी तरह से मजदूरों का मामला है, दो महीने हो गये और आप अभी तक मोदीनगर का मसला नहीं हल कर पाये हैं। चाहे मजदूर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे किसान हो जो व्यापक रूप से सरकार से असन्तुष्ट रहेगा और उसको आप ऐसी असन्तोष की स्थिति में रखते हुए यह बताये कि ऐसी स्थिति में क्या कानून की व्यवस्था ठीक रह सकेगी ? प्रदेश में ला एण्ड आर्डर ठीक रह सकेगा ? किसी न किसी रूप में वह फूट पड़ेगा। लेकिन जो मामले मैंने खासतौर से कहे, हो सकता है कि गलत हों। यदि गलत हों तो आप बतायें हमको भी उसका पता चले।

श्रीमन्, कहा तो यह जाता है कि 12 लाख रुपया स्टेट डिपार्टमेंट का आपके भूतपूर्व मंत्रियों पर, विधायकों पर बाकी है। श्रीमन्, शोहरत तो यह है शायद यह बात गलत होगी कि उसमें आपका नाम भी शामिल है। प्रमोद कुमार जी, आप उस 2 लाख रुपए को अपने भूतपूर्व मंत्रियों और विधायकों से वसूल नहीं कर पा रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि यह क्या माजरा है ? हम तो चाहते हैं कि यह मामला गलत हो।

आप इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो इम्बैलेन्सेज आ गये हैं हर संवर्ग में फिजिकल तरीके से प्रदेश के अन्दर तो इसी के कारण से यह आवाज उठती है कि सूबे का बंटवारा कर दीजिये। कल ही आपने यहां पर कहा कि सूबे का बटवारा नहीं होगा। मैं भी यही चाहता हूं कि सूबे का बंटवारा नहीं होना चाहिये और यही बात मैंने अपनी तकरीर में कही भी थी। लेकिन जो रीजनल इम्बैलेन्सेज हैं प्रदेश के अन्दर कि सिंचाई के लिए पानी नहीं है, कहीं इण्डस्ट्रीज की जरूरत है तो वहां इन्डस्ट्रीज नहीं लगा रहे हैं, बुन्देलखण्ड का विकास नहीं हो रहा है, पहाड़ों पर

अन्य सुविधायें व खाद्यान्न नहीं पहुंच रहा है, तो पूरे प्रदेश के इन इम्बेलेन्सेज को आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। यह जो असमानता है, जिसके कारण जितने आपके अधिकारी और कर्मचारी हैं, अभी माननीय भीखालाल जी ने कहा, हवाला दिया है, मैं भी कह रहा हूं कि जनके अन्दर इम्बेलेन्सेज हैं। मान्यवर, जो उसके अन्दर इम्बेलेसेज है कास्ट बेसिस पर उसको कौन देखेगा, मान लीजिए चौधरी चरण सिंह ने प्रथा डाल दी, गलत प्रथा डाल दी, मैं कहना चाहता हूं कि अब तो आप के हाथ में है, सारी चीजें आपके हाथ में हैं, आप उसको ठीक करिये, क्यों नहीं ठीक करते हैं।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, रियासत साहब ने चौधरी चरण सिंह पर बड़ा मीठा आक्षेप किया है, क्या उन पर कोई कानून नहीं लागू होता है ?

श्री रियासत हुसैन--

मैं कह रहा हूं, इन चीजों की ओर आप ध्यान दीजिए, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं कि गलत काम को सुधारें जिनका असर सूबे पर पड़ रहा है, कर्मचारियों पर पड़ रहा है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करें। मेरा कहना है कि आप तो गलत न हो। वह गलत थे, आप अपनी गलती को सुधारें।

मान्यवर, मैं अल्पसंख्यकों में से हूं। आप देख लीजिए कि हम लोगों का परसेन्टेज क्या है ? अल्पसंख्यकों का रिजरवेशन तो है नहीं, मैं रिकार्ड बताता हूं। क्लास-ए में 3.43 प्रतिशत, क्लास बी में 5.30 प्रतिशत, क्लास-सी में 7.10 प्रतिशत और क्लास-डी में 9.15 प्रतिशत, इनका एवरेज क्या आता है, एवरेज आता है 7.47 प्रतिशत। तो यह है, आप सुन लीजिये। यह हम लोगों की हालत है। अब आप बतायें कि असन्तोष क्यों न हो, आपके 5-6लाख कर्मचारी हैं, सभी में असन्तोष है, तो मैं कहता हूं कि जब उनमें भी असन्तोष हो जायेगा तो आप काम कैसे चलायेंगे ? आप सोचें कि इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, वह समस्यायें किस कारण से खड़ी होती हैं, उनका मूल कारण क्या है, मैं बताता हूं कि इसका मूल कारण यह है कि प्रशासन शासन बन गया है और शासन प्रशासन बन गया है। यही वजह है आपकी कमजोरी की। और इस सदन के अन्दर जो शक्ति है वह नहीं रह गयी है, और आपके कर्मचारी जो आपके शासन में हैं उन कमजोरियों से फायदा उठाकर आज प्रशासन शासन बन गया है और शासन प्रशासन बन गया है। आप सुन लीजिए, यह इस प्रदेश की सबसे बड़ी बदकिस्मती है।

मान्यवर, लोकतंत्र में और लोकशाही में सबसे बड़ी ताकतवर विधायिका है, वह कानून बनाती है, प्रशासन को डाइरेक्टिव देती है कि कानून बनाया जाये, न्यायपालिका उसका इन्टर-प्रिटेशन करती है, जजमेंट देती है कि उसको आप फॉलोआउट करें, लेकिन कुछ नहीं। इस तरह के रोजाना मसले आते हैं। जिनमें समस्यायें उठती हैं। आपके जो विधायक हैं जिनकी सत्ता आप में निहित है, उनको संरक्षण नहीं मिलता है। विधायक को न तो एस0 पी0 मानता है और न डी0 एम0 मानता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर गांव के चौकीदार को थानेदार चाहे तो वहां जाकर उसकी वर्दी उतरवाकर दूसरे को दे सकता है.

लेकिन वह चौकीदार जिसे विधायक भी हटाना चाहेगा और यदि वह थानेदार की गुड-बुक्स में होगा, थानेदार की आमदनी का जरिया होगा तो उसको विधायक तो रहा दूर आप भी नहीं हटा सकते हैं। उस स्थिति में चौकीदार को हटाने की शक्ति आप में भी नहीं है। इस किस्म के मसले रात दिन आपके सामने भी आते हैं और हमारे

सामने भी आते हैं। किस तरह से गलत काम किये जाते हैं और करवाये जाते हैं।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

डाइरेक्टर जनरल हट गये।

श्री रियासत हुसेन—

श्रीमन्, हीरे की तलाश थी। कुछ लोगों की नजरों में वह हीरा था और कुछ लोगों की नजरों में बड़ी मुद्दत के बाद अब हीरा मिल गया। अगर वह समय से हटा दिये जाते तो बात सही थी कि समय से हट गये। लेकिन उनको डेली वेजेज पर रखा गया। श्रीमन्, इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े प्रदेश की समस्यायें हैं जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा कि प्रदेश का डाइरेक्टर जनरल डेली वेजेज पर काम कर रहा है। एक तरफ तो मुख्य मन्त्री को यह अहसास होगा कि दूसरे जो लोग हैं जिनका प्रमोशन होना है और प्रमोशन के लिये हर सर्विस में व्यवस्था है कि लेखपाल कानूनगो बनेगा उसी तरह से आई० जी० और डी० आई० जी० डाइरेक्टर जनरल हो सकता है, उनका मोराल कहां तक बना रहेगा, जब उनके सामने यह स्थिति आती है। यह सोचने की बात है। श्रीमन्, मैं सिर्फ दो चीजें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।...

श्री अध्यक्ष—

आपके केवल दो मिनट बाकी हैं।

श्री रियासत हुसेन—

श्रीमन्, दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। श्रीमन्, उर्दू की बात माननीय नेता विरोधी दल ने छेड़ दी। उर्दू का मामला कंट्रोवर्शियल बन गया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन उस मसले को हल करने की जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि वह आपके मनीफेस्टो में है। उर्दू से प्रभावित लोगों को यदि आपको कान्फिडेन्स में लेना होगा तो चाहे स्पेशल सेशन बुलायें और अपने से जो करना चाहें। यह आपके मेनीफेस्टो में है। इस प्रदेश के उन लोगों से बताना चाहता हूं जो प्रदेश के अन्दर किसी भी जाति के हों, उर्दू के सब हिमायती हैं, इस मौजूदा सरकार जिसमें इंदिरा गांधी भी हैं, इनसे किसी किस्म की उम्मीद रखते हों कि यह आदेश के जरिये से उस इनेक्टमेन्ट को पूरा करेंगे तो यह उनकी उम्मीदें गलत हैं। इसलिये आप ऐसी व्यवस्था न करें। उर्दू का मसला हल होगा। जिस किसी को वोट की जरूरत होगी उसे यह करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

आप उर्दू को कितनी अहमियत देते हैं। मैंने इसी असेम्बली में एक सवाल उठाया था कि क्या यह सही है कि आपका जो उर्दू का डाइरेक्टर है वह उर्दू नहीं जानता है। जवाब दिया गया कि वह उर्दू नहीं जानता है हिस्ट्री में फर्स्ट क्लास है। इस तरह से आप उर्दू का विकास करना चाहते हैं। यह मेरे हाथ में आपका जवाब है।

श्रीमन्, मैंने जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया उसके अलावा एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुख्य मन्त्री जी आपको जो इसका गर्व है कि आपके जो पीछे बैठने वाले हैं वे वांटेड लेबर हैं, कुछ उनका भी ध्यान रखिये आपके प्रदेश की जनता 10 करोड़ है जो आपकी तरफ ध्यान लगाये है। आपके आदेश से उन्हें मालूम हो कि कोई चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है। जो आदेश आप पारित करते हैं वह 21 दिन से पहले जिला लेवल पर नहीं पहुंचता। इसको आप देखिये। चीफ मिनिस्टर का आदेश हो जाय और फिर इतना समय उसके पहुंचने में लगे। आपके पास वायरलेस है तीन दिन के अन्दर जिले के अन्दर पहुंच जाना चाहिए जिससे मालूम हो कि चीफ मिनिस्टर का आदेश है।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री रियासत हुसैन—

मैंने यह सारी बातें माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने रखी हैं । उम्मीद है कि हम लोगों के सुझावों पर वह कुछ ध्यान देंगे । यह कह कर मैं नेता विरोधीदल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री सुरेन्द्र कपिल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और नेता विरोधी दल द्वारा जो कटौती का विवेक-हीन प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल से यह निवेदन करूंगा कि वे इस विवेकहीन कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें । हमारे नेता विरोधीदल बहुत बुद्धिमान हैं । मैं इस बात को मानता हूं लेकिन जो कटौती का प्रस्ताव उन्होंने रखा है और उसकी पुष्टि करते हुए जो तथ्य रखे हैं वे बिलकुल तथ्य-हीन तथ्य हैं जिनको देख कर तरस आया कि इस महत्वपूर्ण प्रदेश के नेता विरोधीदल के स्तर के नेता इस तरह के तथ्य सामने रखेंगे यह मुझे कतई उम्मीद नहीं थी ।

मान्यवर, जितने वक्ता विरोधी दल की तरफ से बोले हैं उनको मैंने सुना और उनको सुन कर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि दो तीन बातों की ओर जोर दिया, उनका मुख्य काम आलोचना करना और सुझाव देना था, ऐसा लगा कि उनका भाषण पूरी तरह से राजनीति से ओतप्रोत था । उनके भाषणों में कोई ठोस आलोचना या कोई ठोस सुझाव नहीं आया जिसका मुझे दुख है । दुख इस बात का भी है कि इतने बड़े प्रदेश के संचालन करने में विरोधी दल के नेताओं का भी योगदान हुआ करता है जितना कि सत्तारूढ़ दल का है उतना ही उनका भी होता है जिसका यह दावा रखते हैं इनके उन तथ्यों को देख कर रोना आया कि अपने प्रदेश के नेता विरोधी दल इस तरह के तथ्यों को रखते हैं और राजनीति से प्रेरित हो कर सुझाव देने के नाम पर कोई सुझाव नहीं देते हैं तो यह प्रदेश का दुर्भाग्य ही है ।

यहां तीन बातें सामने आईं एक तो हरिजनों के लिए बड़े घड़ियाली आंसू बहाये गये । यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जब-जब इन लोगों को मौका मिला इन्होंने हरिजनों के अधिकारों का हनन किया । मैं दावे के साथ कह सकता हूं चाहे इस सदन के अन्दर हो या इनके क्षेत्र के अन्दर जाकर देख लें हिन्दुस्तान का लोकतन्त्र जिसके ऊपर टिका हुआ है वह मतदान है और यह जो हरिजनों की बात करते हैं तो इनके द्वारा उनको मतदान करने नहीं दिया जाता है जो साक्षात् प्रमाण है इनके हरिजन प्रेम का यह केवल हरिजनों के ऊपर घड़ियाली आंसू बहाते हैं ।

एक बात जाति वाद की कही उसका जवाब हमारे साथी ने दे दिया और आक्षेप जो किया जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है । जब यह सदन के अन्दर ट्रेजरी बेंचेज में बैठे थे इन्होंने एक बकरी को भेड़िये की खाल पहना कर एक हरिजन को गृहमन्त्री बना कर रख दिया और प्रदेश के अन्दर जाति विशेष के नाम पर अपना राज किया यह बात किसी से छिपी नहीं है । दूसरा हरिजन प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इन्होंने रिजर्वेशन के बारे में किस तरह से अव्यवस्था की थी, किस तरह से उनके खिलाफ बात उठायी । आज उनका फिर मत लेना चाहते हैं । उन्हीं के मतों से इनको किस तरह से मजबूर होना पड़ा और ट्रेजरी बेंचेज से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपोजिशन में जाना पड़ा। अपनी गलतफहमी को अब यह दूर कर लें। घड़ियाली आंसू बहाने वालों ने उन गरीब लोगों को दो हजार साल तक दबाये रखा। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी जो गलतफहमी है उसे यह दूर कर लें आज हिन्दुस्तान का हरिजन जान चुका है कि उनके अधिकारों की अगर कहीं सुरक्षा हो सकती है तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हो सकती है।

इन भूखे भेड़ियों के नेतृत्व में नहीं हो सकता है।

मान्यवर, कांग्रेस सरकार रहने के बारे में जो श्री रियासत हुसैन और श्री भीखा लाल ने 35 साल रहने की बात कही, तो यह भूल जाते हैं उस बात को जब हिन्दुस्तान के इतिहास में ढाई वर्ष का अंधकार काल और रावण काल आया था तो हिन्दुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां थीं उनको मिटा कर रख दिया था। मैं रियासत हुसैन को इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने यह कहा था कि जनता सरकार की बुराइयों से मुकाबला न किया जाय क्योंकि बिच्छू की आदत डंक मारने की होती है और चन्दन का स्वभाव खुशबू और ठंडक देना होता है तो कांग्रेस का स्वभाव सदैव चन्दन का रहा है जबकि विरोधी दलों का स्वभाव सदैव बिच्छू की तरह डंक मारने का रहा है।

मान्यवर, हरिजनों को रिजर्वेशन किस तरह दिया गया उसका प्रमाण यह है कि जनता शासन में हरिजनों को रिजर्वेशन के खिलाफ इन लोगों ने किस तरह आवाज उठायी थी। हमारे एक साथी ने बहुत आवाज उठायी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हरिजनों की नियुक्ति बहुत कम है। तो मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में डी0 आई0 जी0 47 हैं जिसमें 6 शिडयूल कास्ट के हैं, एस0 पी0 276 में 41 हरिजन हैं, ज्वाइन्ट एस0 पी0 13 जिसमें 2 हरिजन, ए0 एस0 पी0 104 जिसमें 4 शिडयूल कास्ट, डिप्टी एस0 पी0 696 में 46 शिडयूल कास्ट के हैं। तो हमारी सरकार ने हरिजनों को रिजर्वेशन के सम्बन्ध में पूर्ण संरक्षण दिया है।

मान्यवर, अब मैं कहना चाहता हूं कि सब जानते हैं कि फोर्स के अन्दर मनोबल एक अहम भूमिका अदा करता है वह चाहे सुरक्षा सेना में हो या प्रदेश की फोर्स की बात हो लेकिन विरोधी दलों की हमेशा नियत रही है कि कोई मुद्दा उठाया जाये और फोर्स के मनोबल को गिराया जाये और उससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में गिरावट आए और उत्तर प्रदेश की दुर्गति हो। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री, श्री श्रीपति मिश्र और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अन्दर फोर्स का मनोबल बढ़ा है। इसका प्रमाण है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों और प्रमुखों का चुनाव तथा सभी त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुये जिसको सभी जानते हैं। इसलिये इनकी आलोचना का कोई आधार नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की पी0 ए0 सी0 और पुलिस ने एक अहम भूमिका अदा किया है। जैसे उत्तर प्रदेश की पी0 ए0 सी0 ने दिल्ली में चुनाव हुए तो अहम भूमिका निभाई, निर्गुट सम्मेलन और एशियाड में उत्तर प्रदेश की पी0 ए0 सी0 ने और होमगार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी तरह आसाम में भी उत्तर प्रदेश की फोर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जिसके लिये मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस और पी0 ए0 सी0 को धन्यवाद देता हूं,

मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार में डकैतों को पूरा संरक्षण दिया गया जिसका प्रमाण है कि जनता शासन में कई एक मंत्री जो ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे थे उनके साथ चुनाव के मंच पर डकैतों और मरडरर को देखा गया था, यह शर्म की बात है। मान्यवर, यहां

कितने डकैतों के गैंग को हमारी सरकार ने सफाया किया, जो रजिस्टर्ड गैंग थे उनको समाप्त किया गया मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अभी भी रियासत हुसैन ने कहा कि मुठ भेड़ें झूठी दिखायी जाती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं क्या उन्होंने अपने आप गोलियां मार लीं क्या वह भी झूठे दिखाये गये हैं। मान्यवर, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने हमेशा ही जब कभी बदमाशों का मुठभेड़ में इंकाउन्टर हुआ है तो इन्होंने उनका पक्ष लिया है और फोर्स की आलोचना किया है। मान्यवर, अब मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि एक तो हमारे पुलिस के कर्मचारियों को जो पेट्रोल का एलाउन्स दिया जाता है वह बहुत कम है जिसको बढ़ाया जाय। हालांकि हमारे प्रदेश की पुलिस को यदि कहें कि नौकरी मिलेगी, लेकिन वेतन नहीं मिलेगा, उल्टे कुछ जमा करना पड़ेगा, तो वह जमा करके भी नौकरी करने को तैयार रहेंगे। फिर भी नैतिकता के आधार पर उसके पेट्रोल का एलांउस बढ़ाया जाना चाहिए, वह एक सही बात है। साथ ही पुलिस लाइन में जो लोग रहते हैं, उनके रहन-सहन और सुख सुविधा पर भी और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, उसमें बहुत कमी है। सार्वजनिक उद्यम के बारे में मैं यह कहूंगा कि यह बहुत उपयोगी है, और उनके अधिकारियों को यह सोचकर न बनाया जाए कि उनको हम अण्डमान निकोबार भेज रहे हैं। उसको 4-6 वर्ष उस विभाग में रहने का मौका देना चाहिए, जिससे उसे पता चल सके कि इस विभाग में हमें रहना है और वह अपनी क्षमता से पूरा कार्य कर सके। जब उसे पता यह रहता है कि उसे 4-6 महीने ही रहना है तो वह विभाग का शोषण करता है और बेमन से काम करता है, जिम्मेदारी से बचकर समय टालने की कोशिश किया करता है। इसके साथ में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट मांगों का समर्थन करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत विवेकहीन कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। निवेदन करता हूं कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का विरोध और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं उनके सम्बन्ध में अपना भाषण दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं श्री बाजपेयी जी को इस चीज के लिए बधाई देना चाहूंगा कि उनका जो भाषण था, उसे उन्होंने इस अन्दाज से दिया, उसे मैंने बड़े ध्यान से सुना और देखा भी, तो मैं उनको बधाई इस बात की देना चाहता हूं कि हमारे यहां साहित्य में वाङ्मय में भांड़ों की परम्परा का जो वर्णन किया गया है, उसको उन्होंने अपने माध्यम से जीवित रखने का प्रयास किया है। इसके लिए उनको बधाई। उसके बाद....

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को इसकी बधाई देता हूं कि भले इतने वर्ष बाद ही सही, लेकिन कुछ समझने की उनमें क्षमता भी आई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसके लिए भी मैं आपका कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। अभी हमारी श्रीमती महरानी दोहरे इस पर बोल रही थीं। उन्होंने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए गुहार की और प्रधान मंत्री को बधाई भी दी। लेकिन वह यहां पर अब नहीं हैं, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने कोई मतलब की बात भी यहां कहीं....

(व्यवधान)

उन्होंने होमगार्ड की बड़ी अच्छी चर्चा की, महिलाओं की वकालत की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूं हमारे होमगार्ड में वैतनिक और अवैतनिक दोनों प्रकार के लोग हैं, तो क्या होमगार्ड कैडर में एक भी महिला वैतनिक कैडर में है ? कोई महिला वैतनिक कैडर में नहीं है । यदि नहीं है तो यह जो आपके वायदे हैं, आश्वासन हैं, यह आज के नहीं बड़े पुराने हैं । 1979 में जब हमारी सरकार थी, तो हमने फैसला किया था, लेकिन हम उनको लागू नहीं कर सके, यह आवश्यक है कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए जिस होमगार्ड की तारीफ की गयी है, उनको वैतनिक कैडर में लेने की, रखने की कृपा की जाए और उनके प्रमोशन के अवसर भी बढ़ाये जायं ।

नेता विरोधी दल ने जिस बात का जिक्र किया था, वह मैं भी कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री ने 8 सितम्बर को नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में घोषणा की थी और उनकी तारीफ की थी । करीब-करीब पौने दो सौ होमगार्ड्स की हत्या भी हो चुकी है अपना काम करते समय । उन्होंने कहा था कि उनके सम्मान के लिए कुछ काम करेंगे । लेकिन आज तक जो आपने घोषणा की उसकी कोई राजाज्ञा नहीं जारी हुई है, उसे आपने किया हो तो अपने उत्तर भाषण में बता दीजिएगा । होमगार्ड्स अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार का हमारे पास है. उसकी धारा 9 में यह दिया हुआ है कि जब कोई होमगार्ड ड्यूटी पर जाएगा तो उसे वही प्रिविलेज, वही अधिकार और वही दायित्व होंगे जो एक पुलिस कर्मी के होंगे । कोई पुलिस कर्मी ड्यूटी पर मारा जाए तो उसकी आश्रित विधवा को, जैसे वह मरा न हो, पूरा वेतन मिलता रहता है नौकरी में रहने की अवधि तक । परन्तु आप होमगार्ड को यह सुविधा क्यों नहीं देंगे । इसकी भी आप स्पष्ट राजाज्ञा जारी करें ।

श्रीमती दोहरे ने दहेज मौतों की चर्चा की, मैं भी सदन में 2-3 मामले उठा चुका हूं । लगता ऐसा है कि यह सरकार इस मामले में कोई कारगर कदम उठाने वाली है नहीं । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि सरकार ने डेढ़ साल पहले यह घोषणा की थी कि इसके लिये हम एक अलग से स्पेशल पुलिस सेल गठित करेंगे तो इस प्रकार की मौतों के बारे में जांच करेगा । पर आज तक आप उसके ऊपर से आंख बन्द किये हुए हैं । इसके लिये मैं एक सुझाव आपको देना चाहता हूं, आप उसे स्वीकार करें । क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं इसको रोकने का । सीतापुर में अभी एक लड़की को आग में जलाकर दहेज के कारण मार डाला गया । मेरा सुझाव यह है कि शादी के 12 साल बाद तक अगर किसी लड़की की दहेज के कारण मौत हो जाये तो तुरन्त उसके पति और उसके ससुर को बन्द किया जाये, गिरफ्तार करके उसके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाये और जिस प्रकार से आपने डकैतों के बारे में यह कानून बनाया है कि पुलिस चाहे जिस किसी को पकड़ ले डकैत समझ कर, उसे डकैत साबित करने का भार पुलिस पर नहीं होगा, जो पकड़ा जायेगा उस पर होगा कि वह साबित करे कि वह डकैत नहीं है इसी प्रकार दहेज के मामले में जब पति और ससुर को पकड़ा जाये तो उनको यह साबित करने की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वे यह साबित करें कि उन्होंने नहीं मारा है, न कि पुलिस यह साबित करे कि उन्होंने मारा है ।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह--

इससे तो बहुत कठिनाइयां बढ़ जायेंगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपको जब मौका मिले आप अपनी बात रखें ।

यह जो साहित्य बंटा है इसमें यह दिखाया गया है कि अपराध कम हुए

है। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मान्यवर, जैसा माननीय भोखालाल जी ने कहा, पूरी जनता की अभिव्यक्ति यह है कि अपराध बढ़े हैं। यह जो आंकड़े दिखाये हैं कम तो, इसका कारण यह है कि आज अपराध पूरे लिखे नहीं जाते हैं थानों में। मुंशी कहता है लिख कर दे जाओ। लोग एफ0 आई0 आर0 लिखाने जाते हैं, सब लिखी नहीं जाती। अगर सब लिखी जाया करें तो आज अपराधों की संख्या ड्योढ़ी हो गई है। अगर आप यह आदेश कर दें कि अगर कोई व्यक्ति एफ0 आई0 आर0 न लिखने का दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी, तो आप देखेंगे कि अपराधों की संख्या कहीं अधिक बढ़ी हुई आपको दिखायी देगी।

मान्यवर, पुलिस में अच्छे लोग भी हैं और खराब भी हैं। लेकिन अगर भ्रष्ट अधिकारी य कर्मचारी को सरकार का संरक्षण मिल जाता है तो उनके गलत काम करने की मनोवृत्ति को बल मिलता है। अभी अलीगढ़ की घटना में क्या हुआ? सिविल लाइन्स में एक श्री रामजी लाल का एक विवाद था, उनके पास स्टे आर्डर कोर्ट का था, मगर पुलिस गयी, उसने उनका सारा सामान घर से निकाल कर फेंक दिया। हजारों रुपये का सामान खराब हो गया। अभी तक दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 90 फीसदी हरिजन हैं, प्रताप शंकर नाम के एक हरिजन के घर में डकैती पड़ी, उसकी बहू के साथ बलात्कार किया। रिपोर्ट में 2 लोग नामजद हैं, यह घटना 3 नवम्बर की है, पर आज तक दो में से एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया, किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये नहीं हुई क्योंकि उन दो व्यक्ति में एक व्यक्ति वह है जो एक शीर्षस्थ नेता का लड़का है। पुलिस कर्मी ने मुझसे खुद कहा कि हम उसे कैसे पकड़ें वह तो फलां का लड़का है। बलात्कार के बाद उसके ससुर को इतना सदमा पहुंचा कि उसका हार्ट फेल हो गया।

एक पत्र मैंने माननीय मुख्य मंत्री को इटावा में 24 फरवरी को 2 औरतों को जिन्दा जला दिये जाने के बारे में भेजा था। इस घटना में 2 औरतों को जिन्दा जला दिया गया, एक व्यक्ति को को मार दिया जाता है, नामजद रिपोर्ट है। मान्यवर, घटना 24 फरवरी, 1984 की है, नामजद मुल्जिम उसी गांव में रहते हैं और अभी तक पकड़े नहीं गये हैं और न उनके खिलाफ 82/83 की कार्यवाही की गयी है।

मान्यवर, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनकी एक भतीजी बनारस में रहती हैं। उनके पति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में रीडर थे। दुर्भाग्यवश उनका देहान्त हो गया। उनसे एक छोटा सा लड़का अमित कुमार शुक्ल है जो बी0 एस-सी0 में पढ़ता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उच्च पदों पर आसीन लोग किस तरह से पद का दुरुपयोग करते हैं। एल0 आई0 सी0 के कोई मिस्टर टंडन हैं वह उनके घर में घुस आये। उनके खिलाफ दरख्वास्तें दी गयीं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह किराया भी नहीं देते हैं। मुझे शिकायत इस बात की है कि वहां के जो एस0 एस0 पी0 हैं वह श्री टंडन के घर आते-जाते हैं और उनके प्रश्रय के ऊपर यह सब हो रहा है। यह संयोग की बात है कि जो एल0 आई0 सी0 वाले व्यक्ति हैं वह मि0 टंडन हैं, वहां के एस0 एस0 पी0 भी संयोग से टंडन हैं और इसको भी संयोग कहिये कि वहां के क्षेत्रीय विधायक भी टंडन हैं। मैंने इसकी शिकायत माननीय गृह राज्य मंत्री जी से की थी और उनसे मुलाकात की। जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है, मुझे आशा है कि उसी के अनुसार वह इस पर कार्यवाही करेंगे।

मान्यवर, मैं सीतापुर जिले से चुनकर आता हूं आज क्या स्थिति हो

गयी है इसकी तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर 30 तारीख को पी0 ए0 सी0 के कुछ लड़के आते हैं। व्यापारियों से सामान खरीदने में विवाद होता है। लड़के कहते हैं कि हम शाम को आयेंगे और देखेंगे। इस बात की एफ0 आई0 आर0 1 बजे लिखा दी जाती है कि वह लोग शाम को आयेंगे और झगड़ा करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एफ0 आई0 आर0 लिखाने के बावजूद भी कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया और वहां के दूकानदारों को मारने के लिये लोग आये। पुलिस की मैटाडोर वहां पर चौराहे पर खड़ी थी। जब मुझे पता चला तो मैंने एस0 पी0 से कहा उन्होंने कहा मैं इन्क्वायरी करूंगा। मैंने भीड़ को पेश किया कि आपके सिपाही दूकानदारों को मारने आये थे। वहां चारों तरफ बाजार बंद हो गया। पी0 ए0 सी0 के लड़के आये और दूकानदारों को मारने लगे और मैटाडोर खड़ी रही। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह मैटाडोर क्यों खड़ी रही। वह कंट्रोल रूम की गाड़ी थी। तो उसने कार्यवाही क्यों नहीं की। तो इस तरह से आज निरंकुशता बढ़ती जा रही है।

श्री दीनानाथ--

व्यवस्था का प्रश्न है। नेताओं के लिए आपने आधा घंटा का समय निश्चित किया है। विधायकों के लिये 10 मिनट का समय निश्चित किया है। माननीय गुप्ता जी बहुत देर से बोल रहे हैं यह तो नेता हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। मैं देख रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अब राजनीतिक हस्तक्षेप की बात आती है। राजनीतिक हस्तक्षेप किस प्रकार से किया जाता है इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने विधान सभा में एक मामला उठाया था। बहराइच जिले की नानपारा तहसील में गांव सेमरी में वहां पर घरगिरी के पैसे को फर्जी ढंग से बांटा जा रहा है। फर्जी हस्ताक्षर किये गए हैं। मैंने इस मामले को 301 में उठाया था। मेरे पास डिस्प्यूटेड डाकूमेंट ब्यूरो की अधिकृत रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि प्रधान के हस्ताक्षर फर्जी हैं। लेकिन अभी तक जांच नहीं की गयी है। डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 इस मामले में लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। मान्यवर, इसके अलावा वहां के क्षेत्रीय विधायक श्री जटाशंकर सिंह ने इस सम्बन्ध में एक सभा के आयोजन की घोषणा की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें किस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया। भारतीय जनता पार्टी को सभा करने के लिये परमीशन दी गयी उसका कागज मेरे पास है। लेकिन एक ही समय पर कांग्रेस को सभा करने की अनुमति दी गयी, संजय विचार मंच को सभा करने की परमीशन दी गयी। परीक्षाओं के समय पर प्रचार नहीं होता है लेकिन प्रचार झगड़ा करने की अनुमति दी गयी। वहां पर कराने की साजिश की गयी थी। इसकी जांच होनी चाहिये। आखिर में मैं एक दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आपके 15 मिनट हो गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपके माध्यम से एक चीज जो है उसके बारे में मुख्य मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगा। पुलिस सेवाओं में प्रशासनिक मनमानी, राजनीतिक हस्तक्षेप, दूषित सेवा शर्तों के कारण पुलिस का मनोबल गिरता है। अभी श्री केवल रमानी को हटाया गया। आपके आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 के जो हैं उनमें असंतोष बढ़ रहा है। दो दर्जन आई0 पी0 एस0 अधिकारियों ने बगावत करके कहा है कि हमारी सर्विसेज केन्द्र सरकार को दे दी जायं। यह उनके अन्दर खुद रिवोल्ट की भावना पैदा हो रही है।

एक मिस्टर आर० पी० गोविल हैं, जो कि जूनियर हैं, आपने इनको प्रोमोट करके आई० जी० में सबसे वरिष्ठ पद पर आई० जी० (पी० ए० सी०) बना दिया, तो जो उनसे सीनियर हैं, उनमें असंतोष होना स्वाभाविक होगा। एक ओंकार शर्मा हैं--इनके विरुद्ध राजू भटनागर को संरक्षण देने का मामला सी० बी० आई० के विचाराधीन है, उन्हें अच्छे परिक्षेत्र का आई० जी० बना दिया गया। एक मिस्टर ए० पी० मिश्रा हैं, यह यू० पी० कैडर के हैं, इनके विरुद्ध विदेशी एजेंसियों से सांठगांठ के मामले में असेम्बली और लोक सभा में प्रश्न उठे। विदेशी महिला के साथ ये पकड़े गये और यहां आकर उनको समझा दिया गया, यह संयोग की बात है कि वह मिश्रा हैं। इसी तरह के कितने मामले उठ चुके हैं। इन्हें यू० पी० में वापस कर दिया और इन्हें डी० आई० जी० पद पर पुलिस मुख्यालय का जो एक महत्वपूर्ण पद है, उस पर पोस्ट कर दिया। एक श्री राधे श्याम शुक्ल हैं, एस० एस० पी० आगरा, इनकी चरित्र पंजिका में दर्ज है कि इन्हें किसी बड़े जिले का चार्ज न दिया जाय।

मान्यवर, जुये में पकड़ी गयी धनराशि की जांच हुई और सतर्कता विभाग ने इनके विरुद्ध कार्यवाही भी कर दी है और इन्हें आपने इनाम दिया है। एक डा० जी० के० शुक्ला हैं, ये खुलेआम सट्टा चलवाते थे, डी० आई० जी० ने छापा मारा, व्यापारी पकड़े गये, बयान दिये कि एस० एस० पी० की मदद से यह किया जाता है। रिपोर्ट शासन को आई कि ऐक्शन लिया जाय, परन्तु अभी तक कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। एक उमाशंकर बाजपेयी हैं, जिन्हें आई० पी० एस० कैडर में आये हुए कुल 5 साल ही हुआ है, आपने उन्हें बड़े शहर जैसे इलाहाबाद का एस० एस० पी० बना दिया। एक श्री जंगी सिंह हैं, जो एक ईमानदार आदमी हैं, उसे आप पी० ए० सी० में ले गये, क्योंकि उसने माननीय मुख्य मंत्री के रिश्तेदार को हत्या के अभियोग में पकड़ लिया था। मान्यवर, दिन-दहाड़े हत्या के अभियोग में माननीय मुख्य मंत्री के रिश्तेदार पकड़े गये। आपने फिर उन्हें वापस कर दिया। तो इस तरह से मनोबल घटेगा नहीं और क्या होगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

फिर से कह दीजिए, जो रिश्तेदार की बात कहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वह आपके एक रिश्तेदार जो आपके सम्बधी कहे जाते हैं, वह हत्या के मामले में वांटेड थे। आप उत्तर में अपनी बात कह दीजियेगा। उनको श्री जंगी सिंह ने बिन दहाड़े हत्या के अभियोग में पकड़वा दिया, उसका परिणाम क्या हुआ कि उनको वहां पर कैडर देकर पी० ए० सी० में भिजवा दिया। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। प्रस्तुत बजट पुलिस प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए, जनहित को देखकर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं इसका हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ माननीय नेता विरोधी दल द्वारा, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया गया है, इसका मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, गृह विभाग में दो बातों का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक तो रोकथाम, जिसे प्रिवेंटिव पार्ट कहते हैं, जिससे कि कोई अपराध घटने न पावे, दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है, यदि कोई अपराध घट गया (इस समय 1 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राम औतार दीक्षित पीठासीन हुए।) हो, तो उसकी छानबीन करके दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाय। इन दोनों दृष्टिकोण से हमारा गृह विभाग जागरूक विभाग के रूप में कार्य किया है और इसका अवलोकन यदि हम 1979 से लेकर 1983 तक

करें, तो स्पष्ट हो जाता है। मान्यवर, मैं ज्यादा तुलनात्मक चार्ट न प्रस्तुत करके केवल हस्तक्षेपीय अपराध, जिसे काग्नीजेबुल आफेंस कहते हैं, 1979 से लेकर 1982 तक उसके बारे में मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि 1979 में हमारे प्रदेश में दो लाख 15 हजार, 668 और 1980 में 1 लाख, 9 हजार, 565 और 1981 में एक लाख, 58 हजार, 996 और 1982 में 1 लाख, 66 हजार, 230 हस्तक्षेपीय अपराध हैं, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से 1979 में औसत 1 लाख में 210.1। 1980 में 187.2, 1981 में 161.1, 1982 में 149.9 आते हैं। अगर औसत पूरे राष्ट्र का देखा जाय तो 199.8 1979 में, 202.3 1980 में 204.4 1981 में, 198.4 1982 में, इस प्रकार हस्तक्षेपीय अपराध का जो चार्ट प्रस्तुत किया है उसे देखने से प्रदेश में लगता है कि आधारभूत कमी आई है। इसके साथ ही साथ जो हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही है, इस संदर्भ में मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा, बल्कि मैं यह कहूंगा कि हमारे शासन की तारीफ की। जातीयता की बात कही गई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि वह जिस पार्टी से आये हैं वह पार्टी जातीयता पर ही आधारित है।

मान्यवर, उनके प्रति मैं बहुत सम्मान रखता हूं। किन्तु अच्छा होता अगर हमारे अधिकारियों की आलोचना गुण-दोष के आधार पर की गई होती न कि जातीयता के आधार पर। मान्यवर, एक ओर हमारे माननीय सदस्य हैं रियासत हुसैन जी, जब भी कोई बजट रखा जाता है वह उर्दू और जातीयता की बात जरूर करते हैं। बजट चाहे जो भी हो। उन्होंने यहां पर भी दो बातें कहीं। इन्काउन्टर और उर्दू की बात। मान्यवर, हमारी सरकार जागरूक है। जो उर्दू की बात की गयी है हम अमली-जामा पहनाने पर लगे हुये हैं। जब इन्काउन्टर की बात आती है तो कहते हैं फर्जी होते हैं। जहां तक हमारी सरकार ने कार्यवाही की है

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री रघुनाथ प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, हमारे लिये क्या निर्देश हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि डेढ़ बजे से तीन बजे तक कोरम नहीं देखा जाता।

श्री अधिष्ठाता--

लंच आवर में कोरम की बात नहीं उठायी जाती है। अब उठा दी गयी है तो कोरम हो जाये।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी तथा गण पूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, विपक्ष की तरफ से इन्काउन्टर फर्जी होने की बात कही गयी। इन्काउन्टर फर्जी हो या चाहे जैसा हो, फर्जी शिकायत मिली तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और शासन ने उस पर अविलम्ब ध्यान दिया और मैजिस्टीरियल जांच, न्यायिक जांच करायी, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष इस बात पर ध्यान नहीं देता कि जो इन्काउन्टर हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या थी। अगर उसका आपराधिक इतिहास रहा है और वह मारा जाता है तो इनकी हमदर्दी किस बात की होती है। हमेशा यह देखा जाना चाहिये कि उसकी प्रोवियस हिस्ट्री क्या थी और मौजूदा हालात में किस तरह रह रहा था।

मान्यवर, दूसरी बात माननीय रियासत हुसैन ने कहा था कि दारुलशफा, विधायक निवासों में बड़ी भीड़ लगी रहती है और बड़ी शिकायतें आती हैं। मान्यवर, शिकायतें वहीं आती हैं जहां शासन के प्रति मुख्य मन्त्री के प्रति आस्था हो कि उनकी बात सुनी जाती है और शिकायत पर अमल किया जायगा। जहां आस्था होगी, काम होगा, वहीं शिकायतें भी होंगी। बात सुनी जायगी तो स्वाभाविक रूप से लोग ज्यादा आयेंगे। तो यह आस्था के कारण इतनी भीड़ होती है। विधायकों की बात कही जाती है तो प्रत्येक विधायक को मुख्य मन्त्री जी के ऊपर, एक नेता के रूप में, परिवार के प्रमुख के रूप में, नेता सदन के रूप में पूर्ण आस्था है और हमेशा यह आस्था बनी रहेगी। इन्होंने एक निर्भीक प्रशासक, शासक और नेता के रूप में कार्य किया है। दहेज के कारण मौतें होती हैं। दहेज के कारण हुए अपराधों के सम्बन्ध में माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सुझाव दिया कि जो भी 12 साल की शादी के अन्दर किसी महिला की मृत्यु हो जाय, तो उसके पति के ऊपर 302 का मुकदमा चला दिया जाय। यह अप्राकृतिक होगा, अन्याय होगा। मुझे ज्ञात है कि मुख्य मन्त्री जी ने इस पर कदम उठाये हैं।

मेरा सुझाव है 10 साल शादी के अन्दर यदि किसी महिला की मृत्यु हो जाय तो जब तक पुलिस से नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट न मिल जाय, उसका दाह संस्कार न किया जाय और यदि 5 साल के अन्दर मृत्यु हो जाय तो उसका पोस्टमार्टम आवश्यक कर दिया जाय। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह भी है जब भी किसी विवाहिता स्त्री की अप्राकृतिक मृत्यु हो जैसे जल कर मरे तो उसका पोस्टमार्टम अवश्य करा दिया जाय और उसके मैके के लोगों और ससुराल वालों से पहले पूछताछ आवश्यक कर ली जाय। लेकिन यह नहीं कि मृत्यु जैसे ही हो 302 का मुकदमा चला दिया जाय, यह अन्याय होगा।

एक सुझाव यह है कि गांव में चौकीदार का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत कम होती है। उसकी वही जगह होती है जो रेवेन्यू में लेखपाल की होती है। कि चौकीदार को गांव के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होती है। लेकिन आप चौकीदार की तनख्वाह देख लें चौकीदार 75 वर्ष से पड़ा हुआ है और वह रिटायर नहीं हुआ है और न ही उसके पास कोई साधन ही है। इसलिये मेरा सुझाव है कि चौकीदार को साईकिल भत्ता दिया जाय और चौकीदार की आयु-सीमा वही रखी जाय जो अन्य नौकरियों में आने वाले लोगों के लिए होती है। इसके साथ ही साथ मान्यवर, मैं लाइसेन्स की बात कहता हूं, उन्हें बन्दूक आदि के लाइसेन्स दिया जाय, ताकि वह अपने पास रख सके और सुरक्षा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री सूबेदार सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस सम्प्रति बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया। मान्यवर, मैं प्रस्तुत अनुदानों पर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बजट जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बजट है और विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिये है कि हमारे प्रदेश की सीमायें हरियाणा और पंजाब से मिल रही हैं और वहां पर अराजकता का वातावरण है फलस्वरूप उसका असर उत्तर प्रदेश को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सीमाओं पर पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों यहां प्रश्न आया था कि हमारे प्रदेश के किसानों की फसल को वहां के नागरिक और पुलिस काटने के लिए आती हैं। इस प्रकार की जो वारदातें हो रही हैं, उससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के प्रशासन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इधर सभी माननीय सदस्यों ने देखा भी होगा और यह निर्विवाद रूप से सत्य भी है कि हमारे प्रदेश में बैंक-डकैतियां भी काफी पड़ी हैं। इन सब चीजों को देखते हुये हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन के अन्दर जिस क्षमता की आवश्यकता थी, वह क्षमता निरन्तर घटती जा रही है। चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों और चाहे उधर के बैठने वाले लोग हों, एक मौलिक प्रश्न यह है कि प्रदेश में शासन व्यवस्था और शान्ति व्यवस्था को कैसे कायम रखा जाय। जब इसमें गिरावट आती है, तब प्रदेश के जनमानस में एक बौखलाहट पैदा होती है और एक असन्तोष पैदा होता है।

मान्यवर, आज से कुछ दिन पहले, जब इस देश को आजादी मिली थी, और उसके बाद जो अन्तरिम सरकार हमारे प्रदेश में बनी थी, उस समय की कार्यवाही को मैं पढ़ रहा था। उस समय के नेताओं, माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी और माननीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्त जी, के विचारों को मैंने देखा और पढ़ा। उन्होंने आज से 14-15 साल पहले इस बात को अनुभव किया था कि इस पुलिस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस बार यह महसूस किया कि उन्होंने इस बात की गलती की कि वह पुलिस प्रशासन में कुछ सुधार नहीं ला सकीं।

मान्यवर, इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि जो वर्तमान प्रशासन है, यह वही प्रशासन का ढांचा है, जिसे अंग्रेजों ने हमें दिया था इस प्रदेश में हुकूमत करने के लिए।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, सामान्य प्रशासन, गृह विभाग के बजट पर चर्चा हो रही है और आप देखें कि इतने महत्वपूर्ण बजट पर यहां पर कोई भी कैबिनेट स्तर का मन्त्री नहीं है। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य जी आप बहुत पुराने सदस्य हैं। इस पर क्या व्यवस्था दी जा सकती है, उसे आप स्वयं अनुभव करते हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी पीठ से कई बार ऐसे मामलों पर व्यवस्थायें दी जा चुकी हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका कथन सत्य है। सभी माननीय सदस्य और मन्त्री लोग लंच ले रहे हैं। स्टेट मिनिस्टर, होम यहां पर बैठे हुये हैं।

*श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, बीच में व्यवधान हो गया। मैं निवेदन कर रहा था कि बहुत पहले इस देश के नेताओं ने इस बात की आवश्यकता महसूस की थी कि इस देश की प्रशासन व्यवस्था, जो अंग्रेजों की देन है, उसके सहारे, इस देश के लोकतंत्र को बहुत दिनों तक चलाया नहीं जा सकता। मान्यवर, खेद है कि 37 सालों के बाद भी आज हम उसी अपंग व्यवस्था के सहारे इस देश और प्रदेश का प्रशासन चला रहे हैं। मान्यवर, मुझे जब पुलिस के बारे में कुछ कहने की बात आती है, तो मान्यवर, मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह कहते हुए कतई हिचक नहीं है कि हमारी गुलामी का अगर कोई प्रतीक मात्र शेष रह गया है, तो वह हमारी वर्तमान पुलिस व्यवस्था है और अगर हम इसको दूर नहीं करते, इसकी जगह पर कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं बनाते हैं, तो वह गुलामी का प्रतीक हमारे साथ, हमारे जनजीवन के साथ, चिपका रहेगा। मान्यवर, जस्टिस मुल्ला ने जो शब्द इस पुलिस व्यवस्था के बारे में कहे थे कि "यह एक नियोजित गैंग है" और इस बात को कहते हुए, मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं, आज आवश्यकता है कि जब देश में और प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है, इस पुलिस बल के सहारे चला नहीं जा सकता है। वर्तमान पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन किया जाय।

मेरा तो स्पष्ट सुझाव है कि आज की इस घड़ी में, जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हर विभाग में, हर क्षेत्र में पुलिस की आवश्यकता है, चाहे स्कूल हो, कालेज हो, या विश्वविद्यालय हो या श्रमिकों की हड़ताल हो या कर्मचारियों का सवाल हो, हर जगह पुलिस को जाना पड़ता है। इस मौके पर एक बीमारी से छोटी बीमारी से इलाज की बात सोचना दिवास्वप्न है। आज नहीं तो कल इसकी गम्भीरता को, इसके महत्व को हमको महसूस करना पड़ेगा। मान्यवर, मैं तो नम्रतापूर्वक यह सुझाव देना चाहता हूं, खेद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, वह चले गये हैं, इस बदलते हुए परिपेक्ष्य में, इस पुलिस बल को पूरी तरह से विघटित करने की जरूरत है। इनकी जगह पर लोक सेवा दल या जन सेवा दल की स्थापना की जरूरत है, जिनकी वर्दी, जिनकी वेशभूषा, जिनका प्रशिक्षण, हमारे लोकतंत्र के मूल्यों के अनुसार होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह जो पुलिस व्यवस्था है, इतनी अपंग और बीमार हो गयी है, चाहे इसमें जितने ही योग्य अधिकारी हों, इसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो निर्भीकता के साथ यह कहना चाहता हूं कि अगर देश को सही तरीके से चलाना है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करनी है, प्रशासन व्यवस्था को सुधारना है, तो निश्चित रूप से वर्तमान पुलिस व्यवस्था को तिलांजलि देकर, इसके स्थान पर, एक सक्रिय संगठन के माध्यम से हमको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। चाहे वह लोक सेवा दल के नाम से हो या जन सेवा दल के नाम से हो, जो सही रूप से अपने कार्यों को अंजाम दे, जो जनता की सेवा के प्रति जागरूक हो।

मान्यवर, आज पुलिस का जो ढांचा है, जो पुलिस की व्यवस्था है, उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे एक साथी श्री लल्लू सिंह चौहान, जो मैनपुरी जिले से आते हैं, पुलिस की एक घृणित साजिश से आज कत्ल के मामले में, उनको झूठा फंसाया जा रहा है। अभी माननीय मित्रसेन यादव जी का मामला कल ही सदन में उठा था। उनके प्रति जो भी वहां के पुलिस अधिकारी हैं, जो उनका व्यवहार रहा है, वह बहुत ही विध्वंसपूर्ण है। मान्यवर, एक घटना का जिक्र आपसे करना चाहता हूं। पिछले साल की बात है जो वहां पर अपर जिलाधिकारी हैं, श्री एस0 के0 वर्मा, जो एक अच्छे अधिकारी हैं, पिछले साल वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उनको गोली से मार दिया होता, बशर्ते अगर वह अपने को कमरे में न बन्द कर लेते। सत्तारूढ़ दल के एक विधायक हैं श्री मुंशी लाल जाटव, जो कांग्रेस के महामंत्री भी हैं, उन्होंने सैकड़ों पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखे उनके जीवन को खतरा है, पुलिस उनको मरवा देना चाहती है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है।

निवेदन यह करना चाह रहा था कि आज की इस घड़ी में जब पुलिस प्रशासन पूरे तौर पर गिर चुका है,

इस समय जब यह बजट पेश किया गया तो मुख्य मंत्री से ऐसा आश्वासन आना चाहिये था जो सच्चाई का प्रतीक हो। एक ऐसा सुझाव देना चाहता हूं कि आज जो सामान्य प्रशासन है, वह हमारी जनतांत्रिक सरकार के हाथ से निकलता जा रहा है और पूरी तरह से नौकरशाही के हाथ में पहुंचता जा रहा है। मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रियों के आदेशों का पालन नहीं होता है। चाहे यह महसूस करें या न करें लेकिन मैं महसूस करता हूं कि लोकतांत्रिक शक्तियां इनके पास नहीं हैं। इनको सोचना चाहिए कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सरकारों के हाथ में इनका प्रशासन कैसे आये। जो जिला परिषदें हैं, हमारी लोकतांत्रिक पद्धति का प्रतीक है, लेकिन 7 सालों से वे अपंग पड़ी हुई हैं, उनका निर्वाचन नहीं हुआ। ऐसे समय में और इस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि सामान्य प्रशासन बहुत सन्तोषजनक है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री सोमांश प्रकाश—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज इस महत्वपूर्ण बजट गृह विभाग पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके विवेक के ऊपर कोई लिस्ट का अंकुश लगा हुआ है?

श्री अधिष्ठाता—

मेरे विवेक पर कोई लिस्ट अंकुश नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सोमांश प्रकाश—

मैं इसे महत्वपूर्ण बजट इसलिए मानता हूं कि प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, सरकार की जिम्मेदारी जनमानस की व्यवस्था से सम्बन्धित है कि उनकी जो जायदाद या जमीन है और जो शान्ति व्यवस्था है, वह इस विभाग से सम्बन्धित है। इसलिए यह महत्वपूर्ण बजट है। जिसका भी शासन हो, यह उसका एक नीतिगत कर्त्तव्य है कि वह इसके द्वारा इस बात का विश्वास पैदा करे कि वह नागरिक सुरक्षा का कर्तव्य पूर्णरूप से निभा रहा है।

मैं समझता हूं कि हमारा शासन इसमें पूरी तरह से जागरूक है और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है, अभी श्री भीखा लाल जी ने कहा कि आंकड़े जो दिये गये हैं, उनका कैसे विश्वास करें। मैं बताना चाहता हूं कि अब आप जनता की अदालत में जाने वाले हैं, वहीं इसका फैसला होगा कि आंकड़े सही हैं या नहीं। जहां तक देखने का सवाल है एक बात जानता हूं कि आप जिस स्थिति में प्रदेश को छोड़ गये थे उससे अब इस प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। आप देखिये कितने डाकुओं का संहार हुआ, कितने पकड़े गये, इस प्रकार बिगड़ी हुई व्यवस्था का सुधार किया गया। ऐसी उपलब्धियां हैं जो इस पुस्तिका में जो आपके सामने है, तारीखवार दी गयी हैं। इसी के साथ जनपद मुजफ्फरनगर में 16-3-83 को एक ऐसी घटना हुई 5 लाख 44 हजार रुपये की बैंक डकैती हुई। जैसे ही जानकारी मिली ओरिएन्ट बैंक में पुलिस पहुंची, 2 आदमियों को पकड़ लिया गया और उनके पास से 3 लाख 44 हजार रुपया बरामद हुआ। और बकाया रुपया भी मिल गया था तथा दो आदमियों का इनकाउन्टर भी हुआ था इसलिए वहां के एस0 पी0 के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए भी भेजा गया है। तो माननीय, यह नहीं कि कार्य

नहीं हो रहा है, कार्य हो रहा है बल्कि यह कहिये कि बहुत सख्ती के साथ कार्य हो रहा है जो इस क्षेत्र में होना भी चाहिए।

लेकिन जहां तक असामाजिक तत्वों और चोरी-डकैती की बात है वह तो हमेशा से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा और आपके शासनकाल में भी यह सब हुआ है, जिसके आंकड़े मौजूद हैं आप देख सकते हैं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम लोगों को भी अपने को देखना चाहिए, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के, सभी को अपने कार्य-कलापों पर भी नजर रखनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इसमें कितना उचित और कितना सही है। हमें इस ओर भी विचार करना होगा जैसा कि अभी रियासत साहब कह रहे थे कि फलां बदमाश को मार दिया गया, बदमाश तो बदमाश है, उसको मार दिया गया तो कौन सी बात है अब चाहे इनकाउन्टर हुआ हो या किसी भी तरह से मार दिया। अगर किसी अच्छे और शरीफ आदमी को मारा गया है तो हमें अपनी बात उठानी चाहिए और उसके साथ हमदर्दी भी होनी चाहिए।

जहां तक बिरादरी के सम्बन्ध में बात कही गयी। नेता विरोधी दल यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि बिरादरी वाद हो रहा है तो मैं इस सिलसिले में यह बताना चाहूंगा कि मेरठ मण्डल में एक डी0 आई0 जी0 का तबादला एक दरोगा की शिकायत पर हो गया वह दरोगा दिल्ली के एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के बिरादरी का था इसलिए उस डी0 आई0 जी0 का तबादला उस दरोगा की सिर्फ एक शिकायत पर कर दिया गया यह आपके शासनकाल की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जिसकी वजह से हमारे मेरठ मण्डल में 3-4 महीने तक कोई डी0 आई0 जी0 नहीं गया। श्रीमन्, इसके साथ ही सन् 1969 में सलेका चन्द्र को जो हरिजन वोट चुनाव में डलवाने जा रहा था, उसको मार दिया गया। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता लेकिन जब आप स्वयं बिरादरी के नाम पर हरिजन उत्पीड़न के नाम पर नंगा नाच दिखा रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजन उत्पीड़न जितना आपके समय में हुआ, उतना आज नहीं हो रहा है, इस बात को हरिजन स्वयं समझते हैं, आप केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मेरे पास इस बात के आंकड़े हैं कि सन् 1981 में हरिजन उत्पीड़न के मामले 3,287 थे, सन् 1982 में 2,700 के करीब थे और 1983 में करीब 394 ही रह गये।

( शोर )

अंत में मैं अपनी बात यहीं कह कर खत्म करना चाहता हूं कि कौन आज इनके साथ ज्यादती कर रहा है, और कौन इनके खेतों को जबर्दस्ती काट रहा है और कौन इनको घास खोदने नहीं दे रहा है, यह सारी बातें हरिजन आज स्वयं महसूस कर रहा है। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा अंत में कि गढ़ी पुख्ता में एक थाने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन ने इसके लिए संस्तुति भी दे दी है, कृपा कर इसे करवाने की कृपा करें।

( 2 बजे से )

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मैं....

श्रीमती गौरी देवी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि महिलाओं को आपको प्राथमिकता देनी चाहिये। मैं कबसे खड़ी हो रही हूं।

श्री अधिष्ठाता--

अवश्य प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी को इस बात के लिए पहले बधाई देना,

चाहता हूं कि आज अरसे के बाद हेलीकाप्टर छोड़कर वे इस सदन में बैठे, यह बड़ा सौभाग्य है।

मैं दावे के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस सदन के जितने भी माननीय पुराने सदस्य हैं वे अपने दिल पर हाथ रख कर देख लें, माननीय अध्यक्ष जी तो चले गये, इस सदन की जो स्थिति अब हो रही है वह सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं रह गई है।

इस सदन में विपक्ष के लोग नियम 56, नियम 51 के अन्तर्गत तथा गैर सरकारी संकल्पों के द्वारा यहां जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि जब कभी विपक्ष के किसी प्रस्ताव पर बहस चलती है या कोई अनुपूरक प्रश्न दिया जाता है उस समय कांग्रेस की ओर से जानबूझ कर कोरम खत्म किया जाता है और मान्यवर, किसी न किसी कांग्रेसी सदस्य के द्वारा कोरम का प्रश्न उठा दिया जाता है। मैं सन् 1967 से लगातार माननीय सदन में आ रहा हूं, बैठ रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा जो अब हो रहा है, माननीय मुख्य मन्त्री जी के काल में।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने यह आंकड़ों की पुस्तिका दी है, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह पुस्तिका बिलकुल झूठ है, उसमें आंकड़े सही नहीं दिए गये हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि माननीय श्रीपति मिश्र के काल में अपराध बहुत ज्यादा बढ़े हैं और मान्यवर, भूतपूर्व महा निदेशक जो थे उन्होंने गोपनीय आदेश हर थाने में कर रखे थे कि रिपोर्ट दर्ज न की जायें। इस तरह की 150 शिकायतें अकेले मेरे क्षेत्र की हैं जहां गम्भीर घटनाओं की भी रिपोर्टें नहीं दर्ज की गयीं। मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी तो चले गये वरना मैं उनको जनता के शीशे में पुलिस का गृह विभाग दिखलाना चाहता था।

श्री विजय सिंह राना—

चले गये तो क्या हुआ, उनकी आत्मा तो यहां बैठी है।

श्री अधिष्ठाता—

गृह मन्त्री जी तो बैठे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी—

गृह मन्त्री जी तो राजकुमार हैं, वह दर्द को क्या जानें? मान्यवर, आज स्थिति यह हो गई है कि न तो आदमी अपने घर में सुरक्षित है, न तो वह अपने खेत में सुरक्षित है, न वह सफर में सुरक्षित है और न वह रास्ते में या अदालत में अपने को सुरक्षित महसूस करता है। आज कांग्रेस सरकार को शासन करते 33 साल हो गये हैं और इतने सालों के बाद यह स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस ने जनता को दुधारू गाय बना दिया है पुलिस जब चाहती है और जिस तरह से चाहती है जनता का दोहन करती है। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज जितने भी अपराध होते हैं, जितने भी जरायम होते हैं, उन अपराधों में और उन जरायमों में कम से कम 60 प्रतिशत पुलिस का हाथ है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई अपराध नहीं है, ऐसा कोई जरायम नहीं है, जो पुलिस के संरक्षण में न हो रहा हो। मान्यवर, शराब पुलिस बिकवा रही है, डकैती पुलिस डलवा रही है, पुलिस इनमें खुद शामिल हो रही है, बलात्कार पुलिस कर रही है और करवा रही है। चोरियां और जितने भी गम्भीर अपराध के काम हैं, कोई ऐसा अपराध नहीं है जो पुलिस के संरक्षण में न हो रहा हो।

मान्यवर, यहां पर कई मामले उठाये गए हैं, पिछली बार 2 दिसम्बर, 1982 को हरिजनों की बात उठाई गई थी। आप सुन लीजिए, जहां से प्रधान मन्त्री चुनाव लड़ती हैं, रायबरेली, वहां की एक हरिजन विधवा जनाका की

शिवगढ़ का थानेदार लगभग 6 लाख की सम्पत्ति लूट कर चला गया। आप मुख्य मन्त्री जी की बात करते हैं। मैं सन् 1967 से देख रहा हूं कि जितने बेकार के मुख्य मन्त्री, नकारे मुख्य मन्त्री श्रीपति मिश्र जी हैं, वैसा नकारा मुख्य मन्त्री कभी नहीं देखा है। दरोगा 6 लाख की सम्पत्ति लूट कर चला गया। आप सुन लीजिये, उस घटना पर मुख्य मन्त्री जी से 11 विधायकों ने कहा। मेरा ख्याल है कि मेरे और भीखा लाल जी के अलावा सारे विधायक सत्तादल के थे और मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि इस पर मैं इमीडिएट ऐक्शन लूंगा, पत्र उनको दिया गया। 22 दिन बाद जब उनके दफ्तर में पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस पत्र पर एक शब्द भी मुख्य मन्त्री जी ने नहीं लिखा है। मैंने बहुत मुख्य मन्त्री देखे, लेकिन इन जैसा नहीं देखा। जैसे जादुई चिराग इनके पास हो कि पत्र पर लिखे बिना ऐक्शन हो जाये।

मान्यवर, यह मामला 4 अप्रैल, 1983 को इसी सदन में उठा था। माननीय भीखा लाल जी ने जब अनुपूरक प्रश्न किया था तो सी0 आई0 डी0 जांच कराने का आश्वासन दिया गया था। एक वर्ष हो गया है, अभी तक सी0 आई0 डी0 जांच नहीं हुई, उसका पता नहीं। इस माननीय सदन का कोई महत्व नहीं रह गया है, एक समय था जो कहा जाता था उसकी पूर्ति होती थी। मान्यवर, यह जो मैं एक अभी हाल की घटना का वर्णन करना चाहता हूं। कानपुर जनपद में मन्त्री जी सुनिएगा, वहां पर एक कुरिया चौकी है, उसके अन्तर्गत एक करौली गांव है, भगवत प्रसाद तिवारी नाम का व्यक्ति स्कूटर पर अपने गांव जा रहा था। पुलिस वालों ने उनके 512 रुपये और एक एच0 एम0 टी0 की घड़ी छीन ली। उन्होंने उसका प्रतिरोध किया।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल के खड़े होकर कुछ कहने पर।)

हवा में चुनकर आये हो। सुनो। मान्यवर, उनका रुपया और घड़ी छीन ली। जब तिवारी ने इसका प्रतिरोध किया तो उसको इतना मारा कि उसकी पसलियों में चार फ्रेक्चर हो गये। आप देख सकते हैं।...

(व्यवधान)

उसके भाई की मेरे पास दरख्वास्त है। वह रो-रो कर मेरे पास आया और यह दरख्वास्त देकर चला गया।....

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, आपने उपाध्याय जी को इतना समय दिया और मुझे...

श्री अधिष्ठाता--

जो निर्धारित समय है उसके हिसाब से ही कार्य कर रहा हूं। मेरे लिये उपाध्याय जी हों या देहलवी जी हों, सबके लिये एक ही समय है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, उसका भाई अपने बेहोश भाई को जब लेकर चौकी में रिपोर्ट लिखाने के लिये गया तो चौकी के दलालों ने उन पर पत्थरबाजी कर दी, डंडे बाजी शुरू कर दी। दो आदमी के फ्रेक्चर हो गये 39 लोगों को मारा और मान्यवर, 25-26 की रात को यही पुलिस के लोग पी0 ए0 सी0 के साथ लगभग 100 पुलिस कर्मी गांव करौली गये और हरिजनों के मकानों के दरवाजे तोड़ दिये और उनको लूटा। मान्यवर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हरिजन महिलाओं के गुप्तांगों में लाठी कर दी गयी।..

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, हरिजन महिलाओं के गुप्तांगों में बन्दूक लगाकर कहा गया कि यदि घोड़ा दब गया तो तुम्हारे गुप्तांग का क्या हाल होगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, वह शब्द मैं कहना नहीं चाहता । रसूलाबाद–कानपुर की पुलिस लाशों के साथ इनकाउन्टर दिखाकर इनाम पा रही है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें । दो मिनट हो गये । अब अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, अब मैं सुझाव दे रहा हूं । जो बात मैंने कही वह सिर्फ राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से हो रही है । क्यों हो रही है ? शासक दल के लोग या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर पुलिस अफसरों से गलत काम करायेंगे तो यह मानी हुई बात है कि पुलिस वाले गलत काम करने के लिये आजाद हो जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

श्रीमन्, दो मिनट । आप भी यही पर देखते हैं कि गम्भीर मामलों पर सी0 आई0 डी0 की जांच की मांग होती है और सदस्यों की बड़ी आस्था और विश्वास सी0 आई0 डी0 की जांच पर है । मैं कहना चाहूंगा और कई बार कह चुका हूं कि आपने सी0आई0डी0 विभाग के लोगों की सीधी भरती अभी तक नहीं शुरू की ।

श्री जगदीप सिंह बराड़—

मानतीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इन अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । मान्यवर, इससे पहले मैंने कई दफे देखा कि माननीय नेता विरोधी दल जब कटौती का प्रस्ताव पेश करते थे तो अपने साथ बहुत से कागजात और बहुत सी चीजों को लेकर आते थे । श्रीमन्, वह बहुत सी चीजों को कमर झुका कर तलाश किया करते थे । क्या तलाश करते थे इसके बारे में मुझे एक शेर याद आ जाता था ।

शबाब जाता रहा और मुझे खबर न हुई,
उसी को ढूंढ रहा हूं कमर झुकाये हुए ।

आज उनके कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उनको देखने और सुनने के पश्चात् मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब वह शबाब के बाद का समय भी नहीं रहा, और उसके साथ ही वह बदल चुके हैं । इतना तथ्यहीन और बेकार भाषण था ।

मान्यवर, उन्होंने बार–बार एक बात कही जैसे कोई भयावह स्वप्न देख रहे हो, वह जातिवाद, जातिवाद चिल्ला रहे थे । श्रीमन्, मुझे अफसोस इस बात का है । परन्तु जब वह जातीयता के नाम की दुहाई देते हुए अपनी बातें कह रहे थे तो उसी के साथ अपने ही तर्क से साबित कर रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा है । उन्होंने कई नामों का उल्लेख किया उसके साथ ही विशेषतौर से यह कहते रहे कि यह अधिकारी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा है । मैं समझता हूं कि किसी जिले का उन्होंने जिक्र किया वहां पर भी यही बात बार–बार कही कि जातीयता के आधार पर यह हो रहा है । तो जातीयता का एक भयावह स्वप्न वह देख रहे थे ।

जहां तक सामान्य प्रशासन की बात है सामान्य प्रशासन के ऊपर उन्होंने

या दूसरे माननीय सदस्यों ने विशेषरूप से विपक्षी सदस्यों को मैं सुन रहा था तो पुलिस प्रशासन पर तो बहुत चर्चा हुई लेकिन सामान्य प्रशासन पर कोई विशेष चर्चा नहीं हो पायी। मैं समझता हूं कि इस बात को प्रत्येक माननीय सदस्य मानता है कि सामान्य प्रशासन की जो स्थिति है जो हमारी सरकार ने बनायी है उससे सभी सदस्य संतुष्ट हैं। पुलिस प्रशासन के कुछ आंकड़े यहां पर प्रस्तुत हुए हैं उनमें बताया गया कि पिछले 4 सालों में और पिछले एक साल में कितनी कमी आयी है। मैं इससे पहले आंकड़ों का उल्लेख करूं उससे पहले मैं अपराधों के बारे में कहना चाहूंगा। अपराध सामान्यतया दो श्रेणी के होते हैं एक अपराध वह हैं जो आपराधिक संगठनों के माध्यम से होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो तत्काल व्यक्तिगत या सामाजिक समस्याओं के कारण होते हैं। जो तत्काल व्यक्तिगत कारणों से अपराध होते हैं उन पर किसी भी शासन के लिए कंट्रोल पाना आसान काम नहीं है उसके लिए समाज के ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए जितने सरकार का दायित्व है उतना ही सदन का, समाज का हमारे अन्य नेताओं का भी दायित्व है। लेकिन जो संगठित लोगों के गिरोहों द्वारा अपराध किये जाते हैं उनके ऊपर कंट्रोल पाना वाकई में शासन का दायित्व है जिसमें डकैती, लूट, दंगे नकबजनी आते हैं जो कि संगठित रूप से किये जाते हैं, तो इनमें उल्लेखनीय कमी आयी है पिछले 4 वर्षों में डकैतियों में 40 परसेंट, लूट में, 30 परसेंट दंगों में 20 परसेंट और नकबजनी में लगभग 35 परसेंट की कमी आयी है और पिछले वर्ष में इन्हीं अपराधों में क्रमशः 5, 7, 11 और 7 परसेंट कम हुए हैं। इसमें भी हो सकता है कि हमारे कुछ माननीय सदस्य नाराजगी जाहिर करें। माननीय भीखा लाल जी कह रहे थे कि प्रशासन ने यह कहा है कि जो हरिजन विरोधी अपराध हैं उनकी शिकायतें कम आती हैं। तो क्या मैं यह निष्कर्ष निकालूं कि हरिजनों पर अधिक अपराध हों ताकि शिकायतें अधिक आयें। मैं समझता हूं कि यह बात उन्होंने केवल आलोचना की दृष्टि से कही है।

पुलिस प्रशासन के बारे में दो बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। प्रशासन की जो उपलब्धियां हैं वह आपके सामने हैं आज से चार वर्ष पूर्व इस प्रदेश से पुलिस कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया जाता था बहुत भारी संगठन डकैती कराते थे। यह हाल हमें चार वर्ष पूर्व विरासत में मिला था। दस-दस पुलिस कर्मियों को घात लगा कर मारा जाता था जिनका आज कहीं उल्लेख नहीं है। जिनका आज यहां सदन में उल्लेख भी नहीं हुआ है, क्योंकि उन डकैतों को नष्ट किया जा चुका है। मान्यवर, एक और उपलब्धि हुई जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया कि काशी विश्वनाथ में और दूसरे मंदिरों में बड़ी-बड़ी चोरियां हुई हैं पहले कभी भी इनमें से कोई चोरी पता नहीं चलती थी लेकिन इस सरकार के समय में उन चोरियों का माल बरामद किया गया है, क्या वह उल्लेखनीय बात नहीं है।

श्रीमन्, इस समय जो अपराध शहरों में हो रहे हैं उनमें विशेष रूप से बड़े-बड़े शहरों में मोटर साइकिल गश्त पुलिस की व्यवस्था की गयी है ताकि बड़े-बड़े शहरों की गलियों में जो अपराधी भाग जाते थे उनका पीछा किया जा सके। रात के समय जब मैं यहां से ट्रेन से उतर कर घर जाता हूं तो रात 2 बजे, 3 बजे मुझे सड़क पर गश्त करती हुई पुलिस मिलती है, आज से 5 वर्ष पूर्व हर शहर में नाकेबन्दी होती थी और गाड़ियां इकट्ठा हो जाती थीं। शहरों के बाहर और जैसे युद्ध के समय पर कोई घटना हो रही हो किन्तु आज जब हम जाते हैं कोई नाकेबन्दी नहीं है। सारी रात हर 5-6 किलोमीटर के फासले पर

हमारी पुलिस गश्त करती नजर आती है ।

मान्यवर, अब मैं सुझाव देना चाहता हूँ प्रशासन की कुशलता बढ़ाने के लिये और जनता की परेशानियों के बारे में । मान्यवर, समय कम है इसलिये संक्षेप में कहना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश में 1300 थाने हैं, इस तकनीकी युग में और थानों का कार्य क्षेत्र दुर्गम है और सिपाहियों एवं इंस्पेक्टर्स की संख्या कम है जिससे अपराधों का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि बाकी टाकी वायरलेस सेट, एक थाने पर एक हजार रुपया खर्च करें तो 13 लाख का खर्च करके, सभी थानों में उपलब्ध करायें । इससे कार्य क्षमता बढ़ेगी ।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है लाइसेंसधारियों के बारे में । आज नये तकनीकी युग में नाजायज असलहे जगह-जगह बनने लगे हैं । एक तरफ लाइसेंसधारी अपना असलहा बाहर लेकर चलता है जिस पर अपराधियों की नजर रहती है और दूसरी तरफ नाजायज तरीके से अपराधी असलहे को छिपाकर चलता है और वह जानता है कि चूंकि लाइसेंसधारी के पास प्रतिबन्ध आपने लगा दिया है कि 10 से अधिक कारतूस नहीं रख सकता है, तो बदमाश को पता है कि 10 कारतूस हैं और बदमाश चाहे एक, दस, 100 या 1000 कारतूस रखे तो उसके विरुद्ध एक ही गम्भीरता का अभियोग दफा 25 लगता है । इसलिए मैं चाहता हूं और मेरा सुझाव है कि लाइसेन्सधारी के कारतूसों की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए । इसके साथ ही जो बदमाश या अपराधी कोई जुर्म आग्नेयास्त्र, बन्दूक से करता है तो उसकी सजा अधिक होनी चाहिए जैसे एक आदमी कत्ल तलवार या भाले से करता है तो 20 साल की सजा देने का प्राविधान है तो बंदूक से कत्ल करने पर 30 साल की सजा का प्राविधान करें तो इससे नाजायज असलहों की कुछ कमी हो सकती है ।

इन दो सुझावों के साथ में आखिर में यह कहना चाहता हूं । अभी रियासत साहब यहां नहीं थे, अब आ गये हैं, उन्होंने अन्तरात्मा की आवाज का जिक्र किया कि अन्तारात्मा की आवाज से बताइये कि क्या है ? अन्तरात्मा तो अपनी-अपनी है और सबकी अलग-अलग है । उसकी आवाज वही सुन सकता है दूसरा नहीं । लेकिन जो आवाज उनके मुंह से और दूसरे के मुंह से निकलती है, वह आवाज वह व्यक्ति भी सुन सकता है, हर व्यक्ति सुन सकता है और हमको भी सुनाई दे जाती है । वह आवाज वह है जिसको वह आज गले लगाते हैं और कल गाली देते हैं और जिसको आज गाली देते हैं उसको वह कल गले लगाते हैं । इस आवाज के अनुसार यदि हम चले तो हमें पता नहीं कि हम कहां पहुंच जायेंगे । अब इसके बाद एक और शेर कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । इनकी आवाज और हालत पर एक शेर है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि अध्यक्ष पीठ पर बैठने वाले लोग अपने विवेक से ताड़ लेते हैं, उस विवेक से लोगों को यहां बोलने के लिए बुलवाते हैं या वह जिसको चाहे उसको बुलवा सकते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आप नाम बुलवा रहे हैं वह अपने विवेक से या किसी अनुबन्ध के तरीके से ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं अपने विवेक से बुलवा रहा हूं । इस पर किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

तो मैं यह शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं—

जुदा हो तो जुदाई में आह–आह करें,
मिलकर बैठे तो कमबख्त जहर उगलने लगे,
अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं यह मुखालिफ दल
दूर हों तो धुआं दें, करीब हों तो जलने लगें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यहां बहस जिस तरह से प्रारम्भ हुई, मैं अपने को उस परिप्रेक्ष्य में नहीं डालना चाहता हूं, यहां पर सर्वप्रथम जातीय आधार पर बात की गयी। स्वाभाविक है जिस बिरादरी वाले इस कुर्सी पर मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो उसके स्वजातियों के भाव उद्वेलित हो उठते हैं और होने भी चाहिए और सब अपने को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं यह ऐसी कोई नयी बात नहीं है। इस मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसके हाथ में उत्तर प्रदेश का पूरा शासन, प्रशासन हो यदि वह अपने निकटवर्तियों, निकटवर्ती स्वजातिय व्यक्तियों पर अपने द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करने या पालन कराने का भार छोड़ता है तो स्वाभाविक है कि उसमें ढिलाई आ जाएगी। क्योंकि निकटता में जितना अनुशासन रहना चाहिए, कड़ाई रहनी चाहिए, वह नहीं रह पाता है। यह मानव स्वभाव है यदि उसने दूसरे जाति के व्यक्तियों को अपने द्वारा बनाए गये कानूनों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है तो उस कानून का पालन सही ढंग से और अक्षरशः होता है। इसी परिप्रेक्ष में हम विरोधी दल के लोग इस नीतियों पर इस तरह का प्रश्न उठा रहे हैं।

मान्यवर, अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें आर्थिक और सामाजिक कारण भी हैं, अतः उनको फिर ध्यान देना चाहिए। जब तक समाज में सामाजिक विषमता और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी बेगार बनी रहेगी तो स्वाभाविक है कि अपराधों में बढ़ोत्तरी होगी यह आर्थिक और सामाजिक विषमता जहां शासन के द्वारा पैदा की गयी है वहीं प्रशासनिक अक्षमता भी अपराधों के बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण है। उनके बढ़ने के बहुत से कारण हैं, जहां पर उनका एक कारण प्रशासनिक अक्षमता है, वहां पर उसके साथ–साथ शासन द्वारा पैदा की गयी आर्थिक असामनता और गैर बराबरी भी है। इसलिए मैं शासन के लोगों से अनुरोध करूंगा कि आर्थिक असमानता और बेरोजगारी को मिटाकर ही हम अपराधों को रोक–थाम कर सकते हैं। दूसरी चीज मुझे अपराधों के बारे में कहनी है, आज हमारा पूर्वांचल जल रहा है, वहां का हर नौजवान जिसके हाथों में देश का निर्माण होना चाहिए, जिसके हाथों से रचनात्मक कार्य होना चाहिए, वह अपने हाथों में स्टेनगन, राईफल और बन्दूक लेकर गोरखपुर की व बस्ती की सड़कों पर घूमता है। क्योंकि इन्हें काम के लिए कोई योजना शासन की तरफ से नहीं है। किसी पुलिस के आदमी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इन लोगों से पूछ व पकड़ सके। अपराधियों को कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त है। विपक्ष तो संरक्षण दे नहीं सकता, क्योंकि हम यदि किसी को संरक्षण देंगे तो दिन दहाड़े हे उस व्यक्ति का इन काउन्टर दिखा दिया जायेगा, मरवा दिया जायगा। संरक्षण सत्ता पक्ष के ही लोगों का मिलता है

(व्यवधान)

संरक्षण मिलने के कारण ही अपराध बढ़ रहे हैं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश जल रहा है। वहां के नवयुवकों में बड़ी कल्पनायें थी, परन्तु आज विवश होकर वे एक दूसरे को मार रहे हैं। आप इसकी छानबीन क्यों नहीं कराते कि आखिर यह मशीनगन, स्टेनगन तथा अन्य हथियार आ कहां से रहे हैं? हम लोग तो एक बंदूक का लाइसेन्स नहीं दिला सकते इन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को हथियार कहां से मिलते हैं। आज हालत यह है कि बस्ती के सड़कों पर शरीफ व्यक्ति स्वच्छन्दता-पूर्वक चल नहीं सकता है जबकि बदमाश लोग राइफलें लेकर घूमते हैं।

मेरे जिले का एस0 पी0 अपराधियों से मिला हुआ है उसके लिए मैंने तमाम चार्जेज लगाये, एक गम्भीर बात यह भी है कि वह थानों से रुपया लेता है। अखबारों में भी मैंने इस तरह का बयान एस0 पी0 के विरुद्ध दिया जो छपा। मैं समझता था कि एस0 पी0 शायद मेरे खिलाफ डिफेन्स का मुकदमा चलावे। अगर यह मुकदमा चलता तो मैं अदालत में सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करता। परन्तु उन्होंने मुकदमा नहीं दायर किया, क्योंकि मेरे आरोप सही थे। इसलिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। सत्ताधारी दल के सभी विधायकों ने उस एस0 पी0 को स्थानान्तरित करने व दंडित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा मगर कुछ आज तक नहीं हुआ। आज भी वह एस0 पी0 वहीं पर है।

मान्यवर, मैंने एक पत्र, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जांच कराने के सम्बन्ध में कहा कि तत्परता से जांच होती है परन्तु मैंने अगस्त, 1983 में एक थाना अध्यक्ष के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र लिखा था जिसकी जांच के संदर्भ में अभी 3 दिन पहले डी0 वाई0 एस0 पी0 मुझसे पूछने के लिए आये थे और अभी तक कुछ नहीं हुआ 18 महीने हो गये अब जांच प्रारम्भ हो रही है अगस्त से अब तक पूछ नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री के यहां एक के0 सी0 मिश्रा हैं जो माननीय विधायकों के पत्रों का उत्तर जो माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित होता है देते हैं यहां हर पत्र का उत्तर के0 सी0 मिश्रा के हस्ताक्षर से आ जाता है कि "आपका पत्र मिला.... के0 सी0 मिश्र।"

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पाण्डेय जी, ब्राह्मण दल पर आपके क्या विचार हैं?

(हंसी)

श्री माता प्रसाद पांडेय—

मान्यवर, त्रिवेदी जी के जो सम्बन्ध माननीय काशी नाथ मिश्र जी से हैं वैसा नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में मुख्य मंत्री की हैसियत से सर्वप्रथम कहा था कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर कार्य करेंगे। आप इस मामले में मुझे अभागा कह लीजिये या सौभाग्यशाली कह लीजिये।

(हंसी)

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, डा0 लोहिया के नेतृत्व में हमने शिक्षा ली और अपनी-अपनी जवानी समर्पित की है. . .

(व्यवधान)

हमने जातिवाद को हमेशा बुरा बताया है। जो कमजोर होता है, जो समाज में जनता के बीच में जाकर खड़ा नहीं हो सकता है, जो अपने चरित्र के बल पर अपनी नीतियों के बल पर अपने को जनता के सामने नहीं लाना चाहता वह स्वजातियों के बल पर अपनी बनाने के लिए जातिवाद को बढ़ावा देता है

(व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे जिले के ही सभी हैं। यह लोगों का भी सौभाग्य है। वे कृपया तिलमिलायें और नाराज न हों। इस कुर्सी पर बैठने वाले किसी व्यक्ति ने वक्तव्य चलाया, किसी ने

(व्यवधान)

समवीवाद चलाया...

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

मान्यवर, अभी माननीय माता प्रसाद जी ने कहा कि उन्होंने अपनी जवानी डा0 लोहिया को समर्पित कर दी, मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या उन्होंने इनकी जवानी का भरपूर सदुपयोग किया ?

(हंसी)

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

मान्यवर, पूज्य महात्मा गांधी का लक्ष्य राम राज्य स्थापित करना था। राम राज्य में एक साधारण नागरिक ने राम के ऊपर आक्षेप लगाया था तो उन्होंने सीता को छोड़ दिया था। आप राम राज्य की भावना लेकर कार्य कर रहे हैं, आप उस कुर्सी पर विराजमान हैं तो आपका यह नैतिक दायित्व है कि जहां कहीं से उंगली उठे तो आपको नाराज नहीं होना चाहिये आपको तिलमिलाना नहीं चाहिये बल्कि उसकी छानबीन करानी चाहिये और अगर वह बात सही है तो उसका निराकरण करायें। इसमें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है।

मान्यवर, कहा गया कि अपराधों में कमी आयी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़े कम इसलिये हैं कि अपराध लिखे ही नहीं जाते हैं। रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप रिपोर्ट लिखाने की एक स्वतंत्र इकाई बनायें जो पुलिस अधीक्षक के अन्दर में न होकर अलग हो। वहां जाकर आदमी अपनी रिपोर्ट लिखायें और वह जिस थाना या जहां कहीं जानी हो वहां से जाय तभी अपराधों के निष्पक्ष आंकड़े सामने आ सकते हैं वरना अपराधों के सही आंकड़े सामने नहीं आ पाते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि आपने पुलिस विभाग में उच्च पदों की संख्या बहुत बढ़ा दी है। हमारे प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से जो छोटे पदों, छोटे कर्मचारियों की संख्या है वह अन्य प्रदेशों की तुलना में कम है। अगर आप अपराधों में वास्तव में रोकथाम लगाना चाहते हैं तो आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 के पदों को न बढ़ायें बल्कि छोटे कर्मचारियों, इन्सपेक्टर, सब-इन्सपेक्टर्स, पुलिस कान्स्टेबिल की संख्या बढ़ायें और उनको जो सुख-सुविधायें मिलनी चाहिये उनको बढ़ायें ताकि वह निश्चित होकर अपराधों की रोकथाम कर सकें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में, आपके ऊपर यह कलंक है, आज पूरब जल रहा है। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री होकर पूरब को नहीं बचा पा रहे हैं। आज हमारे जिले का एस0 पी0 अपराधों में लिप्त है। हमारे यहां दो मस्कट डकैतों ने सिपाही से दो वर्ष पहले छीन ली। पुलिस कर्मी मारे गये परन्तु आज तक वह मस्केट बरामद नहीं हो सकी अब ज्ञात हुआ है कि वह मस्केट बस्ती के डी0 वाई0 एस0 पी0 के पास है। वहां बस्ती जिले में डकैतों का मुकाबला करने के लिये जो स्क्वायड बना है उसने अभी तक बस्ती में एक भी डकैत नहीं मारे और न एक भी डकैती का सामान बरामद किया। इन शब्दों के साथ मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप जरा इन सारी भावनाओं से ऊपर उठकर सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इस प्रदेश के

प्रशासन को सुन्दर और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझको माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में दो शब्द कहने का अवसर दिया। मान्यवर, अभी जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उस सम्बन्ध में मैं 4 पंक्तियां कटौती के प्रस्ताव के विरोध में आपके सामने पेश करना चाहूंगा।

चार तिनकों ने बुलन्दी में जगह पायी है।

बर्क भी जिनकी जियारत को चली आयी है।

आप क्या लाये हो ये कटौती लाने वालों

लाख उलझे हो मगर हाथ में खाक आयी है।

तो बहुत कुछ कहने-सुनने के बाद जो कुछ दिखायी पड़ रहा है, चिल्लपों और शोर-शराबे के बाद, वह सब कुछ माननीय सदन के समक्ष आ रहा है। मान्यवर, मैं एक-दो बिन्दुओं पर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित कर रहा हूं। मान्यवर, जब वे बोलते हैं तो मैं दूसरे साथियों के प्रति प्रायः कोशिश करता हूं कि मैं बड़े सहयोग, सहृदयता से उनकी बात सुनूं। तो यदि उसी स्नेह और सहृदयता के साथ वह मेरी बात सुनेंगे तो बड़ी कृपा होगी।

मान्यवर, अलीगढ़ के कलेक्टर मार्स और इटावा के कलेक्टर हयूम का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। उनके कार्य करने की शैली बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनमें एक दोष था कि वह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रखते थे। उनकी चमड़ी गोरी होती थी इसलिये वह अपने ही रैंक के इंडियन आफिसर्स को अपने से नीचा समझते थे। यही परम्परा आज हमारे आई0 ए0 एस0 अधिकारियों में कैसे आ गयी यह बड़े आश्चर्य एवं दुख की बात है। यह बड़ी विडम्बना है कि जब हम आजाद हैं और सभी भारतीय नागरिक हैं, तो फिर यह चिन्ताजनक स्थिति क्यों है कि जो डायरेक्ट आई0 ए0एस0 कैडर में अधिकारी नियुक्त होता है, वह अपने आप को 20 विश्वा का ब्राह्मण मानता है। जैसे कोई 20 विश्वा का ब्राह्मण होता है, वह 15 विश्वा के ब्राह्मण को अपने से नीचा मानता है। ठीक इसी तरह से डायरेक्ट आई0 ए0 एस0 में आने वाले जो अधिकारी हैं, वे अपने-आप को 20 विश्वा जैसे ब्राह्मण समझते हैं और पदोन्नति से आई0 ए0 एस0 कैडर में आने वाले अधिकारियों को वह 15 विश्वा ब्राहमण की तरह ही अपने नीचे समझते हैं। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि शासन और प्रशासन में कोई भी आदमी आये, तो उस पद पर उनको समानता का व्यवहार करना चाहिए।

श्रीमन्, आपको याद दिलाना चाहता हूं, वैसे आपको मैं क्या याद दिलाऊं, मेरी उम्र तो बहुत कम है। जब अंग्रेज यहां पर होते थे, जो वफादार और ईमानदार कर्मचारी या अधिकारी होते थे, तो उनको वे बफादारी व ईमानदारी का इनाम देते थे और आते-जाते अपने बफादार लोगों को जागीरें दे गये या उनको रतवा दे गये। लेकिन हमारे चुनाव का जब समय आता है, चाहे कोई भी पार्टी सरकार में हो, हरिजन अधिकारियों को अधिक से अधिक जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 आदि के पदों पर अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त करती है, जैसे उदाहरण के तौर पर 1973-74 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जिलाधिकारियों की संख्या 18 थी और एस0 एस0 पी0 और एस0 पी0 रैंक के इन अधिकारियों की संख्या 14 थी, 1977 में

जिलाधिकारियों की संख्या 16 थी और एस0 एस0 पी0 और एस0 पी0 के अधिकारियों की संख्या 12 थी और उसी तरह 1980 में जिलाधिकारियों की संख्या 18 और एस0 एस0 पी0 और एस0 पी0 रैंक में इनकी संख्या 13 थी, लेकिन जैसे ही वह पार्टी सरकार में आ जाती है, तो उनकी वफादारी का इनाम यह देती है कि उनको उपरोक्त जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0, एस0 पी0 आदि महत्वपूर्ण पदों से हटा कर अत्यन्त प्रभावहीन पदों पर नियुक्त कर देती है। यदि उनकी वफादारी का इनाम देने का यही तौर-तरीका पार्टी की परम्परा में है, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है, वरना वह अत्यन्त ही आपत्ति-जनक बात है कि जो अधिकारी चुनाव के जैसे चुनौती के समय प्रशासन में अपनी दक्षता को दिखाने में सफल होते हैं, उनको ही सरकार द्वारा अच्छे पदों से हटा देती है और मैं इसलिए अब याद दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी को कि अब यह वर्ष भी चुनाव का वर्ष आ गया है, क्योंकि इस वर्ष पार्लियामेंट के चुनाव होने को हैं और आगामी वर्ष में असेम्बली के चुनाव भी होने को हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार अपनी उसी परम्परा को निभाते हुए कम से कम इस समय तो इन अनुसूचित जाति और जनजाति के अधि-कारियों को जिलों के जिलाधिकारी और एस0 पी0 और एस0 एस0 पी0, डी0 आई0 जी0 आदि महत्वपूर्ण पदों पर अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त करेगी, ताकि ये अपनी दक्षता जो हमेशा से सिद्ध करते आये हैं, पुनः अपनी दक्षता को सिद्ध कर सकें।

मेरा स्पष्ट आशय है कि जो अभी तक नहीं किया जा सका है और आज की वर्तमान परिस्थिति में जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 के पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या बहुत कम है, उसको बढ़ाना चाहिए और तभी जिलों में होने वाले हरिजन उत्पीड़न आदि को रोकने में सरकार सफल होगी। इसी तरह श्रीमन्, आपके पास सेक्रेटेरियट में सचिव के 27 पद हैं, उनमें से 18 पदों पर तो एक ही बिरादरी के लोग हैं, उसके बारे में यदि कुछ कहूंगा, तो कदाचित कुछ लोग बुरा मानेंगे, लेकिन ऐसे सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर किसी भी एक जाति विशेष का वर्चस्व रहना कोई प्रशासनिक समझदारी नहीं कही जा सकती है। आज इन सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर केवल दो ही अनुसूचित जाति के सचिव हैं, जब कि आपके पास में इस रैंक के ही 7 अधिकारी और उपलब्ध हैं, जोकि विभिन्न डिवीजनों में आयुक्तों के रूप में कार्यरत हैं। उनको आसानी से सेक्रेटेरियट में बुलाकर कुछ महत्वपूर्ण विभागों के सचिव पद पर बैठाला जा सकता है और मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस ओर विशेष रूप से ध्यान देकर इस समाज में व्याप्त असंतोष को दूर करने का प्रयास करेंगे।

अब सचिवालय में आप देखें, आपकी जो यह पुस्तिका सामान्य प्रशासन, वार्षिक प्रतिवेदन 1983 छपी है, उसके पृष्ठ 15 पर अंकित है कि अनुभाग अधिकारी के 316 पद हैं, उनमें से केवल 15 पदों पर अनुसूचित जाति के लोग हैं। इस तरह यह प्रतिशत मात्र 4 प्रतिशत है। इस तरह निजी सचिव (विशेष ग्रेड) के 5 पद हैं, उनमें अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है। समूह (ग) में यानि क्लास थ्री में 3446 कर्मचारियों की संख्या में से केवल 294 ही अनुसूचित जाति के कर्मचारी हैं जोकि कुल का लगभग 8 प्रतिशत है। समूह (घ) जिसको कि चतुर्थ श्रेणी कहा जाता है 1439 में उनकी संख्या 263 है। इसके नीचे स्वीपर्स की संख्या आती है। इसके 109 पद हैं और आपको आश्चर्य होगा कि इन 109 पदों पर 109 स्वीपर्स ही कार्यरत हैं। आखिर इनमें 18 प्रतिशत की नियुक्ति क्यों नहीं

है, 100 प्रतिशत क्यों है। मेरी मांग है कि झाड़ू-पोछा और बाथरूम साफ करने जैसे कार्यों में केवल 18 प्रतिशत ही लिया जाय, शेष 82 प्रतिशत पर दूसरे बिरादरी के लोग गैर अनुसूचित जाति के लोग रखे जायं, तभी एक आदर्श समाज की स्थापना होगी।

मान्यवर, आप स्वयं देखें कि स्वीपर्स में 109 पूरे के पूरे हैं। मान्यवर, स्वीपर्स में भी आरक्षण होना चाहिए। उनको 18 प्रतिशत लेना चाहिए 82 प्रतिशत औरों को होना चाहिए। क्योंकि "मीठा-मीठा हप, कड़वा-कड़वा थू"। तो इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है। मान्यवर, 132 निजी सचिव माननीय मन्त्री जी के साथ लगे हुए हैं। इनमें दो केवल अनुसूचित जाति के हैं। मान्यवर, उत्पीड़न को रोकने के लिये हरिजन सेल को प्रभावी बनाया जाय और उसको प्रभावी बनाते हुए हम उसको रोक सकेंगे। मिनिमम वेजेज ऐक्ट, बोन्डेड लेबर एट्रोसटी आदि से सम्बन्धित जो ऐक्ट हैं उनके अनुपालन के लिए उनके ही साथ अलग से अधिकारी और कर्मचारी सम्बद्ध किये जाएं। ताकि उनको इन्वायरा करने के लिए जिले में ही लाखों पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। अपनी ही एजेंसी द्वारा जो जांच करायेंगे उससे हरिजन सेल अधिक प्रभावी हो सकेगा और उसके जो आब्जरवेशन हों उनको लागू करने के लिए सरकार को पालिटिकल विल रखना होगा और हरिजनों के उत्पीड़न को रोकने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। उदाहरण के तौर पर सी0 आर0 पी0 के अन्तर्गत छः हफ्ते के अन्दर उसकी जांच कराने की बाध्यता रखी गयी है। लेकिन इन मामलों का निस्तारण अदालतों से 6 वर्ष में भी हो जाय तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिये डिस्ट्रीक्ट के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को प्रभावी शक्तियां देनी चाहिए और सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा की व्यवस्था के अन्तर्गत जो मजिस्ट्रेट इतना प्रभावी नहीं रह गये हैं। उनको अब पावर पंजाब में पुनः दे दी गई है। मैं चाहूंगा कि इसी तरह से अपने प्रदेश में भी मजिस्ट्रेट को अधिक पावर देनी चाहिए, ताकि प्रशासनिक मामलों का विस्तार हो सके।

जो आरक्षण के मामले हैं उनमें अ0पि0व0 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को समुचित अधिकार प्रदान किये जायं। जिससे आरक्षण प्रत्येक स्तर पर पूरा हो सके। आरक्षण के विषय में जितने भी शासनादेश जारी किये गये हैं बदली हुई परिस्थितियों में विस्तृत शासनादेश जारी किये जाएं। जिसमें सीधी भर्ती व पदोन्नति व तदर्थ नियुक्तियां तथा वर्कचार्ज में भी नियुक्तियों में समस्त विभागों में आरक्षण की व्यवस्था का प्राविधान सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त मैं कारपोरेशन की बात कहना चाहता हूं जो आपके 57 कारपोरेशन हैं उनमें आपके अधिकतर कारपोरेशन घाटे में चल रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इन कारपोरेशन में कुछ को नान आफिशियल को संचालन हेतु दे दें कुछ को प्रादेशिक सेवा, पी0 सी0 एस0 के अधिकारियों को देकर इसको अनुभव पर ट्रायल करें कि आफिशियल और नान आफिशियल में कौन से लोग ज्यादा प्रभावी हैं इनसे पता लग जाएगा और निगम लाभ की स्थिति में आ सकेंगे।

मान्यवर, जिन लोगों का उत्पीड़न होता है उनको मुआवजा मिलना अत्यन्त आवश्यक कर दिया जाए। उसी प्रकार जैसे हवाई जहाज और रेल गाड़ी में यात्रा करने वाले लोगों के एक्सीडेन्ट से आहत हो या मर जाने पर उनके परिवार वालों को कम्पेनसेशन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो वरिष्ठ अधिकारी पी0 सी0 एस0 के हैं प्रायः देखने में आया है उनको प्रशासनिक पद न देकर के उप संचालक चकबन्दी तथा एक्जीक्यूटिव म्यूनिसिपल बोर्ड जैसे महत्वहीन पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। यही स्थिति डी0 एस0 पी0 की है

जिनको फील्ड में न रखकर इन्टेलीजेन्स सी0 आई0 डी0 में डाल दिया जाता है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में है कि अनुसूचित जाति के अनेकों अच्छे और कर्मठ पुलिस इंसपेक्टरर्स को सिविल में न रख कर उन्हें कई वर्षों से विजिलेन्स और सी0 आई0 डी0 में रखा गया है और सिविल में अत्यन्त भ्रष्ट एवं बेईमानों को रखा गया है, जो हरिजन उत्पीड़न को और भी बढ़ावा देते हैं।

मान्यवर, राज्य संयुक्त प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चुनाव पी0 सी0 एस0 के रूप में होता है। कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी राज्य पुलिस सेवा तथा अन्य सेवाओं में जाते हैं।

दूसरा मान्यवर, भारत के अन्य सभी राज्यों की अपेक्षा इस प्रदेश के पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की आई0 ए0 एस0 में पदोन्नति सबसे विलम्ब से होती है। अन्य राज्यों के पी0 सी0 एस0 अधिकारी 8-15 वर्ष की सेवा पूरी कर आई0 ए0 एस0 में पदोन्नति पा गये हैं जबकि इस राज्य के 20-21 वर्ष की सेवा करने वाले अधिकारी भी आई ए0 एस0 में पदोन्नति नहीं पा सके हैं।

तीसरी बात मान्यवर, परीक्षा में नीचे स्थान पाने वाले राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की अपेक्षा 8-10 वर्ष पूर्व ही आई0 पी0 एस0 में पदोन्नति पा गये हैं जबकि उनसे उच्च स्थान पाने वाले पी0 सी0 एस0 अधिकारी आई0 ए0 एस0 में पदोन्नति का अवसर नहीं पा सके।

मान्यवर, राज्य सेवा में पी0 सी0 एस0 का वही स्थान है जो कि केन्द्रीय सेवा में आई0 ए0 एस0 का है और सामान्यतया वे आई0 ए0 एस0 अधिकारी के पदों पर कार्य करते हैं। अतः पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के पदोन्नति के अवसर किसी अन्य राज्य सेवा से कम नहीं होने चाहिए परन्तु इस समय पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की स्थिति राज्य पुलिस सेवा, राज्य न्यायिक सेवा, अभियन्त्रण सेवा तथा अन्य राज्यों के पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की अपेक्षा खराब है।

मान्यवर, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आरक्षण की नीति है, क्लास वन में 5.7, क्लास टू में 6.4, क्लास थ्री में 13 परसेन्ट और क्लास फोर्थ में 14.5 परसेन्ट है। मैं माननीय मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जो सम्मेलन हुआ था उसमें आपने राजीव गांधी के समक्ष घोषणा की थी कि तीन वर्ष के अन्दर क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री में पूरा 18 परसेन्ट का आरक्षण कर देंगे, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अब एक वर्ष बीत गया है और अभी तक इसी दिशा में कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, मुझे दुख है कि "कैरी फारवर्ड" की योजना को ताक पर रख दिया गया है। 'कैरी फारवर्ड' की योजना को ताक पर रखने के कारण कुछ नहीं किया जा रहा है। कैरी फारवर्ड योजना को जो लाभ मिलना चाहिए वह उपयुक्त लाभार्थियों को नहीं मिलता। जैसे पहले योजना चल रही थी अब भी उसी प्रवृत्ति के कारण 'उपयुक्त कैन्डीडेट नहीं मिले'। एक बहाना लेकर आरक्षण पूरा नहीं करते हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, डी0 पी0 सी0 में एक अधिकारी जो अनुसूचित जाति का है

उसमें उसका होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ताकि पदोन्नतियों में किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके और जो शासनादेश हैं उनका ठीक से पालन किया जा सके। इसी तरह से मान्यवर यह भी आश्चर्यजनक बात है कि हमारे प्रदेश में जो पुलिस आर्गनाइजेशन है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 10 हजार पापुलेशन पर 10 कर्मचारी हैं और दूसरी जगह 10 हजार पापुलेशन पर 30-40 कर्मचारी हैं। इसमें यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण कहा जायगा कि ग्रामीण अंचल में पुलिस की नियुक्ति का जो औसत है वह बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर गोरखपुर में 10 हजार की पापुलेशन पर एक सिपाही आता है। अन्य जिलों में 10 हजार पर सात-आठ आते हैं। लेकिन महानगरों में 10 हजार पर 15-20 का स्टाफ आता है और पुलिस कैडर में स्टेगनेशन हो रहा है। इसको देखते हुए उसके कारण जो असन्तोष है उसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

अन्त में मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान पुलिस उत्पीड़न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, एक समिति का गठन करके यह जांच कराने की कृपा करें कि हरिजन वर्ग के अधिकारियों को छोटी-छोटी बातों के लिए विजीलेन्स और सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी के अन्तर्गत उत्पीड़ित किया जाता है। और उनकी जांच पुलिस इंसपेक्टर एस0 एस0 पी0 और एस0 पी0 इन्होंने की होती है जो शिकायतों के कारण ही विजीलेन्स और सी0 आई0 डी0 में जाते हैं। आपने यह कहा है कि उत्पीड़न करने वाले जो लोग हैं वह समाज के कुछ और लोग हैं जो उत्पीड़न करते हैं इसके लिए आपको उचित व्यवस्था करनी चाहिए कि उत्पीड़न न होने पाए उसके लिए समुचित पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए गरीब समाज के आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि यदि गरीबों को न्याय न मिले तो—

इन्कलाब के नारों से एक तूफान मचा देंगे
ये जब्रो सितम सारे दुनिया से मिटा देंगे
कमतर न हमें समझो है खाकनशीं लेकिन।
इन खाक के जर्रों से तूफान उठा देंगे॥
हम सब के आदी हैं छेड़ों न हमें हमदम।
अपनी पे अगर आ जाएं दुनिया को हिला देंगे
अपमान के जीने से बेहतर है कि मर जाएं
सम्मान पे हम अपने सर अपना कटा देंगे॥

*श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं इस महत्वपूर्ण बजट पर जो मुख्य मन्त्री जी ने आंकड़े पेश किये हैं मुझे लगता यह है कि केवल आंकड़ों से सरकार चलाते हैं यह आज जो हो रहा है प्रदेश में जिलों में जो गांव में हो रहा है मान्यवर, उसको और देखें जो घटनायें रोज हो रही हैं और जो आंकड़े पेश किये गये, उनमें विरोधाभास है। मान्यवर ज्यादातर पुलिस स्टेशन में, डायरेक्टर जनरल भी बैठे हैं, इन्होंने यह निर्देश दिये हैं, पेपर्स के माध्यम से मैंने देखा है कि कन्सीलमेन्ट आफ क्राइम नहीं होना चाहिए। तो मान्यवर, यह कह देने मात्र से रुकेगा नहीं। माननीय भीखालाल जी ने अभी कहा कि डकैती होती है, 396 होता है, लेकिन चोरी में दर्ज कर ली जाती है। उसकी कोई इन्क्वारी नहीं होती। और मान्यवर, यह गरीब तबके के लिए, हरिजनों के लिए आंसू बहा रहे हैं, तो चारो तरफ हरिजनों के यहां डकैतियां होती हैं।

अभी मान्यवर, इलाहाबाद में एक थाने में ही 30 हरिजनों के परिवारों में डकैती पड़ी। उनके पास कुछ था नहीं। लेकिन बर्तन और मामूली कपड़े उठा ले गये। चूंकि यह प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का मामला था, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी, क्योंकि वह उनसे बन्धुआ

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मजदूरों की तरह काम करवाना चाहते थे। अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि थाने आज मिनी इण्डस्ट्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये शराब बनवाते हैं, जुआ खिलवाते हैं, डकैती, जेबकटी, कत्ल यह सब पुलिस के माध्यम से होता है। मैं पुलिस को डिमारलाइज करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वह देखनी पड़ती है। गांव-गांव में नाजायज शराब बनती है, पुलिस माह-वारी लेती है, इसलिए कार्य करने में अक्षम है। पूरे प्रदेश में नाजायज बसें चलती हैं, एक हरिजन अधिकारी थे, उन्होंने इलाहाबाद में तो नाजायज बसों का चलना बन्द करवा दिया, लेकिन उसका स्थानान्तरण वहां के मोटर वालों ने करवा दिया। पन्द्रह दिन के अन्दर उसका स्थानान्तरण हो गया। मैंने तत्कालीन सचिव से पूछा कि उसने नाजायज बसों का चलना बन्द कर दिया था, उसका तबादला क्यों कर दिया तो कहने लगे कि एक अच्छा दूसरा अधिकारी भेज दिया है।

मान्यवर, प्रदेश में इस तरह से कार्य हो रहा है। एक ईमानदार अधिकारी, इत्तफाक से वह हरिजन भी था, उसे रहने नहीं दिया। मान्यवर, जितने जरायम होते हैं, पुलिस की जानकारी में होते हैं। लेकिन, पुलिस के जो जरायम पेशा लोग हैं, जो इस तरह के खतरनाक काम करने वाले लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती है। कार्यवाही कहां करती है जहां एक गांव में दो भाइयों में झगड़ा हुआ, पुलिस ने दोनों को बन्द कर दिया और दोनों से 500-500 रुपया, हजार-हजार रुपया लेकर छोड़ दिया। मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुलिस अगर चाहे तो कहीं भी कोई क्राइम नहीं हो सकता है। प्रदेश के किसी भी कोने में लेकिन जिम्मेदारी नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है। इसी का नतीजा है कि आंकड़े दिखाते हैं कि डकैती कम हो गयी, लूट और बलात्कार कम हो गये और भी जरायम में कमी आयी है, ट्रेन डकैती कम हो गयी, बसों की लूट कम हो गयी, लेकिन वास्तविकता देखें तो रोज पहले पृष्ठों पर ये खबरें छपी होती हैं। मान्यवर, इसमें सुधारा होना तब तक सम्भव नहीं है, जब तक मौजूदा पुलिस प्रशासन का जो ढांचा है, उसे बदला न जाय। पुराना अंग्रेजों के समय का ढांचा अब अक्षम हो गया है। जनता की भावनाओं के अनुरूप कतई नहीं रह गया है। यह ट्रेनिंग जो अंग्रेजों के समय से दी जाती है, वही आज भी लागू है।

आज तमाम जरायम करने वाले पढ़े-लिखे लोग नये ढंग से काम करते हैं और जो ट्रेनिंग दी जाती है, 50 साल पुरानी दी जाती है। मैं चाहूंगा कि ट्रेनिंग पद्धति बदली जाय और नये स्तर से ट्रेनिंग दी जाय। और इसी के साथ-साथ जो क्राइम इन्वेस्टीगेशन होता है वह उन पुलिस के अधिकारियों को नहीं देना चाहिये जो ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करते हैं। क्राइम इनवेस्टीगेशन का एक प्रस्ताव आया था और धर्म बीर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की थी कि क्राइम इनवेस्टीगेशन करने के लिए एक अलग से एजेन्सी होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विधान सभा में हर साल की तरह घिसी-पिटी बातें न कह कर, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे, जिससे यह समझ में आये कि वह चीज कल शासन में परिलक्षित होगी, क्योंकि आज की स्थिति बहुत ही खतरनाक होती जा रही है।

मान्यवर, आज प्रशासन में व्यय इतना बढ़ता जा रहा है कि जहां पहले एक डिस्ट्रिक्ट में एक या दो ए0 डी0 एम0 होते थे आज वहीं 8-8 एस0 डी0 एम0 हो गये हैं जैसे ए0 डी0 एम0, प्रोजेक्ट और ए0 डी0 एम0, डेवलपमेन्ट, अब यह समझ में नहीं आता है कि प्रोजेक्ट और डेवलपमेन्ट में अन्तर क्या है। अभी एक नया पद सी0 डी0 ओ0 का सृजित किया गया है। इस सी0

डी0 ओ0 पद की क्या आवश्यकता थी।

मान्यवर, आज विधायकों और मंत्रियों के नाम पर उनको बदनाम करने के लिए बहुत सी बातें कही जाती हैं जैसे मकान आदि। यह भी कहा जाता है कि इतना किराया बाकी है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी जानते हैं और यह शासन भी उससे परिचित है कि भारत सरकार केवल अपने सेक्रेटरीज को गाड़ियां दिए हुआ है उसके नीचे ज्वाइन्ट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज को वहां पर गाड़ियां नहीं दी गई हैं। आप भारत सरकार की इस व्यवस्था को यहां क्यों नहीं लागू करते। आज 85 से 90 फीसदी अच्छे मकान बड़े-बड़े आफिसरों के पास हैं, परन्तु जो विधायक यहां पर 4-5 बार जीतकर आया है, वह अभी भी दारुलशफा में पड़ा हुआ है। आपने माननीय मुख्य मंत्री जी देखा होगा लोक सभा में। वहां पर सीनियारिटी और उसकी पद की गरिमा को देखते हुए और उसकी कार्य क्षमता को देखते हुए मकान एलाट किये जाते हैं। आप वही पद्धति यहां क्यों नहीं लागू कर देते? आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश की व्यवस्था नौकरशाही के अन्दर गुलाम हो गई है और आज जनता की भावनायें शासन में परिलक्षित नहीं होती हैं। आज जनता की जो मनोकामना है, वह शासन द्वारा पूरी नहीं की जा रही है।

मान्यवर, आज नहरों से सिंचाई नहीं हो रही है, परन्तु पतरौल लिख देता है कि फलां काश्तकार ने 5 बीघे जमीन की सिंचाई की, जबकि उसके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है, इसके बावजूद भी उससे पानी का टैक्स वसूला जा रहा है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी आप इस व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ कारगर घोषणा आज यहां सदन में करें, तो हम आपको धन्यवाद देंगे, वरना, वही घिसी-पिटी बातें, वही बजट की बातें, वही पुलिस की तारीफ और वही अधिकारियों की तारीफ अगर यहां होती रहेगी, तो कोई बात होने वाली नहीं है।

मान्यवर, मैं एक मुस्लिम युवती के बारे में कहना चाहता हूं। दिनांक 3-3-1984 को मनाठेर (मुरादाबाद) की एक मुस्लिम युवती को कुछ पुलिस कर्मी पकड़ कर ले गये और उसके साथ बलात्कार किया। माननीय मुख्य मंत्री जी क्या इस मामले को देखेंगे?

मान्यवर, ब्लाक के चुनाव हो रहे थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि विरोधी दल के नेताओं की एक बैठक बुलायी जायेगी। ब्लाक, करछना, इलाहाबाद में, जबकि एस0 एस0 पी0 और कलक्टर मौजूद थे, हमने उन्हें बताया कि 307 के मुल्जिम यहां पर नामांकन करने आये हैं। न तो कलक्टर की हिम्मत बढ़ी और न ही एस0 एस0 पी0 की। उन लोगों ने अपने पर्चे भरे और डंके की चोट पर चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत गये। आज इस प्रकार के लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। यदि यही होता रहा तो आने वाले चुनाव में, इस तरह के आदमी बहुत बड़ी संख्या में आ जायेंगे।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो गृह और सामान्य पर बजट रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। और साथ ही माननीय नेता विरोधी दल ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका यह कह कर विरोध करता हूं कि उनको सामान्य प्रशासन में और अधिक धनराशि देने के लिए शासन को प्रोत्साहित करना चाहिए था न कि जो धनराशि दी गयी है उसमें कटौती प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

श्रीमन्, कुछ 4-5 बातों की ओर आपके माध्यम से, आदरणीय सदन का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले तो यह कि सब लोगों ने यह कहा कि अपराध और अपराधी लोग बढ़ रहे हैं, यह भी कहा कि शासन के जो आंकड़े हैं, वह सही नहीं हैं, यह भी कहा कि राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं और माननीय नेता विरोधी दल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अपराधियों का राजनीतिकरण कब से शुरू हुआ, अपराधियों का राजनीतिकरण वर्ष 1977 से शुरू हुआ। 1977 का ऐसा वर्ष आया था, जब अपराध करने वाले लोग मंत्रिमंडलों में लाये गये, यही नहीं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में आकर, जहां पर वह शासन करते थे, अपने साथी अपराधियों को मंच पर बिठाकर, भाषण दिलाया है, बल्कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में भी ज ज फर्नाडिज जैसे व्यक्ति को भी शामिल करवाया जिन्होंने घोषणा की थी कि उन्होंने अपराध करवाये हैं, अपातकाल के दौरान, उन्होंने गर्व के साथ इस बात को कहा था मैं कहना चाहूंगा कि अपराधियों के राजनीतिकरण की बाबत, वास्तव में उसका स्वरूप धीरे-धीरे वहीं से विकसित होता गया और उस विकसित स्वरूप को देखने के लिये, आज नेता विरोधी दल इस बात को बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हैं तो कैसे उनकी यह बात होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से...।

श्री कुबेर भंडारी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, जार्ज फर्नाडीज का नाम लिया गया, मान्यवर, जब देश में शासन व्यवस्था बदलने का आन्दोलन चला था, जब सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था, देश में जिस समय काली घटा छायी हुई थी, उस स्थिति में, जार्ज फर्नाडीज ने जिस बहादुरी का काम किया था, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। जो इन्होंने उनके लिये अनुचित शब्द कहें, मान्यवर, उनको आप कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

जो यहां के सदस्य नहीं हैं, उन पर आक्षेप न लगाये जायं, भविष्य में इसका ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मान्यवर, जो शासन की व्यवस्था, इसलिए उस पर ध्यान आकर्षित किया। मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ गया है, चाहे ब्लाक प्रमुख ही क्यों न हो, वह कहता है, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं माननीय ब्लाक प्रमुख हूं। इसी तरह से आप जब इस बात की चिंता कर रहे हैं, अगर कोई अपराधी संसद सदस्य हो जाता है, तो वह अपने को कहता है कि मैं संसद सदस्य हूं, मैं अपराधी नहीं हूं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया है, इस दुर्भाग्य को आपको सोचना होगा, इसके संशोधन की ओर आप ध्यान करें। एक बात और कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल को हंस की तरह नीर-क्षीर तरीके से ही बात कहनी चाहिये थी, उसी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिये था, लेकिन नेता विरोधी दल ने जाति का चश्मा लगाकर के पूरे के पूरे स्वरूप को ही, अपने भाव से और अपने जाति दृष्टिकोण से देखा। माननीय नेता रियासत हुसैन ने अपनी बात कही थी। मैं तो कहता हूं कि रियासत हुसैन साहब का नाम अगर सियासत साहब हो जाता, तो ठीक था, क्योंकि वह सियासत की बात कहते हैं और वह ऐसे ही चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे उनके दल को लाभ हो जाय, और जो पीड़ा होती है, वह उजागर हो जाय। उनकी जनता पार्टी के नेता की हार हुई थी, उस पीड़ा को उजागर करने का दूसरा माध्यम इन्होंने आज यहां चुना था।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, माननीय मुख्य

मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, एक शेडो संवर्ग है। यह शेडो संवर्ग 1960 में बना था। शेडो संवर्ग के नाम पर, उस वक्त, उसमें केवल 50 लोग ही रखे गये थे, बाद में 1977 में इसका सख्या 110 हो गयी है। 1977 में इस संवर्ग में 110 लोग हो गये। वह पूरा का पूरा संवर्ग अलग है। जब उनकी प्रोन्नति के अवसर की बात होती है, उनको मौका नहीं मिलता है उनके अपने उस डिपार्टमेन्ट से, जहां से वे आये हुए हैं। लेकिन, इधर तो उनके लिये दुर्भाग्यपूर्ण भावना बनी कि जब वहां पर पदा-वनति होने लगी, तो उससे उनको भी प्रभावित कर दिया गया पुलिस व अन्य लोगों के साथ। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं। विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा की दृष्टि से यह एक आवश्यक बना है। पंजाब चाहे हो, और चाहे असम हो, और अन्यत्र कहीं समस्यायें हों, आज सुरक्षा की समस्या जहां भी उत्पन्न हुई है, विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा के लिये, जो यह संवर्ग रखा गया है उनकी संतुष्टि और उनके प्रोन्नति के अवसरों को न कुचलें। पुरानी परिपाटी को कायम रखें कि संवर्ग से ही प्रोन्नति हो।

पुलिस के लोगों ने कुछ अच्छे काम किये हैं। आल इन्डिया पुलिस मीट का जो आयोजन किया है, उससे उत्तर प्रदेश की पुलिस की प्रतिष्ठा पूरे देश में बढ़ी है। इसकी प्रशंसा करते हुए कहना चाहता हूं और कर्तव्य मानता हूं कि आज कोई भी व्यक्ति किसी एक अधिकारी को भाव या कुभाव से अच्छा या बुरा कहता है। मेरा कहना यह नहीं है कि सेवा काल पूर्ण हो जाने के बाद उसे सेवावृद्धि दी जाय लेकिन अगर किसी ने सेवा काल में अच्छा काम किया है, तो उसे गलत न कहें। किसी अच्छे अफसर को आप बेईमान कहेंगे तो दूसरों पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। शासन किसी होम सेक्रेटरी को रखता है किसी को नहीं रखता है, यह उसकी अभिरुचि है।

इसके साथ ही कुछ सुझाव देना चाहता हूं। होम गार्ड के लोगों का दैनिक भत्ता बढ़वा दें। जो प्रोन्नति हो, आरक्षण हो, कुशलता के आधार पर रखें, जाति के आधार पर न रखें। आपको एवीडेन्स ला में भी संशोधन करना पड़ेगा। इन संशोधनों के बिना अपराधों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। 25, आर्म्स एक्ट हैं, जो मसाला मिलाकर बम फेंक देते हैं, इस प्रकार के कामों के लिये एक्सप्लोसिव एक्ट की तरह का कोई नियम बनाइए। सार्वजनिक उद्योग विभाग में आप अधिकारियों को पोस्टिंग कर देते हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। इसलिये, विशिष्ट लोगों को ट्रेनिंग दिलाकर पी0 सी0 एस0 आई0 ए0 एस0 के अधिकारियों को सार्वजनिक उद्योगों में भेजें हानि या लाभ की जिम्मेदारी भी उन्हीं की रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुख्य मंत्री जी के इस महत्वपूर्ण बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया।

मैनपुरी जिले की कुछ घटनाओं को इस सम्मानित सदन के सामने रखना चाहता हूं। इनसे पुलिस और माननीय मुख्य मन्त्री जी, तत्कालीन डायरेक्टर जनरल, आई0 जी0, पुलिस और दूसरे पुलिस अधिकारियों की क्षमता का पता चलता है। 1981 में एक कान्ड हुआ जिसमें पुलिस के अधिकारियों ने सीधे-सीधे जिसमें डिप्टी एस0 पी0 शील भद्र द्विवेदी सम्मिलित थे, सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर सम्मिलित थे, 47 लोग और सम्मिलित थे 51 के खिलाफ रिपोर्ट की

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी थी। श्री शिवपाल सिंह, क्षेत्र के अहलकार को कोतवाली में बुलाकर हवालात में बन्द कर दिया गया, 36 घन्टे बन्द करने के बाद में यह कहकर कि हवालात से छोड़ दिया गया, उसे मार दिया गया। कलेक्टर से भी यही कहा गया कि उसे छोड़ दिया गया है। हम लोगों ने चार्ज लगाया कि पुलिस ने उसको मार दिया है, छोड़ा नहीं है। इसी बात को लेकर बाजार बन्द हुए, हड़ताल हुई। एक जन-संघर्ष समिति बनी बाजार बंद रहे, स्कूल बन्द रहे, सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी की मांग की गयी और सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी हुई और 51 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चार्ज शीट लगाई गयी, उसमें एक डिप्टी एस0 पी0 शील भद्र द्विवेदी, दो इंस्पेक्टर व सब-इंस्पेक्टर और 45 के करीब ड्राइवर कांस्टेबिल हैं, जिन्होंने शिवपाल सिंह और उनके लड़के का कत्ल किया। पिता और पुत्र दोनों की लाशें बरामद हुई। लेकिन प्रासीक्यूशन सेक्शन हो जाने के बाद भी शीलभद्र द्विवेदी को आज तक निलंबित नहीं किया गया है जबकि इससे संबंधित सभी कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है और जेल भी गये, जो आज जमानत पर हैं।

मान्यवर, 3 सितम्बर, 1983 को मेरी पार्टी का राज्य-व्यापी प्रदर्शन था, जिसमें मैं भी सम्मिलित होने के लिए गया था और यद्यपि उस दिन सदन भी था। साढ़े पांच बजे जब मैं प्रदर्शन से लौटकर आ रहा था तो राम औतार शशि और बृजराज सिंह के साथ 8 अन्य अपराधी थे, जिनके पास हथियार थे। राम औतार शशि के पास कार्बाईन थी, बृजराज सिंह के पास देशी 12 बोर का कट्टा था और इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। इससे पहले की वह हमको मारता हमारे शंडो ने उस पर फायर किया अपनी सर्विस रिवाल्वर से, जिससे बृजराज सिंह घायल हो गया, बाद में फिर वह मर गये। शंडो की एफ0 आई0 आर0 है कि उसने स्वयं मेरी रक्षा के लिए उस पर रिवाल्वर चलाई, जिससे वह घायल हुए। लेकिन राम औतार शशि की एफ0 आई0 आर0 है कि लल्लू सिंह चौहान ने बृजराज सिंह को मारा। मान्यवर, यह राम औतार शशि वह आदमी है जो एक अन्तर्राष्ट्रीय मूर्ति चोर के गिरोह का नेता है, जिसमें फतेहपुर की मूर्ति चुराई थी, जिसका अमेरिका में मूल्यांकन 3 करोड़ का और हिन्दुस्तान में 45 लाख रु0 का हुआ और यह राम औतार शशि कार्बाइन का लाइसेंसी होल्डर है। इसकी एफ0 आई0 आर0 पर हमारे खिलाफ सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी चल रही है और शीलभद्र द्विवेदी की साजिश से मुझे 302 का मुल्जिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इस सम्मानित सदन के सामने इस तथ्य को रखकर मैं न्याय की अपेक्षा करता हूं।

तीसरी घटना 14/15 मार्च की है जो हाली से दो दिन पूर्व की है जबकि शिकोहाबाद से फर्रुखाबाद जाने वाली गाड़ी से एक युवती यात्रा कर रही थी और एक जी0 आर0 पी0 सिपाही उसके साथ छेड़-छाड़ कर रहा था। एक भारत सेना में कार्यरत सिपाही भी उसी ट्रेन से यात्रा कर रहा था जिसने इस छेड़-छाड़ के प्रति टोका, जिससे दोनों में तकरार हो गयी। जब वह सेना का आदमी मोटा स्टेशन पर उतरा तो उस जी0 आर0 पी0 वाले ने वहां के खलासी से उसका पता पूछ लिया और फिर दूसरे दिन उसी ट्रेन से मोटा स्टेशन पर गाड़ी को दो घंटे रुकवा कर जी0 आर0 पी0 के 10-12 सिपाही उसके गांव गये और वहां पर जा कर सार्वजनिक लूट पाट की। जिनके पास कई राइफलें और बंदूकें थीं और जो सामान लूटा गया उनमें बंदूकें, राइफलें घड़ियां, रेडियो ट्रांजिस्टर और चालीस तोले करीब सोने के जेवरात लूटे गये और दो आदमियों को गिरफ्तार करके ले गये और अब पता चला है कि जी0 आर0 पी0 पुलिस ने ट्रेन डकैती का मुकदमा

कायम किया है, जिससे इस समय पूरा गांव भागा हुआ है, और वहां के अनेक लोगों के नाम वारंट है, इसलिए मेरी मांग आपसे है कि इस पूरी घटना की जांच करायी जाए सी0 आई0 डी0 द्वारा, जिससे घटना की वास्तविकता का पता चल सके और मोटा गांव के निर्दोष नागरिकों की इज्जत की सुरक्षा हो सके।

*श्रीमती सन्तोष कुमारी--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं गृह विभाग और सामान्य प्रशासन पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करती हूं और माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करती हूं। आज मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विरोधी दल के भाइयों से कहना चाहूंगी कि वे लगातार सुबह से केवल दो टापिक पर कि हरिजनों को सताया जा रहा है, पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं है, बोले चले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में जितना हरिजन अपने को सुखी और आनन्द में अनुभव कर रहे हैं, क्या आपके समय में जब बीच में ढाई साल के लिये आपकी सरकार थी, वह अपने का अनुभव कर पाये थे ? यदि आप इतने ही सुयोग्य और कर्मठ थे तो फिर जनता ने क्यों आपको हटा दिया और आप अपने शासन के पांच साल भी पूरे नहीं कर पाये ? और जनता ने फिर प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ में शासन की बागडोर पकड़ा दी।

श्री अध्यक्ष--

आपके बोलने पर, आपकी सहेलियां जो बैठी हुई हैं, सब की सब हंस रही हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती संतोष कुमारी--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारे जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में जो थाने खुले हुए हैं, उनकी बिल्डिंग के लिए तुरन्त व्यवस्था की जाय ताकि वहां के पुलिस विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। किराये की बिल्डिंग में पुलिस का कार्यालय रहने के कारण, पार्टीबन्दी होने के कारण बराबर दबाव बना रहता है।

श्रीमती सुमन लता--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आपने कहा कि आपकी बात पर महिलायें हंस रही हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने महिलायें नहीं, सहेलियां कहा है।

श्रीमती सुमन लता--

मान्यवर, यह आप बतला दें कि यह हंसना खिल्ली उड़ाने के लिए कहा है या प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था क्या है ? ठीक है सहेली पर सहेलियां हंस रही हैं।

श्रीमती सन्तोष कुमारी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मुझे अपने सम्मानित सदन के सभी साथियों से कहना है कि आप आज से दो वर्ष पहले की व्यवस्था को याद कीजिए कि अपराध यहां पर तूफान की तरह से बढ़े हुए थे। हम लोगों का जीना, जनता का जीना मुश्किल था। लेकिन इन दो वर्षों में जब से माननीय श्रीपति मिश्र जी मुख्य मंत्री हुए और फिर डाईरेक्टर जनरल श्री श्रीशचन्द्र दीक्षित जी हुए और उन्होंने जब से अपना कार्यभार संभाला तबसे अपराधों में शान्ति आयी है, जैसे तूफान आने के बाद शांति होती है वैसे ही अब अपराधों के बाद शांति छा गयी है। जो आदमी जब जा चुका है तो

आप लोग सुबह से लगातार उसकी बुराई ही करते चले जा रहे हैं जबकि वह प्रशंसा का पात्र है। मेरी आप लोगों से अपील है कि माननीय मुख्य मंत्री जी तत्काल डाईरेक्टर जनरल को सब इकट्ठे हो कर उन्हें बधाई दें, उनके कार्य-कलापों के प्रति बधाई दें। ताकि दूसरे आने वाले डाईरेक्टर जनरल सारी जनता की कठिनाइयों को सुनें और अपने पद पर अच्छा कार्य कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

*श्री खैरुल बशर--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे पुलिस के बजट पर बोलने का मौका दिया है। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मैं सुबह से सुन रहा हूं कि सत्ताधारी दल के लोग पुलिस की तारीफ करते हुए उनके द्वारा किए हुए कारनामों पर पर्दा डाल रहे हैं। मैं कहता हूं कि इस प्रदेश में हर तरह के अपराध बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं यह सरकार न तो बिजली पर काबू पा सकी है, न मंहगाई को रोक सकी है, महंगाई भागती चली जा रही है। आज की जो पुलिस है उसको देखकर अंग्रेजों के जमाने की पुलिस की याद आ जाती है, जो अत्याचार पुलिस करती है वह किसी से छिपी नहीं है, आज ऐसा लगता है कि जियाउल हक की पुलिस की तरह से आज की हमारी पुलिस व्यवहार कर रही है, ऐसा लगता है कि मिलिटरी शासन आ गया है, पुलिस पर किसी का और किसी प्रकार का अंकुश नहीं है। जिले में जो सब-इन्सपेक्टर होता है उसकी परीक्षा में 30 हजार रुपये की मांग की गयी और अगर मैं उस लड़के को इस सदन में लाकर खड़ा कर दूं तो वैसा जवान आपको देखने को नहीं मिलेगा। पुलिस में नौकरी देने के लिए घूस मांगी जाती है, तो उसके यह अधिकारी जनता के साथ गरीबों के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं।

मान्यवर, यहां पर आज हरिजनों की बात बड़े जोर-शोर से कही गयी है, उन पर जुल्म किए जाते हैं और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। मैं इन्हा चाहता हूं कि अगर पिछले साल 5700 जुर्म हुए थे, डकैतियां पड़ी थीं, तो इस साल 1100 डकैतियां पड़ी हैं। मैंने इसी सदन में एक प्रश्न उठाया था कि 8वें दर्जे की लड़की के साथ पुलिस ने बलात्कार किया। मान्यवर, वहां के बार एशोसिएशन के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी और उन्होंने आपके पास भी चिट्ठी लिखी है और उन्होंने मांग की है कि अभी तक पुलिस के अपराधी नहीं पकड़े गये हैं और उन पर न तो कोई मुकदमा ही चलाया गया है। और अब तक कोई जांच भी नहीं की गयी है। जिन अत्याचारों का समाचार इस सदन में उठता है, उस पर भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है पुलिस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, वह जुर्म पर जुर्म करती चली जाती है। गाजीपुर जिले में जेल के अन्दर 2 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसकी अभी तक जांच नहीं हुई है। मान्यवर, जनवादी पार्टी के नेता भाषण कर रहे थे, श्री राम रक्ष यादव, पुलिस ने उनको मारा-पीटा। वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने लिखा, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

दीवान रबड़ फैक्टरी, मेरठ के अन्दर मजदूरों पर पुलिस ने लाठी चलायी, उनको मारा-पीटा और यह सारा कांड वहां के एस0 एस0 पी0 की मौजूदगी में हुआ। तो मान्यवर, आपके सम्मुख यह चीजें रख रहा हूं कि सरकार की जो रिपोर्ट है वह गलत है, पुलिस का अत्याचार बढ़ रहा है, इलाहाबाद के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्दर, आजमगढ़ के अन्दर पुलिस ने डकैतियां और चोरियां करवाई। मान्यवर, पुलिस वर्दी पहन कर सारे अपराध करती है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मऊनाथ भंजन में वहां की पुलिस ने बदमाशों के साथ शराब पी और अत्याचार कर रही है इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, उसका विरोध करता हूं। और उनसे मांग करता हूं कि अगर उनको शर्म आये तो त्याग पत्र दे दें, क्योंकि सारे अपराध आपकी पार्टी कर रही है, इन घटनाओं के बाद भी आप पुलिस को चरित्रवान बनाते हैं।

श्री पन्ने लाल—

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं नेता सदन द्वारा रखे गये प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं और नेता विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं। वैसे तो हमारे नेता विरोधी दल परम्परा के अनुसार कटौती के प्रस्ताव को रखे हैं क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कटौती का प्रस्ताव रखने का मतलब यही होता है कि सरकारी नीतियों की आलोचना करना और सुझाव देना। इसी भावना से उन्होंने उसे रखा है।

मान्यवर, जब मैं विधान सभा का चुनाव लड़ रहा था उस समय हमारे प्रदेश की स्थिति ऐसी थी, मेरे क्षेत्र में रात और दिन ऐसी डकैतियां और चोरियां होती थीं जिससे लोगों का सोना दुश्वार हो गया था। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है तब से अपराधों में कमी आयी है। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने कहा है कि पूर्वांचल अपराधों से जल रहा है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है पूर्वांचल के अपराध कोई ऐसी घटनायें नहीं हैं, जो कि जातीय घटनायें हों। वहां पर जो भी अपराध हो रहे हैं वह ठेकेदारी परम्परा के अनुसार और भ्रष्ट तरीके से धन कमाने के लिए हो रहे हैं। इसलिए वहां पर अपराध हो रहे हैं कि जो लाइसेन्स हैं, जो अपराधी तत्व वहां पर हैं वे दूर-दूर से लाइसेन्स ले आये हैं। मेरा कहना है कि जो उनके लाइसेन्स हैं उनकी जांच करायी जाय। अगर आपको इसकी पावर नहीं है तो ऐसे लाइसेन्सों को निरस्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को यह अनुमोदित किया जाय कि इन लाइसेन्सों को निरस्त करके उनकी जांच करायी जाय साथ ही जिन लोगों को उनकी आवश्यकता हो, जो सही लोग हों उनको वह लाइसेन्स दिये जायं।

मान्यवर, दूसरी बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि यहां पर जातिवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक घटना घटी। एक अपराधी जोकि 12 केसेज का अपराधी था। उसने एक पंडित की आंख निकाल ली और जब दूसरी आंख निकाल रहे थे तो इसकी सूचना थाने पर दी गयी। चौकी इन्चार्ज ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके विरोध में लोक दल के एक सम्मानित सदस्य मेरी कांस्टीटयेन्सी के हैं, दूसरे क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने एक आम सभा की। उसमें भूतपूर्व मन्त्री लारी जी भी थे। इस तरह से अपराधी प्रवृत्ति के आदमी के समर्थन में चौकी इन्चार्ज के खिलाफ आम सभा का आयोजन किया। उन्होंने उस चौकी इन्चार्ज के खिलाफ यहां पर नियम 301 के तहत लिखकर दिया। मान्यवर, इस तरह से यदि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को प्रश्रय दिया जायेगा तो कैसे अपराधों में कमी आ सकती है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है। जब तक हम सब मिल

कर सरकार को सहयोग नहीं देंगे तब तक स्थिति ठीक नहीं होगी ।

मान्यवर, माननीय गृह मन्त्री बैठे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरे क्षेत्र में तीन थानों—कोराबार, झंगहा और चोरी-चोरा में जीप की स्वीकृति दे दें और साथ ही उनके लिए भवन की व्यवस्था भी करें । इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री बदन सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलन का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदेश में अपराधों की संख्या घटी है । मैं एक छोटा सा विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आगरा जनपद में जिस तरह से डकैतियां बढ़ी हैं उससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर या प्रदेश में डकैतियां, बलात्कार और अपराधों की संख्या बढ़ी है या घटी है । श्रीमन्, आगरा जनपद के अछनेरा थाने में 5/6 जून, 1983 को मुन्ने कुरेसी के यहां डकैती पड़ी । 13/14 जून, 1983 को नयावास दौलताबाद के डाक्टर खुशीलाल के यहां डकैती पड़ी, 7/8 जुलाई, 1983 को बहरावती के 17 हरिजनों के परिवारों के यहां डकैती पड़ी ।

मान्यवर, 10/11 अगस्त, 1983 को बेरावती ग्राम में राम प्रसाद गौड़ के यहां पुलिस की उपस्थिति में डकैती पड़ी उसी रात सांथा के ईश्वरिया, तारा आदि के यहां डकैतियां पड़ीं । 11/12 सितम्बर, 1983 को महुवर के मंगला के यहां डकैती पड़ी जिसमें उनके लड़के और साथियों ने 4 डकैतों को मार गिराया । उसी दिन नंगला तीती में मगला राम विलास के यहां डकैती पड़ी । 11/12 अक्तूबर, 1983 को मुसवा के डुगरे प्रसाद विशारद आदि के यहां डकैती पड़ी । 2/3 नवम्बर, 1983 को ताजपुर के रामविलास तेज सिंह के यहां डकैती पड़ी, 5/6 नवम्बर, 1983 को बरौला के पंडित प्रभूदयाल के यहां तथा होरीलाल नाई के यहां डकैतियां पड़ीं । 2/3 दिसम्बर, 1983 को हंसेला के मंगला बंजरिया परमार के यहां डकैतियां पड़ीं । 3/4 दिसम्बर, 1983 को खेड़ा के साधन के पंडित दुर्गा प्रसाद के यहां डकैतियां पड़ी और उसके लड़के श्याम बाबू मारे गये . . .

श्री अध्यक्ष—

यह आप क्या पढ़ रहे हैं ? आप कागज पढ़ नहीं सकते हैं ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, आगरा जनपद के अछनेरा थाने में बराबर डकैतियां पड़ती रहती हैं और पुलिस रोकने का प्रयास नहीं करती है । इसके साथ-साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि इस अछनेरा के जिन नागरिकों ने डकैतों को मारा उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । बल्कि पुलिस के द्वारा झूठे इनकाउन्टर दिखाकर पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाता है । वहां पर एक-एक गांव में 4-4 डकैतों को मारा गया मऊवर के मंगला काछी के लड़के ने चार डकैतों को मारा वह हथियार का लाइसेंस मांग रहा है तो उसको आजतक हथियार नहीं दिया गया है । इसी प्रकार लेखराज एवं उसके अन्य साथियों ने 4 प्रसिद्ध डकैतों को मारा । इसी अछनेरा थाने के ग्राम असवा में 8/9 सितम्बर, 1982 को ठा0 महावीर सिंह के यहां डकैती पड़ी । शिसपाल सिंह और राम बाबू सिंह ने बिना हथियारों के केवल दो-दो हाथ की लकड़ी के टुकड़ों से 3 डकैतों को मार गिराया लेकिन उन बहादुर ग्रामीणों द्वारा जब डकैतों से सुरक्षा के लिए हथियारों का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लाइसेंस मांगा तो उनको आज तक हथियार के लाइसेंस नहीं दिए गए और न किसी प्रकार से पुरस्कृत किया गया ।

इसी थाने के ग्राम नगला भूपला में पुलिस की सह पर हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही है वहां से आम बदमाश हथियार लेता है और पुलिस भी हथियार लेती है और जहां पर झूठे इनकाउन्टर कराती है वहां पर बदमाश के पास हथियार रख देती है । बार-बार इस फैक्ट्री के बारे में शिकायत की जाती है लेकिन पुलिस प्रशासन उसे रोकता नहीं है । यही कारण है कि इसी थाने के अन्तर्गत 29 मार्च को रामपुर गांव में 4 ग्रामीणों को मार दिया गया । आपकी पी0 ए0 सी0 स्वयं अपराध करती है 29-1-84 को ईदगाह रेलवे स्टेशन में रेलवे कर्मचारी अंगेठी ताप रहे थे दो पी0 ए0 सी0 के जवानों ने उन कर्मचारियों को ठोकर मार कर अंगेठी छीन ली और इसमें साधारण कहासुनी हो गई इस पर वह पी0ए0सी0 बटालियन 28 ई0 को बुलाकर ले आये और रेलवे स्टेशन पर चढ़ गये और जसवंत सिंह स्टेशन मास्टर का हाथ तोड़ दिया और राम बाबू की हड्डी तोड़ दी । इसके विरोध में रेल कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप हड़ताल कर दी और रेलवे यातायात 19 घंटे तक ठप रहा । जब बड़े अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया तब हड़ताल खुली और यह आश्वासन देकर खुलवाई कि इन पी0 ए0 सी0 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और कहा कि उनको पहचान कर बतायेंगे कि कौन अपराधी है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । वहां के प्रशासन ने यह काम किया कि उन पी0 ए0 सी0 बटालियन 28-ई0 को वहां से ट्रांसफर कर दिया जिससे रेलवे कर्मचारी शिनाख्त न कर सकें । आज जो शासन की तरफ से यह कहा जाता है कि अपराध घट रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि अपराध घट नहीं रहे हैं बल्कि वह बढ़ रहे हैं और जिनके ऊपर अपराध रोकने का दायित्व है वही अपराध करा रहे हैं । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री अनवार खां--

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का समय दिया । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को हृदय से समर्थन और स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, इतिहास इस बात का गवाह है कि मोहर्रम और दशहरे का त्योहार एक साथ आये और उसमें जो शांति व्यवस्था सरकार की तरफ से बनाये रखी गई और दोनों त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए वह भी इतिहास में एक अहम बात है और उसके लिए मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, दीवाली और ईदुलफितर के त्योहार भी शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए और इसके लिए भी मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों और जिला परिषदों के चुनाव एवं उत्तर प्रदेश में विधान सभा के उप-चुनाव जो हुए उसमें भी शांति व्यवस्था रही जिसके लिए भी मुख्य मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं । इस सम्बन्ध में मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं :--

यह तो मुमकिन है तेरी याद भुलावे दिल से,
तेरा अहसाने मुहब्बत को भुलायें कैसे ।

मान्यवर, जो अपराध हुए हैं उसमें भी जबरदस्त कमी पिछली बार से आई है । मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री के सामने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं । एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो यह सुझाव देना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए एस0एस0 पी0 और एस0पी0 के अधिकारों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जिससे एस0 आई0 से एस0 ओ0 बनाने का काम बंद हो जायेगा, मैं चाहूंगा कि एस0 एस0 पी0 और एस0 पी0 की संस्तुति पर थानेदार न बनायें बल्कि शासन को यह अधिकार होना चाहिये कि वह एस0 आई0 की सीनियारिटी और चरित्र पंजिका के आधार पर थानेदार बनाया जाना चाहिये ताकि एस0 एस0 पी0 और एस0 पी0 की खुशी और नाखुशी पर एस0 आई0 थानेदार नहीं बन सकेगा बल्कि जो एस0 आई0 अच्छा काम करेगा वही थानेदार बन सकेगा। इसलिए एस0 एस0 पी0 और एस पी0 का यह अधिकार शासन को छीन लेना चाहिये।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त साम्प्रदायिक जो जिले हैं जिसमें तनाव रहता है उसमें एक अधिकारी एस0 एस0 पी0 अल्पसंख्यक का होना चाहिये ताकि ऐसी जगहों पर तनाव कम हो।

इसके साथ ही मैं मुख्य मन्त्री का आभारी हूं कि उन्होंने प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र था उसके आधार पर मुख्य मन्त्री ने एक अल्पसंख्यकों की समस्याओं को सुलझाने हेतु एक हाई पावर कमेटी बनाया है जिसमें 6 सदस्य और 5 सचिव होंगे और उसके अध्यक्ष श्री ब्रह्म दत्त हैं। मुझे आशा है कि यह कमेटी जहां परेशानियां है उनके सम्बन्ध में समय-समय पर शासन को सुझाव देगी और शासन उन पर विचार करेगा ताकि अल्पसंख्यकों की समस्या सुलझ सके। इसके साथ ही मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तनाव और साम्प्रदायिक दंगे होते हैं वहां पी0 ए0 सी0 लगाई जाती है और उसमें पी0 ए0 सी0 की पोस्टिंग का कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता है, इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जब पी0 ए0 सी0 दंगाग्रस्त क्षेत्र में लगायी जाय तो उसका बाकायदा डी0 जी0 में रवानगी और नम्बर होना चाहिये ताकि पी0 ए0 सी0 की तरफ से यदि लूट की बात आती है तो वह जाहिर हो सकेगी कि किसने बदमाशी किया है। चूंकि अखबारों में पढ़ते हैं कि दंगाग्रस्त क्षेत्रों में पी0 ए0 सी0 के कांस्टेबिल लूट करते हैं।

मान्यवर, अब मैं एक और शेर सुनाना चाहता हूं :—

उनपे हंसीये शौक से जो मामले फरयाद हों,
और उनसे डरिये जो सितम पर मुस्कराकर रह गये।

एक मेरे क्षेत्र में दादो जिला अलीगढ़ का थाना है, उसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में थानों की लम्बाई 40-40 और 50-50 किलोमीटर है। इसलिए वहां पर दो नये थाने बना दिये जायं, थाना दादो के अन्तर्गत हरनौट भोजपुर थाना बना दिया जाए, जो स्थान गंगा नदी के किनारे है और वहां पर दूर से पुलिस समय पर आसानी से नहीं पहुंच पाती है। दूसरा थाना जवां थाने के अन्तर्गत गोद स्टेशन थाना खोल दिया जाए। साथ ही पाली मुकीमपुर इन्टर कालेज पर एक पुलिस चौकी शीघ्र खोल दी जाए। जो मुख्य मंत्री द्वारा पहले ही मंजूर हो चुकी है। इसके साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री राजेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने और उनके खड़े होने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

× × ×

(व्यवधान)

---

नोट—[ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठिये, कोई चीज नहीं लिखी जाएगी।

(घोर व्यवधान)

लिखकर भेज दें, मुख्यमंत्री को भेज देंगे।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठिये।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

आप बोलने की आज्ञा नहीं देते हैं, इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राजेन्द्र सिंह--

देखा यह गया है कि सामान्य चर्चा पर दो दिन की बहस चलती रही है। क्योंकि यह जो निर्णय सदन का हो चुका है, इसलिए अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कभी आप घंटों में आंकने लगते हैं और कभी दिनों में आंका जाता है। गृह और सामान्य चर्चा में परम्परा रही है कि दो दिन की बहस रहती है। लेकिन आज यह किया गया कि एक दिन का समय रखा गया। मेरा निवेदन है, यदि नेता सदन उसे स्वीकार कर लें, आधा घंटा-पौन घंटा का और अवसर दे दें, तो ठीक होगा।

---

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री श्रीपति मिश्र --

माननीय अध्यक्ष जी, पहले यह सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की चर्चा 7 और 9, दो दिनों के लिए रखी गई थी। बाद को जब यह मांग आई कि 9 तारीख को छुट्टी कर दी जाए, तो यह प्रार्थना की गई कि फिर आगे न बढ़ाया जाए, 7 को रखा जाए और 9 का न रखा जाए। इसके साथ तर्क यह था कि आज शनिवार है, उस दिन प्रश्न काल और अन्य कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए उतना समय मिल जाएगा, जो दो दिन में मिलता। तीन दिनों की अब छुट्टी है, माननीय सदस्य जाना चाहते हैं। इसलिए विरोधी दल के नेता की भावना, जितना समय चाहिए पूर्ण रूप से स्वीकार करता, लेकिन चूंकि जाना है केवल आध घंटा का समय बढ़ा दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

(सदन की सहमति से आधे घंटे का समय बढ़ाया गया)

*श्री राम स्वरूप निम--

मान्यवर, मैं माननीय नेता, विरोधी दल, द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो बहस चली इस जातिवाद के ऊपर बहुत कुछ कहा गया, मैं इसमें न जाकर कुछ अन्य बातों को सदन के सामने रखना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया जब उत्तर दें तो उन बातों का भी जवाब देने का कष्ट करें जिन्हें मैं रखना चाहता हूं।

मान्यवर, आजादी को 37 वर्ष बीत गये, कितने ही मुख्य मन्त्री बने, कितने ही मुख्य सचिव बने, आई0 जी0 बने, ए0 पी0 सी0, चेयरमैन-रेवेन्यू बोर्ड बने, उनमें से किसी भी पद पर आज तक किसी हरिजन की नियुक्ति नहीं हुई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई अनुसूचित जाति का अधिकारी उन पदों पर नहीं नियुक्त हुआ। यहां सदन में ही इस बात की घोषणा हुई थी कि ऐसे आदेश हैं कि आई0 जी0 का पद जब खाली होगा तो पहली बार जो नियुक्ति होगी, वह अनारक्षित होगी किन्तु जब दूसरी बार वह पद खाली होगा तो उसे हरिजन जाति में से भरा जायेगा, पर आज तक उसका पालन नहीं हुआ।

(व्यवधान)

मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायें कि इस सम्बन्ध में उनकी नीति क्या है? वे इस बारे में क्या करना चाहते हैं? जब वे जवाब दें तो इन बातों पर प्रकाश डालें।

माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने का भी कष्ट करें कि प्रदेश के अन्दर कितने जिलाधिकारी अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जाति के कितने एस0 एस0 पी0 हैं, कितने एस0 पी0 हैं, कितने कमिश्नर हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में ही कितने अनुसूचित जाति के अधिकारी व कर्मचारी हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मैं पंडित तो हूं ...

(व्यवधान)

तो कोई आशा नहीं की जा सकती

(व्यवधान)

आपने कहा कि एक जाति विशेष के लोग योग्य हैं और वे नौकरी में आते हैं ...

श्री अध्यक्ष--

आप जो कह रहे हैं, मैं कार्यवाही देख लूंगा, अगर आपत्तिजनक है तो उसको निकाल दूंगा।

श्री रामस्वरूप निम--

मान्यवर, योग्यता का कोई मापदंड उनके पास हो तो वे बतायें कि वह क्या है एक जाति विशेष के लोग जो सर्विस में हैं, क्या वही योग्य हैं, बाकी सब अयोग्य हैं।

(व्यवधान)

केवल ब्राह्मण जाति के ही लोग योग्य हैं बाकी सब अयोग्य हैं। अगर ऐसी बात नहीं है और आप में हिम्मत है और आप हरिजनों के लिये कुछ करना चाहते हैं तो आप हर साल, जब बजट पेश हो, यह चीज सामने रखें कि जो 57 जिले हैं उनमें जितने एस0 पी0 हैं, 57 एस0 पी0 हैं, 57 जिलाधिकारी हैं, तथा जितने कमिश्नर हैं, जितने डी0 आई0 जी0 हैं, उनमें कितने लोग अनुसूचित जाति के हैं, जो पद खाली हुए उनमें कितने पदों पर अनुसूचित जाति के लोगों का रखा गया। साथ ही किस-किस अधिकारी के खिलाफ कितनी शिकायतें आयीं, उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई, कितनों को दंडित किया गया, इन सब चीजों का ब्यौरा सदन के सामने रखा जाये और यह निर्णय इस हाउस पर छोड़ा जाये, यह सदन यह फैसला करे कि कौन अधिकारी ठीक है और कौन ठीक नहीं है।

मान्यवर, केवल इस वजह से कि कोई मुख्य मंत्री का आदमी है या उनके किसी रिश्ते में लगता है इस वजह से योग्य है यह योग्यता का मापदंड नहीं है। योग्यता का मापदंड है कि जनता किस व्यक्ति को योग्य समझती है। जनता की निगाह में, जनता के मन में किस अधिकारी के प्रति क्या भावना है यह मापदंड होना चाहिए तभी इस देश और प्रदेश का प्रशासन सुधर सकता है अन्यथा नहीं। आज जब हम विधान सभा में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए कोई मुद्दा लाते हैं, मान्यवर, आप भी देखते हैं कि नियम 56 में और नियम 301 में कितने प्रस्ताव आते हैं तो यह इसलिए है कि

आज कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। दिन प्रति दिन कानून और व्यवस्था की हालत गिरती जा रही है। जाति बिरादरीवाद इस प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। अभी एक प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ था। हमारे देश ने क्षितिज में बहुत बड़ी तरक्की की है यह निश्चय ही खुशी की बात है। इसकी तारीफ करनी चाहिये। लेकिन मेरी एक शंका है।

[ × × × ]

(शोर)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी जातिबिरादरी नहीं मानते थे। यह लोग अपना सबूत दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि . .

[ × × × ]

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर जोर देता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है, मुझे इस पर बहुत सख्त आपत्ति है, अंतरिक्ष में हमारा एक योग्य युवक गया और उसको जातिवाद से जोड़ा जा रहा है। इससे ज्यादा गलत बात और कोई नहीं हो सकती। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह बात जो है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। कम से कम उनको जातिवाद में न घसीटा जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको कार्यवाही से निकाल दूंगा।

---

नोट :—[ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर बोलने के लिये आपने मुझे समय दिया इसलिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी द्वारा जो गृह प्रशासन, सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत किया गया है इस महत्वपूर्ण बजट का मैं हृदय से समर्थन करता हूं तथा जो नेता विरोधी दल द्वारा कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, यह सामान्य बजट है इस पर चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों दोनों को मिलकर ऐसे सुझाव देने चाहिये जिससे जनता का भला हो। हम जनप्रतिनिधियों को जनता के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये सुझाव देने चाहिये। इस पर जातिवाद की कोई बात नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, गुंडों की कोई जाति नहीं होती है, होशियारों की कोई जाति नहीं होती है। होशियार—होशियार होते हैं, गुंडे—गुंडे होते हैं। मान्यवर, गुंडों का दोनों पक्षों को विरोध करना चाहिये। मान्यवर, जब जनता पार्टी का 27 महीने का शासन था तो उन्होंने इतने गुंडे पैदा किया जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने अपने भाई और भतीजे को बलिदान की वेदी पर चढ़ा दिया इन्हीं गुंडों को समाप्त करने के लिये। मैं जिस जिले से चुन कर आता हूं वहां पर, एटा जिले में, छविराम, महाबीरा, गोपी जैसे डकैतों को धराशायी किया गया। उन लोगों ने कितनी बहनों के सिंदूर को मिटाया था, कितनी मांओं के बेटे छीने थे और कितने बापों के कलेजों के टुकड़ों को मारा था। हमारे कांग्रेस शासन ने उनसे लोगों की रक्षा की और उन गिरोहों को धराशायी किया। इन शब्दों के साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो जनप्रतिनिधियों की मीटिंग एस0 एस0 पी0 की अध्यक्षता में होती है, वह डी0 आई0 जी0 की अध्यक्षता में की जाय, जिससे यदि कोई एस0 एस0 पी0 के सम्बन्ध में शिकायत हो, तो वह डी0 आई0 जी0 के सम्मुख उजागर की जा सके। दूसरी बात यह है कि प्रधान की और सरपंचों की मीटिंग थानाध्यक्ष के साथ प्रतिमाह होनी चाहिए, जिससे जनता की सभी तकलीफों के बारे में पुलिस को जानकारी हो सके और सही तथ्य सामने आ सकें। इन शब्दों के साथ में माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और माननीय नेता विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह (अलीगढ़)—

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में अपना मत व्यक्त किया है, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और उनका आभारी हूं। पक्ष और विपक्ष तो मान्यवर चलता रहता है। मान्यवर, यह एक धारणा सी उधर के कुछ माननीय सदस्यों में है, क्योंकि उधर के दो-एक साथियों ने कहा कि इस पक्ष के लोगों ने और खासतौर से मैंने अधिकारियों के बारे में कुछ शंकायें व्यक्त की। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने यह कहा कि आज तक जिस तरह से समाज में अच्छे और बुरे लोग हैं, उन्हीं का प्रतिबिम्ब प्रशासन में हो, या पुलिस में हो, या किसी भी सेवा में हो, मिलता है। यह मैं कहता हूं कि हमारे पुलिस में और अन्य प्रशासन के अन्दर निष्ठावान और ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है लेकिन जब सत्तावश किसी कारण से गलत इस्तेमाल होता है, तो परिणाम यह होता है कि बेइमान आदमी आगे आ जाता है और ईमानदार पीछे चला जाता है और वही आज की परिस्थितियों में हमें देखने को मिला। मैं दहेज की मौत का केस बता दूं, लखनऊ का केस था, श्रीमती उर्मिला पुत्री खैराती लाल धानुक, निवासी तोपखाना बाजार, लखनऊ की थी, वह 19 वर्ष की थी, 6-12-1983 को उसकी मृत्यु दहेज के कारण हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्री को लिख चुका हूं, रिमाइंडर भी दे चुका हूं। यह लखनऊ का मामला है। एक मुसलमान महिला थी, इसी तरह से उसकी भी मृत्यु हुई। मैंने उसका फोटोस्टेट भेजा है, आपके पास मैंने लिखा, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय सदस्यों ने शंका व्यक्त किया, ऐसे केसेज के बारे में आपको कोई नियम, कोई कानून बनाना पड़ेगा, ताकि जनता को संतोष हो सके कि इसमें कार्यवाही हो रही है। मान्यवर, 6 महीने हो गये एक विधवा की लड़की मारी गयी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मान्यवर आलू के बारे में वैसे तो कल प्रश्न था, सामान्य प्रशासन में तो फिर भी कहा जा सकता है। आलू की खरीद के बारे में कहा गया कि अगर इसका मूल्य 50-55 से नीचे जायगा, तो सरकार खरीद करेगी। लेकिन आलू की कीमत इस समय 10 रुपये मन तक जा चुकी है और सरकार खरीद नहीं रही है, जिससे आलू खराब हो रही है और कोल्ड स्टोरेज की हालत बिगड़ गयी है। तो इस उत्तर प्रदेश में जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं, सरकार इसकी जांच करे क्योंकि किसान को इसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है इस सम्बन्ध में आपको सख्ती से देखना चाहिए। यह उचित होगा कि इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखें। एक माधोगढ़ है, यह ग्राम है जगपतपुर यह पांच नदियों से घिरा है और भिंड इलाके से जुड़ा है। चम्बल से लोग यहां आते हैं। वहां कई व्यक्तियों का अपहरण हो गया है। जो माननीय सदस्य वहां से चुनकर आए हैं, उनकी यह इच्छा है और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां एक

चौकी बना दें ताकि उस क्षेत्र की सुरक्षा बनी रहे ।

मान्यवर, इसी सचिवालय में एक अधिकारी हैं, श्री एन0 के0 शर्मा । अलीगढ़ के रहने वाले हैं । उनकी अनुपस्थिति में उनके गांव के लोग उनके घर का तमाम सामान उठाकर ले गये । उनके मकान का फर्नीचर, गार्डर और ईंटें तक उठाकर ले गये । आज वह मारे-मारे फिर रहे हैं । उनकी एफ0 आई0 आर0 भी नहीं लिखी गयी । फिर बाद में एस0 पी0 (ए0 आर0) अलीगढ़ के माध्यम से लिखी गयी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

मान्यवर, देवरिया के अन्दर एक सेवरी थाना है वहां 15 जनवरी, 1984 को 4 निर्दोष लोगों को मारा गया, जिनमें तीन हरिजन हैं और एक सवर्ण है । यह इन्काउन्टर फर्जी हुआ था । इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करें और समय मिले तो कृपया मुझे सूचित भी करें कि क्या चार्ज लिया है आपने उसके खिलाफ । चम्बल घाटी में जो असामाजिक तत्व हैं, वे घटना करके चम्बल में भाग जाते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नयी परिस्थिति पैदा हो गयी है । असामाजिक तत्व डकैती डालते हैं, चोरी करते हैं और उसके बाद हम जैसे नेताओं की तरह अच्छे कपड़े पहन कर नेतागीरी करते हैं और नेता बन जाते हैं । बस्ती में एक नेशनल हाईवे है । उसका एक करोड़ का ठेका उन असामाजिक तत्वों ने ले लिया है । बस्ती में एक अस्पताल है, उसके लिये आप पैसा देते हैं, दवा देते हैं, इसलिये देते हैं कि बीमारों को मिले, लेकिन आप जांच कीजिये कि जिस व्यक्ति ने ठेका लिया है, वह मरीजों को क्या देता है, वह मरीजों को थोड़ा सा पाउडर मिलाकर पानी दे देता है । इन चीजों को देखना है । नेताओं के वस्त्रों में जो लोग आते हैं, उनके बारे में श्री राजमोहन गांधी का एक कोटेशन है, जो आपको बता रहा हूं

नो लांगर ए कालिंग आर ए कमिटमेन्ट पोलीटिक्स इज नाव ए करियर लाइक एनी अदर इट केन आल्सो बी सीन एज ए ट्रेड आर इन्डस्ट्री इन ह्विच मेन आर परचेज्ड रिप्लेस्ड एण्ड सोल्ड ।

इसका हिन्दी अनुवाद यह है कि आज राजनैतिक लोगों ने समाजसेवा न करके, कुछ लोगों ने जैसा कि मैंने कहा, असामाजिक तत्व कपड़े पहनकर और लोगों को बदनाम कर रहे हैं । शासन का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को प्रेस आउट करें जो समाज सेवा के लिये नहीं अपने स्वार्थ के लिये कपड़े पहनकर राजनीति में आए हैं । मान्यवर, इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव पर जोर देता हूं ।

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता विरोधी दल, अन्य सभी माननीय नेतागण, सभी माननीय विधायकगण, जिन्होंने इस बजट के दौरान चर्चा में भाग लिया तथा वे सभी माननीय सदस्यगण, जो इस चर्चा को सुनते रहे और विचार करते रहे, उन सबका आभारी हूं । मान्यवर, जो बात कही जाय, उसमें सबसे पहले एक बुनियादी बात यह कह दी गयी कि आंकड़े पर तो हम विश्वास नहीं करते, जनता की जो भावना है, उसको नाप लिया जाय । उसी में हम विश्वास करते हैं और उससे हम अन्दाजा लगायेंगे । आप चिन्ता न करें, वह भी हो जायगा और जनता की भावना को नाप लिया जायेगा और जनता का विश्वास कितना किस पर है, यह भी पता लग जायेगा । इसमें अब कोई ज्यादा टाइम नहीं है । जनता की भावना को नापने का और कोई तरीका नहीं है और जो तरीका है, वह संयोगवश सामने ही आने वाला है ।

मान्यवर, उसके बाद आंकड़ों बात कही गयी । आप लोग तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े नहीं मानोगे तो क

आप लोग केन्द्र के आंकड़े मानोगे ? मैं केन्द्र के ही आंकड़े आपको बताता हूं।

श्री किरन पाल सिंह--

[ × × ×]

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री किरन पाल सिंह जी जो कुछ कह रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा, क्योंकि वह बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

श्री श्रीपति मिश्र--

मान्यवर, मैं तामिलनाडू, काश्मीर और बंगाल के आंकड़े नहीं दूंगा, इसलिये नहीं कि यदि मैं उनको दूंगा तो मुझे दिक्कत होगी, अस्तु, यदि मैं उन आंकड़ों को दूंगा, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी। माननीय श्री खैरूल बशर जी आपको बहुत तकलीफ होगी, अगर मैं उक्त स्टेटों के आंकड़े यहां पर आपके सामने रखूंगा। मैं, पूरी तरह से दो शासनों का मुकाबला करना चाहता हूं। यह बड़े संयोग की बात है कि आपको भी एक बार शासन में बैठने को मिला, नहीं तो आप कहते रहते और हम सुनते रहते। मैं केवल 1977 और 1983 के दो छोटे-छोटे आंकड़े रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने। 1979 के आंकड़े आपके हैं, जब यहां और केन्द्र में आपकी सरकार थी। उस समय पूरे हिन्दुस्तान में क्राइम रेट 199 था, और उस समय उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 204 था। अब वह क्राइम रेट पूरे हिन्दुस्तान में 198 है और पूरे उत्तर प्रदेश में 149 है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जिस तरह से नेता विरोधी दल की बातें यहां पर सुनी गयी, उसी तरह से नेता सदन की बातें भी सुनी जानी चाहिये।

श्री श्रीपति मिश्र--

इसके साथ ही यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे यहां की पुलिस पर, नौ हजार रुपय प्रति पुलिस के व्यक्ति पर खर्च होता है। लगभग नौ हजार से कुछ कम या ज्यादा ऐसे ही हैं। इससे अधिक और सभी प्रान्तों में, छोटे-छोटे प्रान्तों की बात तो नहीं कहता, लेकिन जैसे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, इनमें इस पर ज्यादा खर्च होता है। 9 हजार रुपया प्रति पुलिस के व्यक्ति पर हमारे यहां खर्च होता है और इसके बावजूद भी हम अपना पुलिस से ज्यादा अच्छी तरह से काम ले सकते हैं, उनके मुकाबले, जो कि अन्य जगहों पर लिये जा रहे हैं। यह एक आंकड़ा केवल नमूने के तौर पर इसलिये दे रहा हूं, और बाकी सभी आंकड़ों की बाबत तो माननीय सदस्यों ने कहा है, वह कई बार यहां आये हैं, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

मैं माननीय नेता विरोधी दल को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत सहृदयता से बात कही, लेकिन उसमें वे बिरादरी की बात चला गये। यह बात अच्छी नहीं है। न उनको चलानी चाहिये थी, न हमको चलानी चाहिये। यह चलनी चाहिये मैं इस सम्बन्ध में केवल दो आंकड़े देना चाहता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में आई० ए० एस० की टोटल स्टेन्थ 489 है और इस 489 की आई० ए० एस० की टोटल स्टेन्थ में जो लोग हैं, उन्हीं में से नियुक्तियां हो सकती हैं, उन्हीं में से लोग रखे जा सकते हैं, उन्हीं में से कहीं पोस्टिंग रहती है। इस कैडर की स्ट्रेंथ इस प्रकार है--ब्राह्मण 114, कायस्थ 107, अनुसूचित जाति 80, वैश्य 50, ठाकुर 25, अन्य 49, खत्री 31, इसी प्रकार से मुस्लिम 12, सिक्ख 10, जैन 10--इस तरह से यह आंकड़े हैं, और उन्हीं आंकड़ों के तहत नियुक्ति

---

नोट [×××]--यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

होती है। अब किसी कास्ट का कोई आदमी ऐसा दिखाई देता है, तो इसके लिये किसी को दोषी ठहराना, मैं इतना ही कहूंगा कि यह मुनासिब नहीं है। इसको सोच कर, यह आरोप लगाना चाहिये।

अब आई0 पी0 एस0 का भी कैडर आप सुन लें। आई0 पी0 एस0 का कुल 317 का कैडर है। इस 317 के कैडर में, जो यहां उत्तर प्रदेश में एवेलेबिल हैं, जिसमें से लोगों को लगाना पड़ेगा, इम्प्लांय करना पड़ेगा, उस 317 के कैडर में 111 ब्राह्मण, 48 कायस्थ, 26 ठाकुर, अनुसुचित जाति 49, मुस्लिम 8, जाट 5, सिक्ख 10, खत्री 24, वैश्य 25 और इसी तरह से कुछ अन्य हैं। इस तरह से यह आंकड़ें हैं। इन्हीं में से कहीं न कहीं रखना पड़ता है, कहीं न कहीं इम्प्लाय करना पड़ता है।

अभी त्रिम जी ने, 4 आई0 जी0 की बात कही 4 लोगों का हवाला दिया गया कि सुपर सीड किया गया है। जिन चार अफसरों के बारे में यह कहा गया है, उनमें एक 1957 के बैच के हैं मिस्टर पी0 सी0 प्रसाद जो सन् 1972 से सस्पेंड चले आ रहे थे अब उनका मुकदमा खत्म हुआ है अभी दो दिनों की बात है ज्यादा दिनों की बात नहीं है। अभी खत्म हुआ है जो कार्यवाही सम्भव होगी की जायेगी। एक दूसरे हैं रामराखा जिनकी इन्क्वायरी चल रही है। तीसरे हैं सुन्दरलाल जो आपके हिमायती हैं उनकी कार्यवाही हो रही है। चौथे मुश्कर हैं। इसमें एक का अभी फैसला हुआ है, एक में इन्क्वायरी समाप्त हो करके जो फैसला होगा किया जायेगा। कुछ अफसरों के नाम बताये गये, जिनमें ब्राह्मणों के नाम बताये गये। मैं पूरे 57 जिले जहां सैकड़ों हजारों अधिकारी हैं पूरा टोटल नहीं बता सकता कि कितने ब्राह्मण हैं। जांच करूं तभी बता पाऊंगा। लेकिन मोटे तौर पर पूछा था कि अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं। हम पांच कवाल टाउन और तीन अन्य टाउन में जुड़े हुए बरेली, मेरठ और एक और जगह है। आठ अन्य हो गये हैं तो आठ कवाल टाउन हो गये हैं। उनके कलेक्टरों की लिस्ट आपके सामने रखना चाहूंगा इलाहाबाद में पी0 एस0 लाली हैं जो सिक्ख हैं। कानपुर में हरिशचन्द्र गुप्ता हैं। वाराणसी में मिस्टर तौलिया हैं। आगरा में पी0 के0 मिश्र हैं लखनऊ में आर0 एन0 त्रिवेदी हैं। बरेली में राम बाबू हैं मेरठ में एक जोजफ हैं। गोरखपुर में सिन्हा हैं बरेली में शिड्यूल कास्ट है। जो कमिश्नर हैं उनमें 12 कमिश्नर जो हैं उनमें छः शिड्यूल कास्ट के हैं।

मैं आपसे तुलना कैसे करूं आप एक बार ही तो आये थे सन् 1979 में। 1979 में सशस्त्र पुलिस में शिड्यूल कास्ट का जो रेशियों था 17.34 था पी0 ए0 सी0 में शिड्यूल कास्ट का रेशियों 17.59 था 1983 में यह 22.66 था। पुलिस में 22.07 यह रेशियों बढ़ता है। अराजपत्रित संवर्ग जो है 1979 में 14.4 परसेन्ट था यह 1983 में 17.95 हुआ है। यह भी तब से बढ़ कर आया है। मैं यह नहीं कहता जितनी आवश्यकता थी वह हो गया है मैं यह नहीं कहता कि सारा कार्य पूरा कर चुका हूं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे कदम इस तरफ बढ़ रहे हैं जो सही दिशा है। जितना हम कर पा रहें हैं वह कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पश्चात् आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 के कैडर की बाद में जो बिन्दु उठाये गये थे उनका जवाब दूंगा हो सकता है इसमें कुछ छूट जाए। रियासत साहब को देख रहा था, इसलिये इनका ध्यान सामने आया। गुलाम अहमद का लोका युक्त के सम्बन्ध में जिक्र किया है। गुलाम मोहम्मद नाम के किसी व्यक्ति की कोई दरखास्त नहीं है, कोई परिवाद नहीं है। एक परिवाद दायर है, वह

श्रीमती अफसाना बेग, लखनऊ ने दायर किया है। यह चौथे महीने का है और यह भी बतला दूं कि आज तारीख 7 है। लोकायुक्त के सचिव ने एक नोटिस दी है, जिसके तहत 20-4-1984 तक इनका जवाब पहुंच जाना चाहिये। यह 3 तारीख को नोटिस है, आज तारीख 7 है। 20-4-1984 अभी दूर है, अगर तब तक न पहुंचे तो एतराज उठाइयेगा।

माननीय मोती लाल देहलवी जी ने वहां का उठाया था कानपुर का, जो हाउस में चर्चा दी हुई थी इनकाउन्टर की, जिस पर जांच भी हुई थी। आपके ही लोगों के कहने और उनकी मंशा के अनुसार उसे अपराध अनुसंधान शाखा को दे दिया गया है, जांच चल रही है। जांच समाप्त हो जायगी तो देखूंगा।

अभी माधोगढ़ एक चौकी की स्थापना के बारे में जिक्र किया गया था, घोषणा भी की गयी थी, वह चौकी सैंक्शन हो गयी है, कायम होगी यह तो ऐसी बातें हैं, इसके साथ-साथ में था नहीं माननीय मोती लाल देहलवी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो कागज रख लेते हैं और कहते हैं कि देखूंगा। मैं आपका भी कागज रख लेता हूं और कहता हूं कि देखूंगा, मैं साथियों का भी कागज रख लेता हूं और कहता हूं कि देखूंगा। यह खराबी भी है और अगर कोई कहने वाला हो तो यह खूबी भी है कि आपके सर पर खड़े रहते, आपकी लाल लाल आंखों को देखकर मैं उस कागज पर कुछ लिखता नहीं हूं। यह मेरी खराबी है या जो भी कहिए, मैं उस कागज को जांचना चाहता हूं।

इसके बाद अब मैं आपका ध्यान आपके द्वारा दिये गये सुझावों की तरफ दिलाना चाहता हूं। कुछ सुझाव आये थे। इस प्रकार की चर्चा तो रोज होती है कि आप आरोप लगायें और मैं कहूं कि जांच हो रही है, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ कहना चाहता हूं। रिजर्व पुलिस के सिलसिले में चर्चा हुई, एन्टी करप्शन के सिलसिले में, होम गार्ड्स की तनख्वाह बढ़ाने के सिलसिले में, इस प्रकार की कुछ पुलिस के एक्सटेन्शन के सिलसिले में सुझाव आये थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एन्टी करप्शन का और उच्च अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। रिजर्व पुलिस का जहां-जहां प्रबन्ध था, इसमें और जिले शामिल किये जा रहे हैं अब तक थोड़े सिपाही थे, बढ़ाये जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो होमगार्ड्स का है, निश्चित ही उसकी स्थिति जो आपने बतायी, सही है। उनका भत्ता या तनख्वाह जो भी हो, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उसे बढ़ाने का मैं आश्वासन देता हूं, उसको मैं करूंगा। साथ ही दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं कि पुलिस की क्षमता किस तरह से बढ़ सकती है और दूसरे मैंने जो शुरू में कहा था कि पुलिस को क्या-क्या मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। पुलिस क्षमता के बढ़ाने के सिलसिले में जो तरह-तरह के सुझाव मेरे पास आते रहे हैं, उनको देखते हुए जो सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए, हमने प्रयास किये। अभी तक इनके लिए मेस और आवास प्रबन्ध नहीं था, जिसमें से मेस का प्रबंध तो हो गया लेकिन आवास का प्रबंध आज भी नहीं हुआ है, इस ओर भी हम देख रहे हैं।

श्री कुबेर भंडारी—

वह 50 लीटर तेल वाली बात को...

श्री श्रीपति मिश्र—

नियम यह है कि जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आपको नहीं उठाना चाहिए।

(शोर)

पुलिस की क्षमता के लिए यह भी आवश्यक था कि जीपों की संख्या बढ़े, इस ओर कुछ और जीपों का भी इंतजाम किया गया है और अभी कुछ का इंतजाम बाकी है।

(व्यवधान)

और इन लोगों को साईकिल मोटर साईकिल का भत्ता भी दिया गया है जो पहले नहीं था अब दिया जाने लगा है जिसे और बढ़ाया गया है और 150 मोटर साईकिलों के साथ वायरलेस व्यवस्था की गयी है और यह प्रयोग उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है।

(श्री कुबेर भंडारी के खड़े होने पर शोर)

कई सदस्य—

यह क्या तरीका है, आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष—

यह क्या पागलपन है ?

श्री प्रबोध कुमार—

जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो हम लोग बहुत शांति से सुन रहे थे आप लोगों को भी खामोशी से सुनना चाहिए।

श्री श्रीपति मिश्र—

तो यह प्रयोग पहले पहल हुआ उत्तर प्रदेश में मोटर साईकिल्स में वायरलेस का व्यवस्था हुआ है। मान्यवर, इसी सिलसिले में अभी एक जिक्र आया था कि रेलवे में चोरी हो गयी, जबकि कोई चोरी वहां नहीं हुई, हां लगातार दो-तीन दिन 10 डाउन में कुछ घटनाएं हुई हैं।

एक आवाज—

इस संबंध में भंडारी से पूछ लीजिए।

श्री किरनपाल सिंह—

अब कौन बीच में बोल रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उन घटनाओं के लिए हमको जरूर कार्यवाही करनी है। इसी सिलसिले में एक बात और याद आ गयी, हमारे आंकड़े नहीं हैं यह माननीय रेल मंत्री का वक्तव्य है, आप चाहेंगे तो मैं इसको दिखाऊंगा और अगर आप विश्वास करें तो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की रेलवे पुलिस ने हिन्दुस्तान भर की पुलिस के मुकाबले में सब से अच्छा काम किया है। अब मैं उन बातों पर आना चाहता हूं, कुछ बातें यहां बतायी गयीं, जब यह बताया गया कि अपराध घटे, ऐसी दूसरी चीजें घटी, और बातें जो बतायी गयी, वह घटी तो मैंने यह बात भी उनके सामने कही थी माननीय नेता विरोधी दल ने उसको यह कहा कि हमने उसे स्वीकार कर लिया कि और जगहों पर जो गड़बड़ियां होती हैं इसलिये पुलिस का दायित्व बढ़ गया, इसलिये उन गड़बड़ियों को मैंने स्वीकार कर लिया। जिस परिपेक्ष में उसको कहना चाहिये था मैं उसको फिर आपके सामने रखता हूं ताकि एक दूसरे की बातों को समझने में कोई दिक्कत न रह जाय।

कल्याणकारी राज्य की कल्पना में सारी जिम्मेदारी राज्य की हो जाती है। आज घर में कोई जल जाता है तो राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है, सड़क पर कोई टकरा जाता है तो यह राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है, छात्रों में कोई पढ़ता नहीं है तो यह राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे कोई बीड़ी पी कर खलिहान में डाल दे तो भी वह राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है। यह सब व्यक्तिगत कमियां, आगे आरोपों के रूप में बढ़ कर राज्य में आती है क्योंकि कल्याणकारी राज्य ने अपनी एक छवि बनाई है, तो यह सारी जिम्मेदारी राज्य की हो जाती है। इसमें राज्य को इन्टरफियर करना पड़ता है। एक घटना हुई, पता नहीं अभी तक उस पर सुलह हुई या नहीं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

हो गयी।

श्री श्रीपति मिश्र--

जो उसके सम्बन्ध में मुझे सुनने में आया कि कुछ लड़के बैठ गये, इसके बाद रोडवेज वालों से झगड़ा हो गया। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि इस पर कार्यवाही की जाय। पुलिस वालों ने कुछ कार्यवाही करना शुरू किया इस बीच लड़के तो भाग गये या अलग चले गये और झगड़ा पुलिस वालों और रोडवेज वालों के बीच हो गया। अब झगड़ा करने वाले अलग चले गये और यह मामला शासन के सामने आ गया।

मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं जैसे डाक्टर अनवार ने अपने भाषण में कहा कि साम्प्रदायिक सद्भाव रहा। ये चार घटनायें हुई टांडा की, बहराइच की, छोटी-मोटी मऊ की और खुर्जा में। खुर्जा के आस-पास के लोग चाहे पक्ष के हों या चाहे विपक्ष के हों, मैं कहता हूं कि जो भी खुर्जा की घटना हुई, उसमें शासन ने, शासन के अलावा शासक दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने उस घटना को कम करने में, लोगों को हटाने में, उनको अलग करने में जितना कार्य किया है कोई भी उसकी प्रशंसा कर सकता है और इस बात की प्रशंसा हुई है। खुर्जा में शासन ने भी, शासक दल से सम्बन्धित कार्यकर्ताओं ने प्रशंसनीय कार्य किया है, यह तो वहां की बात रही।

दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, कुबेर भंडारी उसे सुन कर फिर खड़े हो जायें। मैं स्वागत करूंगा कि जो टांडा की घटना हुई उसमें हमारे सामने बैठे हुए हैं नेता, जनता पार्टी, आपके नेताओं ने जो बयान दिये हैं, आप उसको पढ़िये और सोचिये कि शासन के लोग जिम्मेदार हैं या आपके बगल में बैठने वाले लोग जिम्मेदार हैं। अभी एक घटना हुई, माननीय विधायक के साथ, उस घटना की जांच के लिए जुडीशियल इन्क्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, जब जुडीशियल इन्क्वायरी होगी, सारी बातें आपको साफ-साफ जाहिर हो जायेंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जुडीशियल इन्क्वायरी होगी, आप मेहरबानी करके जुडीशियल इन्क्वायरी के पहले रामपुर हो आये, और जो कुछ हुआ है, उसको देख लें, आप बताये मैं मानूंगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने गलती की या आपने गलती की, उससे यह मालूम हो जायेगा। हम लोग जो राजनीतिक लोग हैं, हम लोगों के ऊपर किसी से भी अधिक जिम्मेदारी है, ज्यादा जिम्मेदारी है, चाहे उस पक्ष के सदस्य हों या इस पक्ष के सदस्य हों। जनता में सद्भाव बनाये रखने की जिम्मेदारी उन पर है, ऐसी स्थिति में हमारा और आपका कर्तव्य है कि ऐसी कोई भी स्थिति आवे, तो उसको हटावे और मान्यवर, जब स्थिति नहीं हटती है तो पुलिस को आना पड़ता है। मैं नहीं कहता कि हर जगह पुलिस ठीक काम करती है और न करती ही है, लेकिन मैं यह भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हर जगह पर खराब काम ही करती है। पुलिस बहुत से कार्य अच्छे करती है, मेहनत से करती है और जान पर खेल करके काम करती है। जिन परिस्थितियों में पुलिस कार्य करती है, वह परिस्थितियां काफी मुश्किल होती हैं। दफ्तर में बैठकर, एअर कंडीशन कमरे में बैठकर उनका काम करने का समय नहीं होता है, उनका समय काम करने का उस समय होता है जब माहौल एजीटेटेड होता है, वितंडावाद फैला होता है, तो उस समय काम करने में भूल चूक हो सकती है। इन सारी चीजों को देखकर हमें उसके कार्य का असेसमेन्ट करना चाहिए।

मान्यवर, अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। बहुत जोर से कही गयी दीक्षित जी गये और चतुर्वेदी जी आ गये। जो सीनियर मोस्ट उस जिले में सीनियारिटी में हैं, उसमें सबसे सीनियर के0 पी0 अग्रवाल हैं जो

2–3 मई को रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद एम0 डी0 दीक्षित हैं, जो दूसरी जगह पर डायरेक्टर जनरल हैं, उसके बाद सीनियर मोस्ट चतुर्वेदी हैं जो नियुक्त किए गए हैं और इसके बाद श्री शिव स्वरूप हैं जो पंजाब में डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं। मान्यवर, सीनियारिटी, योग्यता के कारण से इनका इप्वाइन्टमेन्ट किया गया है। मान्यवर, तलाश किसी वैसे की नहीं थी जो पहचान का हो, तलाश थी जिसका हक है, जो योग्य हो, सीनियर मोस्ट का हक था, उसको बुलाना था, लेकिन वह नहीं आ सकता है, उसके बाद वाला आ सकता था, वह आया। हम लोग कांग्रेस के लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने लोगों की तलाश करती है। हमने उनको तलाशा है, जिसको आपके लीडर ने तलाशा था और उत्तर प्रदेश से ले जाकर दिल्ली में पुलिस कमिश्नर बनाया। यह हमारा विश्वास है, इसके बावजूद भी हम अफसर की कर्त्तव्यनिष्ठा पर, उसके चरित्र पर विश्वास करते हैं और किसी से सम्बन्ध और असम्बन्ध की बात नहीं करते हैं, निष्पक्ष रूप से फैसला करते हैं। इसके बाद आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य पांडेय जी चले गये। मेरी तो मुसीबत यह है कि जब मैं बैठता हूं तो यह तो सुनने की जगह है। इसका सिस्टम भी डेमोक्रेसी में है कि जब यहां बैठिये तो सुनिये और वहां बैठिये तो कहिये। (व्यवधान) चलिये, दोनों आपको मुबारक हो आपको कहना और हमको सुनना। पान्डेय जी ने क्या–क्या कहा और क्या–क्या बताया। जाने दीजिये। उन्होंने एक बात कही कि कभी बहू राज हुआ था तो कभी समधी राज हुआ। जब जबान तेजी से चलती है तो वह रुकती नहीं है। उसको रोकने का एक ही तरीका है कि दिल और दिमाग दोनों का संतुलित प्रयोग किया जाय। मान्यवर, मेरे तीन समधी हैं। मैं तीनों का नाम बताना चाहता हूं। माननीय गुप्त जी, मैं सबसे पहले अपने उस समधी का नाम बताना चाहता जो मुझसे ज्यादा आपके दोस्त हैं और वे हैं राम प्यारे शुक्ल...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

ठीक है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं जंगी सिंह वाले समधी के बारे में पूछ रहा था।

श्री श्रीपति मिश्र––

तो ये सबसे सीनियर हैं और इस सदन में दो बार सदस्य भी रहे हैं। वे एक वकील हैं। आज भी वकालत करते हैं। वे कांग्रेस में हैं लेकिन कैसे हैं कैसे नहीं हैं यह आप जानें। दूसरे जो मेरे समधी हैं, सीनियोरिटी के हिसाब से मैं उनका नाम बताना चाहता हूं और वे हैं बांके बिहारी महन्त। वे जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर में एक सबसे बड़ा कालेज है टी0 डी0 कालेज, मिशन का कालेज है। उनको भी आप जानते हैं माननीय गुप्त जी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

जी हां, जानता हूं।

श्री श्रीपति मिश्र––

वे उस कालेज के मैनेजर हैं। मान्यवर, तीसरे मेरे समधी हैं विकास, जो कि गोरखपुर के हैं और जिनको गोरखपुर में और इसके पहले जिनका नेपाल में घर था बनगांव में जो कि नेपाल और गोरखपुर की सबसे बड़ी रियासतों में है। ये तीन मेरे समधी हैं। लेकिन कोई हत्यारा नहीं था, किसी के ऊपर मुकदमा नहीं चला और न कोई जेल में है और न कोई मेरे यहां फटकता है। जब वे यहां आते हैं तो दो किलो मिठाई लेकर आते हैं और प्रणाम करके चले जाते हैं।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मोहन सिंह जी नहीं हैं। एक बात उन्होंने उस दिन कही थी कि पूर्वांचल और दूसरी जगहों पर राजनीति में एक बड़ा भारी मोड़ आ रहा

है जो स्वस्थ नहीं है । मैंने उस दिन भी यहां हाउस में कहा था कि हम सब विरोधी दल और इस दल के नेता बैठकर इस बात की अगुवाई कर सकें और नहीं तो प्रयास करें कि जो कि होना चाहिए लेकिन मैं आज इस बात से सहमत हूं आप चाहे सहमत हों या न हों लेकिन आमतौर पर, साधारणतया आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, वह सुधरी है ।

1979 में 37 डकैतों के गिरोह थे जब कांग्रेस को चार्ज मिला था तो 37 गिरोह डकैतों के थे उनमें से अब एक भी नहीं रह गया है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या श्रीराम उन 37 में नहीं है ।

श्री कुबेर भंडारी—

क्या हरिशंकर तिवारी नहीं है ।

श्री श्रीपति मिश्र—

मैं अपने भाई रियासत साहब की बात से संशोधित कर लेता हूं कि 37 में से एक अभी है । आपने 3 वर्ष के कार्यकाल में 14 लिस्टेड गिरोहों को खतम किया हमने सन् 1983 में 17 लिस्टेड गिरोहों को खतम किया ।

अब जो आंदोलन चाहे वह छात्रों के हों, चाहे कर्मचारियों के हों या दूसरे लोगों के हों उनकी हमारे पास नोटिस आई तो वह हमने टेबुल पर तय किया । अभी कर्मचारियों के सबसे बड़े आंदोलन की नोटिस आई उनका मामला भी तय हुआ जिसमें वर्दी और 10 वर्ष के बाद समयबद्ध वेतनमान तथा दूसरी सुविधाओं की घोषणा की गयी है तो निश्चित रूप से आंदोलन समाप्त हुए ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो भी मसले आपने यहां उठाये और जिसके लिए गम्भीरता से मांग की कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये, सी0 आई0 डी0 से इनक्वायरी होनी चाहिये या जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये तो जिस तरह से शासन उस पर संवेदनशील रहा और उसे स्वीकार किया । तो इस तरह की बात होते हुए आप यह नहीं कह सकते हैं कि शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की या ध्यान नहीं दिया ।

अन्त में मैं पुनः कहना चाहता हूं चूंकि ज्यादा समय नहीं रह गया है गृह विभाग का मसला जैसा रोज बहस में शामिल होता है आज भी बहस में शामिल हो गया लेकिन बाकी विभागों के जो बजट थे उनके ऊपर आपने नहीं बोलना चाहा और न बोलने की आवश्यकता पड़ी । लेकिन मैं थोड़ा कहना चाहता हूं कि जो सबसे मुख्य इनमें से है वह हमारे निगम हैं जैसे मैंने पहले कहा था कि 57 निगम हैं इसमें से 8 उत्पादक हैं । लेकिन घाटे में चलने वाले जो निगम हैं उनमें से लगभग 37 ऐसे हैं जो अब लाभ में चल रहे हैं, वास्तव में लाभ में चल रहे हैं लेकिन हमारी एक मजबूरी है जो हानि पर हैं वह इतनी हानि पर हैं कि बाकी का लाभ भी उनमें समा जाता है, विशेषकर विद्युत् और परिवहन निगम हैं अन्यथा बाकी जितने निगम हैं उनमें से ज्यादातर अच्छी हालत में हैं और लाभ में चल रहे हैं ।

उड्डयन विभाग के बारे में कहना चाहता हूं वह आप इसलिए पास करेंगे कि माननीय मोहन सिंह फिर प्रस्ताव करेंगे कि प्रदेश का विभाजन कर दिया जाय, क्योंकि यहां से देर से पहुंचते हैं । उसके लिए इसे पास करना आवश्यक है । इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, आपने उद्यम के बारे में कहा तो मैंने पहले भी एक निवेदन कया था कि त्रैमासिक रिपोर्ट ब्यूरो तैयार करता है तो वह सभी माननीय सदस्यों को वितरित होना चाहिये ।

श्री श्रीपति मिश्र—

मान्यवर, जो सुझाव दिया है उसको देखते हुए यदि त्रैमासिक रिपोर्ट सम्भव हुई तो वह नहीं तो लम्बे पीरिएड की रिपोर्ट देने का प्रयास करेंगे ।

इसी के साथ में नेता विरोधी दल से कहूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8 —कार्मिक विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8—कार्मिक विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,17,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15 —गृह विभाग (पुलिस) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,37,68,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17 —गोपन विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17—गोपन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23 —नागरिक उड्डयन विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

संख्या 23—नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,45,28,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25—नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36—प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब 8 व 9 सर्वसम्मति से स्वीकार होने चाहिए, क्योंकि यह मेरे सचिवालय से सम्बन्धित हैं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53—विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 63,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

संख्या 54--विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,35,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64--सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,19,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,11,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69--सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[5 बजे से]

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि

के अतिरिक्त 8,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(अगला आइटम लिये जाने पर)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, जैसा आज आपने कहा था, आज शनिवार है, सभी माननीय सदस्य अपने घर जाना चाहते हैं, अतः जो और कार्य एजेन्डे का रह गया है, उसे फिर किसी दिन ले लें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 15 मिनट में सब समाप्त हो जायेगा, आज ही ले लें ।

## सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाये ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 को एक मास तक जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाये ।

मान्यवर, यह विषय बड़ा गम्भीर है और सरकार इतनी जल्दी में इसे पास करा लेना चाहती है । इसका पूरे प्रदेश पर असर पड़ने जा रहा है । मैं उन चीजों को प्रस्तुत करता हूं जिसके आधार पर यह आदरणीय सदन आश्वस्त हो जायेगा कि इस विधेयक को पारित करना जनहित में नहीं है ।

मान्यवर, इस विधेयक में एक संशोधन यह किया जा रहा है कि 3 वर्ष के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता था उसको 5 वर्ष किया जा रहा है । 5 वर्ष में तो बड़ा परिवर्तन हो जायेगा । जैसे सरकारी पक्ष अपने यहां चुनाव नहीं कराना चाहता, 12-12 साल हो गये चुनाव नहीं हुए, तदर्थ नियुक्ति होती चली गयी, इसी तरह से 5 साल अगर यहां कर दिया जायेगा तो किसी सोसाइटी में झगड़ा खड़ा हो जायेगा । आवश्यकता तो यह थी कि किसी भी सोसाइटी का नवीनीकरण जल्दी-जल्दी होता । आप 3 साल की जगह 5 साल कर रहे हैं । हमने राय दी है कि जनमत संग्रह के लिए इसे भेजा जाये । अगर यह जनमत संग्रह के लिए भेजा गया तो जनता निश्चय ही इसका विरोध करेगी ।

दूसरी चीज इसमें यह की जा रही है कि फीस 25 प्रतिशत बढ़ायी जा रही है । उसका कोई कारण भी इसमें नहीं बताया गया है । उच्च न्यायालय का यह फैसला हो चुका है कि शुल्क को आमदनी का जरिया नहीं बनाया जा सकता । यह शुल्क जो लिया जाता है यह आमदनी का जरिया नहीं है । क्योंकि इस विधेयक को प्रस्तुत करते वक्त माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहीं नहीं बताया कि कितने रुपये का खर्च बढ़ गया है जिसकी वजह से रजिस्ट्रीकरण का शुल्क बढ़ा रहे हैं । मान्यवर, यह सदन उस वक्त संकट में पड़ जायगा, अगर हम इसको पास कर दें और कोई सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण कराने वाला व्यक्ति हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में चला जाय तो माननीय उच्च न्यायालय कहेगा कि यह

†दिनांक 17 फरवरी, 1984 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनुचित है, फीस किस आधार पर बढ़ायी गयी है। सरकार का कोई आगमन नहीं है, जितना पैसा आता है उससे काम चल जाता है तो फीस बढ़ाने का कारण क्या है ? तो यह जो दोष है इसलिए इसको जनमत संग्रह के लिए घुमाना चाहिए।

लगातार सरकार मनमाने ढंग से फीस बढ़ाती है। 5 के 25 कर दें तो जनमत संग्रह का प्रश्न उठ जायगा। जनता इसको देने के लिए तैयार है कि नहीं यह जानने के लिए इसको जनमत संग्रह के लिए परिचालित करना जरूरी है आपने देखा कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया और परिवहन मंत्री को स्वीकार करना पड़ा कि उनकी आमदनी घट रही है, डिमिनिशिंग रिटर्न होने लगा। इसलिए जब उच्च न्यायालय ने एक फैसला दे रखा है तो उसको मान्यता मिलनी चाहिए। सरकार कब तक शुल्क बढ़ाती रहेगी, क्या जो शुल्क आ रहा है उससे विभाग का खर्च नहीं निकलता है जो आप बढ़ा रहे हैं। जब तक इसमें तारतम्य न हो, जब तक तर्कपूर्ण बात सरकार के पक्ष से न कही जाय तब तक यह पास नहीं होना चाहिए। सरकार यदि इसको पास करना चाहती है तो जनमत संग्रह करने के लिए, सारी बातों की जानकारी करने के लिए कि जनता नाराज है या नहीं, इसको जनमत संग्रह करने के लिए परिचालित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर जोर देता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। मान्यवर, जैसा कि मुझसे पहले जनमत संग्रह के लिए प्रस्ताव माननीय वर्मा जी ने किया और अपने विचार व्यक्त किए तो मैं भी 2, 3 बिन्दुओं पर अपने विचार रखना चाहता हूं मैं समझता हूं कि यह सरकार का कर्तव्य होता है कि जो पंजीकरण विभाग में व्यवस्था है उसको ठीक करने पर विचार करे। मैं भी मानता हूं कि जो समितियां हैं उनमें भ्रष्टाचार है और इनके नवीनीकरण की जल्दी जल्दी आवश्यकता है। इन्होंने 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है तो मैं समझता हूं कि अनियमिततायें इससे बढ़ेंगी जैसा कि श्री वर्मा जी ने आमदनी की बात की तो मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि इस समय हमारी जितनी समितियां बन रहीं हैं, जो पैसा जमा हो रहा है, तो जो यह कार्यालय है यह आमदनी के लिए नहीं है केवल इतनी आमदनी होने की आवश्यकता है जिससे उसका पंजीकरण हो जाय। माननीय सदस्यों को यह अनुभव होगा कि जब पत्रावली जमा होती है तो उसके मिलने में बहुत टाइम लगता है। ऐसी भी शिकायतें हैं कि जो लोग एप्रोच कर लेते हैं उनका काम जल्दी हो जाता है, भ्रष्टाचार की भी शिकायतें मिली हैं। इसलिए मैंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है। मैं समझता हूं कि 30 दिन का समय इतना लम्बा नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद यहां पर यह विधेयक पास हो। इसीलिए मैंने प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है।

(अपोजीशन बेंचों की तरफ श्री अम्मार रिजवी के बैठने पर)

श्री अध्यक्ष—

क्या आप वहां से उत्तर देंगे।

(श्री तेज बहादुर गंगवार के खड़े होने पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रोटेस्ट नहीं करता। इन बातों पर लेकिन जब संसदीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परम्पराओं की हत्या की जाती है, माननीय मंत्री जी को खड़े होना चाहिए था संसदीय कार्य मंत्री जी को अधिकार नहीं था । मैंने जानबूझकर आपत्ति नहीं की । लेकिन संसदीय परम्पराओं की गंभीरता कितनी नष्ट हो गयी है कि मंत्री जी ने उनको खड़ा कर दिया । तो या तो नियमों की जानकारी नहीं है या जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है । मैं इसके लिए सरकार की भर्त्सना करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

भविष्य में ध्यान रखें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं ही इसका जवाब दूंगा । मान्यवर, यह जो इसमें संशोधन है यह एक बहुत ही सीधा सा संशोधन है, जिसके ऊपर इनको आपत्ति उठाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन माननीय वर्मा जी की आदत है कि ये काफी उसमें संशोधन करते हैं । मान्यवर, रुपये की जो परचेजिंग पावर है, उसमें कितनी ज्यादा कमी हुई है, तो इसकी तो 500 रुपया होना चाहिए, इसको 150 रु0 मात्र किया गया है । इसमें जो रिन्यूवल है, वह दो साल के बजाय 5 साल कर दिया गया है और उसी के साथ-साथ रिन्यूवल फीस 10 रुपया से 25 रुपया कर दी गयी है । इसके अन्दर जो संशोधन किए गये हैं, वह बिलकुल बहुत ही मामूली हैं । वह सिर्फ इसलिए कि जो फीस वगैरह थी, वह पुराने समय की थी, इसलिए उनको बढ़ाया जाना आवश्यक था । तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है । तो मेरा अनुरोध है कि माननीय वर्मा जी अपना संशोधन वापस ले लें और इसको पास कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, आप वापस ले रहे हैं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

नहीं मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुप्ता जी, आप वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 को एक मास तक जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2

| | |
|---|---|
| 2--सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे । | अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 3 का संशोधन |

श्री अध्यक्ष--

अब खण्डों पर विचार होगा।

माननीय वर्मा जी, क्या खण्ड 2 में जो आपका संशोधन है, आप उसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जी, हां।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 की पंक्ति दो में शब्द (पचास) के स्थान पर शब्द (पांच) रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी, क्या आपको स्वीकार है ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 की पंक्ति दो में शब्द (पचीस) के स्थान पर शब्द (पांच) रख दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड--3

3--मूल अधिनियम की धारा 3-क में--

धारा 3-क का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 3 के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, दिये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 (जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है) के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी किया गया कोई प्रमाण-पत्र, उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट फीस और पहले से संदत्त फीस के अन्तर का संदाय करने पर, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्ति बना रहेगा";

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "दो वर्षों" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में, खण्ड (क) में, शब्द "दस रुपये" के स्थान पर "पच्चीस रुपये" रख दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(4) प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के पश्चात् निर्वाचित प्रबन्ध निकाय

के सदस्यों की सूची और वह प्रमाण-पत्र भी होगा, जिसे नवीकृत कराना है जब तक कि रजिस्ट्रार उसकी हानि या उसके नष्ट हो जाने के आधार पर या किसी अन्य पर्याप्त कारण से इससे अभिमुक्त न कर दें।"

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3(ग) की पंक्ति दो में शब्द (पच्चीस) के स्थान पर शब्द (बारह) रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी क्या आपको स्वीकार है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3(ग) की पंक्ति दो में शब्द (पच्चीस) के स्थान पर शब्द (बारह) रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 4 से 9 तथा खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु यदि प्रबन्ध निकाय सूची के अन्तिम बार प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् निर्वाचित किया जाय, तो पुराने सदस्यों से सूची पर यथासम्भव, प्रतिहस्ताक्षर कराये जायेंगे। यदि पुराने पदाधिकारी सूची पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रार स्वविवेक से ऐसी सार्वजनिक सूचना या ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह उचित समझे, सूचना जारी कर सकता है जिसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियां आमन्त्रित की जायेंगी और वह उक्त अवधि में प्राप्त सभी आपत्तियों का विनिश्चय करेगा।"

धारा 12-घ का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 12-घ में—

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(ग) रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण का प्रमाण-पत्र दुर्व्यपदेशन या कपट से प्राप्त किया गया है।"

(ख) उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें

रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसा आदेश संसूचित किये जाने की तारीख से एक मास के भीतर उस मण्डल आयुक्त को प्रस्तुत की जा सकेगी जिसकी अधिकारिता में सोसाइटी का मुख्यालय स्थित हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन आयुक्त का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।"

धारा 15 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 15 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दिया जायगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(2) प्रत्येक सोसाइटी सदस्यों का रजिस्टर रखेगी जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी जायेंगी जो विहित की जायं।"

धारा 20 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 20 में शब्द "या सोसाइटियां" और शब्द "विज्ञान" के बीच में शब्द "खादी और ग्रामोद्योग, पंचायत उद्योग, ग्राम्य विकास" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(3-क) यदि रजिस्ट्रार वा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति की राय में निरीक्षण या अन्वेक्षण के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक है तो वह सोसाइटी के किसी या सभी अभिलेखों को जिसके अन्तर्गत लेखा बहियां भी हैं, अभिगृहीत कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसे अभिलेख अभिगृहीत किये जायें, उस व्यक्ति की उपस्थिति में जिसकी अभिरक्षा में ऐसे अभिलेख हों, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने का हक होगा।"

धारा 27 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 27 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(क) धारा 4 या 4-क के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित प्रबन्ध निकाय की सूची या अन्य सूचना देने में असफल रहेगा या सूची विवरण-पत्र में नियमों की या नियमों में परिवर्तन की प्रति में या उक्त धारा 4 या धारा 4-क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी गयी

अन्य सूचना में कोई मिथ्या प्रविष्टि या उससे लोप जानबूझ कर करेगा या करायेगा ।"

## सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

### विधेयक

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 से 9 तथा खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1984 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982

सूचना राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मुझे इस पर आपत्ति है ।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं सम्मानित सदन इसको पहले पास कर चुका है । यह विधान परिषद् में गया था और प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया था इसमें 32 "क" के अन्तर्गत यह हुआ था कि कोई भी जुलूस लोक शान्ति या लोक सुरक्षा के परिरक्षण के लिए या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब कहीं पर ऐसा करना आवश्यक समझे तो निकाल सकता है । जुलूस तो निकाल सकते हैं लेकिन जुलूस के साथ कोई हथियार लेकर निकलता है तो उसको निषेध किया जा सकता है । यह इसलिए किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों या संगठनों या संस्थाओं जो ऐसा नाम देती हैं कि देश की धर्म निरपेक्षता पर खतरा उत्पन्न होता है, उनसे प्रशासनिक ढंग से निपट सकें इसलिए लाया गया है । पूर्व में कोई अपील नहीं थी अब जिलाधीश या शासन के यहां इसकी अपील हो सकती है इसलिए इसमें विरोध की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, विधेयक आया था उस समय मैंने विस्तार के साथ इस पर भाषण दिया था और बताया था यह जो अधिकार हैं उन पर कुठाराघात

करना है यह विधान परिषद् में गया दो संशोधन जरूर हुए लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ । दो बिन्दु पर विरोध करना चाहता हूं । अपील का परिवर्तन कर दिया है । अपील का परिवर्तन इस सदन को गुमराह करने वाला है । अपील तीन के बाद होती है । मुझे मुख्य मंत्री से शिकायत है तो दूसरे पर विचार होना चाहिए । मान्यवर, 32 'क' की बात है । जिला मैजिस्ट्रेट अपने जिलाधिकारी को अधिकार देता है वह अपने अधिकारी डी0 एम0 को डेलीगेट करता है । तो डी0 एम0 के पास कैसे न्याय मिलेगा । अपील की व्यवस्था जुडीशियल के पास होनी चाहिए जिलाधिकारी या दण्डाधिकारी पर आरोप लगाया जाता है, तो उसकी अपील की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती तो मैं समझता हूं कि अन्याय न होता । आपने पुलिस इन्क्वायरी की व्यवस्था कर दी ।

मैं समझता हूं कि जो राष्ट्रविरोधी लोग हैं, जो राष्ट्रविरोधी हरकत करते हैं, उनके लिए कहा जाय तो उसके लिए कोई विरोध नहीं हो सकता । लेकिन कुछ लोग हमारे देश में अच्छे काम करने वाले भी हैं लेकिन उनके प्रति भी राजनीतिक षड़यंत्र राजनीतिक कारणों से दिखाई पड़ता है । आपने कह दिया कि आयुध लेकर कोई आदमी जायगा तो उसको रोक देंगे, लेकिन आयुध की परिभाषा क्या है । आर्म्स ऐक्ट के अनुसार जो आयुध की परिभाषा है, वह इसमें उन्होंने बदल दी है । आप तो विद्वान हैं, स्वयं पढ़ लें। आपने संशोधनों की बात कही उसमें आयुध की परिभाषा क्या है । आपने लाठी, डण्डा और हाकी को भी आयुध कह दिया । लेकिन आर्म्स ऐक्ट में आयुध की परिभाषा लाठी नहीं है, डण्डा नहीं है, हाकी स्टिक नहीं है, इनको आपने अलग से जोड़ दिया है । इससे तो लोग व्यायाम करने जायेंगे, या हाकी स्टिक लेकर खेलने जायेंगे तो अधिकारी उन पर प्रतिबन्ध कर देंगे । इसलिए जो आर्म्स ऐक्ट की परिभाषा है, यहां पर भी वही लागू होनी चाहिये । आज उत्तर प्रदेश में जो आई0 पी0 एस0 और आई0 एस0 अधिकारी हैं, अच्छे हैं, उनके बारे में मैं नहीं कहता लेकिन, कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पद का दुरुपयोग अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हैं, जिसका कारण यहां की राजनीतिक नेतृ-मण्डली है वह भी उसी प्रकार से निर्णय करते हैं ।

इसलिए मैं समझता हूं कि यह अधिकार अधिकारियों को दे दिया जायगा तो नुकसान ही होगा । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं आरोप लगाता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनको इस मामले की जानकारी होगी कि यहां उत्तर प्रदेश में गृह सचिव जैसे ऊंचे पद पर एक अधिकारी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जब वे देहरादून में जिलाधिकारी थे, तो जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का काण्ड हुआ, उन्होंने उससे भी भयंकर काण्ड किया । उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को बन्दूक बनाने का लाइसेंस दे दिया, लेकिन उसका रिकार्ड नहीं रखा गया और वह स्पेन से बैरल लेकर बन्दूकें बनाने लगे । उसकी जांच हुई तो वह दोषी पाए गये । सतर्कता विभाग में मामला गया, उसने लिख दिया कि कार्य-वाही होनी चाहिये । लेकिन फिर भी वे गृह सचिव हो गये । आज तो वे बाहर चले गये, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने उनकी फाइल पर लिख दिया कि इस प्रकरण को समाप्त समझा जाय । इतना गम्भीर आरोप, सतर्कता विभाग ने रिमाण्ड कर दिया, लेकिन मुख्य मंत्री ने लिख दिया कि समाप्त किया जाय, तो आपके इस तरह के अधिकारी हैं । मैं समझता हूं कि ये अधिकारी हाकी स्टिक वालों को ही पकड़ कर बन्द कर देंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि विधान परिषद् में जो प्राविधान किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं । मैं जानता हूं कि संख्या बल के आधार पर आप इसे पास करा लेंगे, लेकिन मैंने रिकार्ड के लिए ये बातें कह दीं ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में दो आशंकाएं हैं, उनको स्पष्ट कर दूं कि जैसा कि कहा कि अपील नहीं हो सकती...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने कहा कि जो हम पर आरोपित करते हैं उनके पास अपील कैसे हो सकती है। अपील जुडिशियल व्यक्ति के पास होनी चाहिये।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, जिलाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर संतुष्ट नहीं हैं तो अपना प्रतिवेदन शासन को दे सकते हैं, उस पर शासन विचार कर लेगा। मैजिस्ट्रेट के यहां इन्क्वायरी होगी और कोई भी निर्णय लेने से पहले इंक्वायरी तो होनी है। दूसरी बात यह है कि जुलूस आयुध लेकर अच्छे काम से नहीं निकलता। शासन का अनुभव रहा है। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सरकार थी। माननीय श्री रेवती रमण सिंह जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। यह तो उनकी सरकार की देन है, हम तो उनका पालन कर रहे हैं। हम यह महसूस कर रहे हैं कि कुछ संगठन आतंक फैला रहे हैं। वह कौन सा जुलूस है, जिसमें हथियार ले जाने की जरूरत है लोक शान्ति, लोक सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह प्राविधान किया गया है। यही एक रास्ता है जिससे समाज में शान्ति व्यवस्था बनी रहेगी। और इसे आप लोगों को समर्थन भी देना चाहिये। अन्यथा लोग इसका सहारा लेकर आतंक का वातावरण फैलायेंगे। यदि माननीय श्री गुप्ता जी को किसी खास संगठन के बारे में कहना है, तो उस पर रोक लगनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित पुलिस (उत्तर प्रदेश शासन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में प्रस्तावित मूल अधिनियम में नई धारा 32-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा 32-क रख दिया जाय :--

"32-क (1) जिले का मजिस्ट्रेट लोक शान्ति या लोक सुरक्षा के परिरक्षण के लिए सामूहिक ड्रिल, सामूहिक प्रशिक्षण आदि का प्रतिबंध करने की शक्ति या लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए, जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक समझे लोक सूचना द्वारा या अलग-अलग व्यक्तियों को निदेशित आदेश द्वारा, अपनी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र में किसी स्थान पर आयुध ले जाने या आयुध लेकर किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का, जहां इस बात की युक्ति-युक्त आशंका उत्पन्न हो कि ऐसी ड्रिल या प्रशिक्षण में भाग लेने वालों से जनता या उसके किसी वर्ग में भय या असुरक्षा की भावना का संत्रास होने की संभावना है, आयोजन करने या उसमें भाग लेने का प्रतिषेध कर सकेगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनार्थ (आयुध) से किसी प्रकार का आक्रामक आयुध अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत लाठी, डण्डा, हाकी, स्टिक और बैलचा भी है।

(2) इस धारा के अधीन कोई प्रतिषेध तीन मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार लोक शान्ति या लोक सुरक्षा के परिरक्षण के लिए या लोक व्यवस्था बनाये

रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) के अधीन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गयी लोक सूचना या आदेश उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अग्रतर अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उस दिनांक से छः मास से अधिक न होगी जिस दिनांक को ऐसा निदेश न दिये जाने की स्थिति में वह सूचना या आदेश समाप्त हो गया होता ।

(3) जिले का मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन करते पर उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश का विखण्डन का उसमें परिवर्तन कर सकता है ।

(4) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन करने पर उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन अपने द्वारा या उपधारा (1) के अधीन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये किसी आदेश का विखंडन या उसमें परिवर्तन कर सकती है ।

(5) जहां उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हो, वहां यथास्थिति, जिले का मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को स्वयं या अधिवक्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने और आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर देगा या देगी, और यदि, यथास्थिति, जिले का मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन-पत्र को पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार करता है या करती है, तो वह ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा या करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 1

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1(1) "1982" के स्थान पर "1983" रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रस्तावना

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि प्रस्तावना में शब्द "तैंतीसवें" के स्थान पर "चौतीसवें" रखा जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें बहुत ही संक्षेप में कहूंगा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। यह जो कदम हम उठा रहे हैं, यह तो गुण्डों के साथ निपटने के लिए है, महिलाओं के साथ जो छेड़खानी करते हैं, उनसे प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए है। दलाली जो राजनीति में करते हैं, उनसे निपटने के लिये है। मान्यवर, अब यह स्पष्ट हो जायेगा कि गुण्डई कौन बढ़ाना चाहता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी कौन कराना चाहता है? जो विरोध करेंगे, उससे यह होगा कि वह महिलाओं के साथ छेड़खानी कराना चाहते हैं, गुण्डागर्दी कराना चाहते हैं। मान्यवर, आज इस पर पूरे प्रदेश की आंखें लगी हुई हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण ( संशोधन ) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मुझे इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव इसलिए करना पड़ा, क्योंकि जहां तक गुन्डों पर नियन्त्रण करने का सवाल है, उसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को समझता हूं कि वर्तमान सरकार जो है, उसने तो गुन्डों के सामने आत्म-समर्पण कर रखा है। यह कानून बिल्कुल अप्रभावी हो गया है। जहां तक नयी परिभाषायें बतलायी जा रही हैं, और जो यह गुन्डों पर नियन्त्रण की बात कही जा रही है।

मैं कहना चाहूंगा कि उसकी भरमार सत्तारूढ़ दल में है, सत्तारूढ़ दल के लोग उस भरमार से भरे हुए हैं, इसलिये आप उन पर कंट्रोल करने में सफल नहीं हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि कंट्रोल करें और इसलिए हमारा मन, हमारी मंशा, हमारा विचार यह है कि यह जो हमारा ऐक्ट है यह और प्रभावी बने जिससे कि समाज को खोखला करने वाले यह गुन्डे लोग, जिनको आपका समर्थन मिल रहा है, और उधर काफी संख्या में भरे हुए हैं, पर नियंत्रण किया जाय। इसलिए आवश्यक है, कि मैं इसमें लम्बी बात न कहकर, इसलिये यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी भी इस बात से सहमत होंगे। मान्यवर, मुझे जानकारी है और गम्भीरता के साथ कहना चाहूंगा कि आप इस पर विचार कीजिए, किसी जिले के आंकड़े मंगा लीजिये उनको देख लीजिए सीतापुर जिले के ही देख लें कि पिछले एक साल में दो साल में पुलिस की कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी और कितनों की कार्यवाही करने पर सफल हुए हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

ओम प्रकाश शर्मा को कौन समर्थन दे रहा है, यह कह दीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं गुन्डे बदमाशों की मदद नहीं करता। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात से सहमति रखता हूं कि यह गुन्डे बदमाश किसी के नहीं होते हैं। आपको उसकी आदत पड़ गयी है हरदोई में आदत पड़ी हुई है और उनका समर्थन करेंगे, लेकिन गुन्डे ही एक दिन खा जायेंगे। मैं नरेश अग्रवाल जी, बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि अगर बताना शुरू कर दूंगा आपकी हरकतें, आपके कारनामें, तो भागते नजर आयेंगे। मैं आपके कारनामें जानता हूं, आपकी हरकतें जानता हूं आपके जिले का रिकार्ड मेरे पास है। चूंकि यह आपकी सरकार निकम्मी है, जो गुन्डों पर नियन्त्रण करने में असफल हो रही है।

मान्यवर, मैं एक गम्भीर बात कहना चाह रहा था, वह यह कि आप किसी जिले के आंकड़े मंगा लें। चाहे हरदोई के मंगा लें या मेरे जिले सीतापुर के मंगा लें कि पुलिस ने पिछले चार सालों

में कितनी कार्यवाही करने की चेष्टा की है और सफलता कितनों में मिली है। इस समय संक्षेप में बोलना है, वरना मैं न जाने आपको कितने बिन्दु देता। आपका ऐक्ट बिल्कुल डिफेक्टिव है। दोषपूर्ण है, इसमें जब तक पर्याप्त संशोधन नहीं किया जायगा हमारी और आपकी जो इच्छा है उसमें राजनीतिक मतभेद नहीं है। वरना मैं माननीय सदस्य हरदोई की बात का जवाब देता। जैसा पुलिस विभाग पर चर्चा हो रही थी। मैंने कहा था कि मैं खुली चुनौती देता हूं कि आप किसी भी जिले का रिकार्ड बना लीजिये, किसी आयोग को बिठा लीजिये।

मैंने तो सदन में कहा है श्री नौनिहाल सिंह जी मन्त्री थे, मैं उनको बहुत मानता हूं पितृतुल्य समझता हूं। मैंने विधान सभा के बाहर भी कहा था कि हिम्मत है तो जांच करवाइए, लेकिन गृह मन्त्री जी, जिस दिन सूची प्रकाशित करोगे आप निकाल दिये जाओगे। मन्त्रिमण्डल की पहली पंक्ति में बैठने वाले लोग इसमें सम्मिलित हैं। उस समय मैंने प्रश्न किया था। सूची प्रकाशित करना तो दूर रहा, वह स्वयं ही निकाल दिये गये। मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव इसीलिये रखा है कि यह समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी और आपकी दोनों की नियत एक है कि प्रदेश की जनता को गुन्डागर्दी से बचाया जाय और असामाजिक तत्वों से राहत दिलायी जाय और जनता को ऐसा जीवन दिया जाय कि वे आराम के साथ अपनी जिन्दगी व्यतीत कर सकें। आप इसे प्रवर समिति में दे दें ताकि हम और आप मिलकर इस पर विचार कर सकें।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय गुप्त जी ने दो ही शंकायें व्यक्त की हैं। इस विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय ने भी विधि सम्मत माना है। आप देख लीजिये गुजरात का मामला है 1968 का पृष्ठ 1468 देख लीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मन्त्री जी पढ़े लिखे हैं, मुझे अफसोस है कि इनके सेक्रेटरीज जो ब्रीफ बनाकर दे देते हैं, यह उसी को पढ़ देते हैं। मैंने अपने भाषण में यह नहीं कहा कि यह संशोधन विधि सम्मत नहीं है। आप जैसे पढ़े-लिखे लोग जब उत्तर देने के लिये खड़े होते हैं तो सेक्रेटरीज के ब्रीफ को अलग रखकर उत्तर दिया करें।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं यह कह रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में भी यह जा चुका है और वहां पर भी इसे विधि सम्मत माना गया है। रही बात कि कितने गुन्डों को सजा मिली, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसको इसीलिये लाया गया है कि जहां गुन्डों को सजा नहीं मिल पाती है, उनको सजा मिले। जो लोग महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, राजनीति में दलाली करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है कि जो लोग राजनीतिक दलाला करते हैं उनको पकड़ने में राजेन्द्र गुप्त जी को क्या संकोच है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि वे अपना प्रवर समिति का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुप्त जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जी नहीं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गुन्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय,

जो 30 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से 4 तक एवं खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(ख) 'गुण्डा' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है--

(1) जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यासतः भारतीय दंड संहिता की धारा 153 या धारा 153-ख या धारा 294 या उक्त संहिता के अध्याय 15, अध्याय 16, अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये दुष्प्रेरित करता है ; या

(2) जो स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष ठहराया गया हो; या

(3) जो संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 या आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25, धारा 27 या धारा 29 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कम से कम तीन बार सिद्धदोष ठहराया गया हो ; या

(4) जिसकी सामान्य ख्याति है कि वह दुःसाहसिक और जनासमुदाय के लिए खतरनाक व्यक्ति है ; या

(5) जो अभ्यासतः स्त्रियों या लड़कियों के प्रति अशिष्ट उक्ति कहता रहा हो या उनसे छेड़-खानी करता रहा हो, या

(6) जो दलाल (डाउट) है ;

स्पष्टीकरण :—'दलाल' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो—

(क) किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिये किसी प्रकार का परितोषण किसी लोक सेवक या सरकार या संसद या राज्य विधान मंडल के सदस्य को भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा केन्द्रीय या राज्य सरकार, संसद या राज्य विधान मंडल, किसी स्थानीय प्राधिकारी निगम सरकारी कम्पनी या लोक सेवक से कुछ करने या कुछ करने से प्रविरत रहने या किसी व्यक्ति के प्रति अनुग्रह करने या अनुग्रह न करने या किसी व्यक्ति का उपकार या अपकार करने का प्रयत्न करने को उत्प्रेरित करने के लिये प्रतिग्रहीत करता है या अभिप्राप्त करता है या प्रतिग्रहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या

(ख) विधि व्यवसाय में हितबद्ध किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रस्तावित किसी पारिश्रमिक के प्रतिफल स्वरूप उस व्यवसाय में किसी विधि व्यवसायी का नियोजन प्राप्त करता है या उसको प्राप्त करने के लिये किसी विधि व्यवसायी से या विधि व्यवसाय में हितबद्ध किसी व्यक्ति से, उनमें से किसी के द्वारा प्रस्तावित किसी पारिश्रमिक के प्रतिफल स्वरूप प्रस्ताव करता है ; या

(ग) स्पष्टीकरण :—

(क) या (ख) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिये सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायालयों के अहातों में राजस्व या अन्य कार्यालयों, आवासिक कालोनी या निवास स्थानों या उपर्युक्त स्थानों या रेल या बस स्टेशनों, उतरने के स्थानों, ठहरने के स्थानों या अन्य लोक समागम स्थलों के आस-पास आता-जाता है, या

(7) गृह अपग्राही है,

स्पष्टीकरण — "गृह अपग्राही का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन का, जिसके अन्तर्गत भवन से सम्बद्ध भूमि, बाग, गैराज या बाह्यगृह भी है, अप्राधिकृत कब्जा लेता है या लेने का प्रयत्न करता है या उसके लेने में सहायता देता है या उसके लिये दुष्प्रेरित करता है या भवन में विधिपूर्वक प्रवेश करने के उपरान्त उस पर अविधिपूर्वक कब्जा बनाये रखता है ।"

धारा-3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में—

"(क) उपधारा (1) में, खंड (ख) में उप-

खन्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

(ii) ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह जिले या उसके किसी भाग में, धारा 2 के खन्ड (ख) के उप-खन्ड (1) से

(3) तक में निर्दिष्ट किसी अपराध को करने में या किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण में लगा है या लगने वाला है; और"

(ख) उपधारा (3) में, खन्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खन्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"(क) उसे यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसे मार्ग से यदि कोई हो, और ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अपनी स्थानीय अधिकारिता की सीमा के भीतर के क्षेत्र से या ऐसे क्षेत्र और ऐसे किसी जिले या जिलों या उनके किसी भाग से जो उससे आसन्न हो, स्वयं बाहर चला जाय और उक्त क्षेत्र या उक्त क्षेत्र और ऐसे आसन्न जिला या जिलों या उसके या उनके किसी भाग में, यथास्थिति जहां से उसे स्वयं बाहर जाने का निदेश दिया गया था, तबतक प्रवेश न करें जब तक कि छः मास से अनधिक ऐसी अवधि जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाय;"

4--मूल अधिनियम की धारा 7 में,--

धारा-7 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "दंड प्रक्रिया संहिता, 1898" के स्थान पर शब्द और अंक "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में,--

(एक) खंड (क) में शब्द और अंक "धारा 76" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 71" और शब्द और अंक "धारायें 75 से 92 तक" के स्थान पर शब्द और अंक "धारायें 70 से 85 और 87 से 89 तक" रख दिए जायेंगे;

(दो) खंड (ख) में, शब्द और अंक "धारायें 120 से 122 तक व 123-क, 124, 126 व 126-क" के स्थान पर शब्द और अंक "धारायें 119 से 121 तक, 123 और 124" रख दिए जायेंगे;

(तीन) खंड (ग) में, शब्द और अंक "धारायें 513, 514 व 514-क" के स्थान पर शब्द और अंक "धारायें 445 से 447 तक" रख दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 तक एवं खंड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

## तत्कालीन हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री माता प्रसाद पान्डेय, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 9 दिसम्बर, 1983 को तत्कालीन राज्य मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी । माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 6 अप्रैल, 1983 को श्री गांधी आश्रम, गोरखपुर को नियोजित ढंग से असामाजिक तत्वों द्वारा लूट पाट तथा हमला के संबंध में सदन में हुई चर्चा के दौरान माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति नहीं की गयी है ।

इस मामले में मैंने माननीय श्री गुलाब सेहरा से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा विधि परामर्शी, गृह सचिव एवं गोरखपुर और लखनऊ के गांधी आश्रम के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श भी किया ।

अपने पत्र दिनांक 1 मार्च, 1984 द्वारा माननीय मंत्री जी ने यह सूचित किया है कि गांधी आश्रम, गोरखपुर के कर्मचारियों पर चलाये गये मुकदमे वापस लिये गये हैं तथा तद्नुसार आवश्यक आदेश दिनांक 21 फरवरी, 1984 को जारी कर दिये गये हैं ।

चूंकि गांधी आश्रम के कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे वापस लिये जा चुके हैं और चूंकि आश्वासनों की पूर्ति न होने पर विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता, अतः इस मामले में किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है और प्रश्नगत सूचना सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

## श्री दिनेश प्रसाद सिन्हा, सहायक अभियन्ता, बाढ़, गोरखपुर के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री मारकन्डेय चन्द्र, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 8 सितम्बर, 1983 को श्री दिनेश प्रसाद सिन्हा, सहायक अभियंता, बाढ़, गोरखपुर के विरुद्ध अवमानना के प्रश्न की सूचना दी थी, उक्त सूचना में उनका कहना है कि जब वे ग्राम लच्छी चक ब्लाक व बेलघाट, जिला गोरखपुर में घाघरा नदी में हो रहे कटाव को देखने के बाद बेलघाट ब्लाक कार्यालय गये तब वहां सहायक अभियंता श्री दिनेश प्रसाद सिन्हा और अधिशासी अभियंता श्री इंद्रसेन राम आ गये । जब उन्होंने उक्त अधिकारियों को कटाव की स्थिति से अवगत कराया एवं अधिशासी अभियंता से सहायक अभियंता के विरुद्ध कतिपय शिकायतें कीं, तब सहायक

अभियंता श्री दिनेश प्रसाद सिन्हा ने उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की तथा विधान सभा के संबंध में भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया ।

मैंने प्रश्नगत मामले में सिंचाई मंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। माननीय सिंचाई मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 31 जनवरी, 1984 द्वारा यह सूचित किया है कि दिनांक 20 अगस्त, 1983 को ब्लाक कार्यालय पर सहायक अभियंता तथा माननीय सदस्य के बीच में कुछ कहा सुनी हुई । वह कहा सुनी किन कारणों से हुई, इसके विषय में माननीय सदस्य तथा माननीय मंत्री द्वारा प्रदत्त सूचना में परस्पर भेद है । मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि कहा सुनी किन कारणों से हुयी और किसने क्या कहा अथवा क्या कार्यवाही की । इतना अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 20 अगस्त, 1983 को माननीय सदस्य ब्लाक कार्यालय में विधान सभा के सदस्य के रूप में या उसकी किसी समिति के कार्य से नहीं गये थे । इस सदस्य के तथा संसद के अनेक निर्णयों में वह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई माननीय सदस्य स्वेच्छा से किसी अधिकारी के पास जाता है और उस अधिकारी के पास जाने का उसका मन्तव्य सदन से अथवा सदन की किसी समिति के कार्यों से संबंधित नहीं है तो ऐसे मामलों में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह भी कहा है कि उपरोक्त सहायक अभियंता ने सदन के प्रति कतिपय अपमानजनक शब्द कहे । माननीय सदस्य ने यह भी सूचना दी है कि 20 अगस्त, 1983 को उन्होंने बेलघाट थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी थी । उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि माननीय सदस्य ने प्रस्तुत की है किन्तु उसमें सदन के विषयों में किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग करने की बात अंकित नहीं है । उपरोक्त परिस्थितियों में मैं इस मत का हूं कि इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है और विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता ।

## साप्ताहिक पत्रिका 'रविवार' के सम्पादक एवं लेखक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री श्याम लाल वाजपेयी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 15-3-1984 को कलकत्ता से प्रकाशित सप्ताहिक पत्रिका 'रविवार' के 4-10 मार्च, 1984 के अंक में मुद्रित उस लेख के विषय में विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी है जो मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र से संबंधित है। विशेषाधिकार की यह सूचना पत्रिका के संपादक श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह तथा लेखक श्री संतोष भारतीय के विरुद्ध है ।

दिनांक 22-3-1984 को श्री खान गुफरान जाहिदी, श्री दल सिंगार यादव, श्री श्रीकृष्ण गोयल, श्री अजहर ईमाम, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री रामकुमार भार्गव ने भी उपरोक्त पत्रिका के संपादक तथा लेखक के विरुद्ध उसी लेख के संबंध में विशेषाधिकार का अवहेलना तथा सदन के अवमानना की सूचना दी है ।

दिनांक 22 मार्च, 1984 को ही श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी तथा श्री कृष्ण-वीर सिंह कौशल ने भी इस प्रकार की सूचना दी है ।

उपरोक्त सभी माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना में कहा है कि सन्दर्भित लेख में नेता सदन के सम्बन्ध में अनर्गल तथा तथ्यहीन बातों का उल्लेख किया गया है जिससे उनकी तथा इस सदन की छवि धूमिल हुई है ।

प्रश्नगत लेख को मैंने गौर से पढ़ा और उससे यह स्पष्ट आभास मिलता है कि लेख में अंकित सभी बातें माननीय नेता सदन से व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित हो सकती हैं। इस आदरणीय सदन अथवा इस सदन के सदस्य या नेता के रूप में किसी भी कृत्य का उल्लेख प्रश्नगत लेख में नहीं किया गया है जिसे सभी माननीय सदस्यों ने अनर्गल और मिथ्या बतलाया है।

दिनांक 14 अप्रैल, 1978 को श्री राम आसरे वर्मा ने इसी प्रकार के एक मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना इस आधार पर दी थी कि इस पत्रिका के 9 अप्रैल, 1978 के अंक में तत्कालीन मुख्य मन्त्री के विरुद्ध कुत्सित प्रचार किया गया है। तत्कालीन अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य करते हुए कहा कि इस अंक में ऐसी कोई बात नहीं है जो मुख्य मन्त्री के उन कार्यों से सम्बन्धित हो, जो वे सदन के नाते करते हैं।

कौल और शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 248 पर भी यह कहा गया है कि प्रत्येक मान हानि कारक बात के सम्बन्ध में सभा द्वारा ध्यान देना या कार्यवाही करना सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं माना जाता है।

मेरे विचार से यह बात इस सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं होगी कि प्रत्येक एसे लेखों के सम्बन्ध में दण्डात्मक कार्यवाही की जाय। भाषण तथा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इस जनतांत्रिक प्रणाली के मूलभूत आधार है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यदि आप रूलिंग दे देंगे तो हम लोग नहीं कह पायेंगे। यह जो मामला रविवार पत्रिका ने जो लिखा है इससे सदन की गरिमा घटी है।

श्री अध्यक्ष--

जिन-जिन माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया है, जो पद्धति रही है, जो परम्परा रही है, हमने अपने कक्ष में बुला कर एक-एक प्वाइन्ट को नोट किया है। इस प्रकार की हम लोग परिपाटी यहां न डालें। इसलिये मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ठीक है, मैं तो इसलिये कह रहा था कि जो आप हवाला दे रहे हैं, यह हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, मैं आपको किताब भिजवा दूंगा।

ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिये कि स्वतंत्र रूप से विचार करने में बाधा पड़े।

उपरोक्त परिस्थितियों में विशेषाधिकार की उपरोक्त तीनों सूचनाओं को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करना उचित नहीं प्रतीत होता और उन्हें मैं अस्वीकार करता हूं।

अब हम उठते हैं, 11 तारीख को फिर 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 48 मिनट पर बुधवार, 11 अप्रैल, 1984 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
7 अप्रैल, 1984

पी० एस० यू० पी०—16 एल० ए०—24-8-84—813 (पं० डं०)।